खण्ड-123, अंक-3
बुधवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1875
(1 अप्रैल, 1953 ई0)

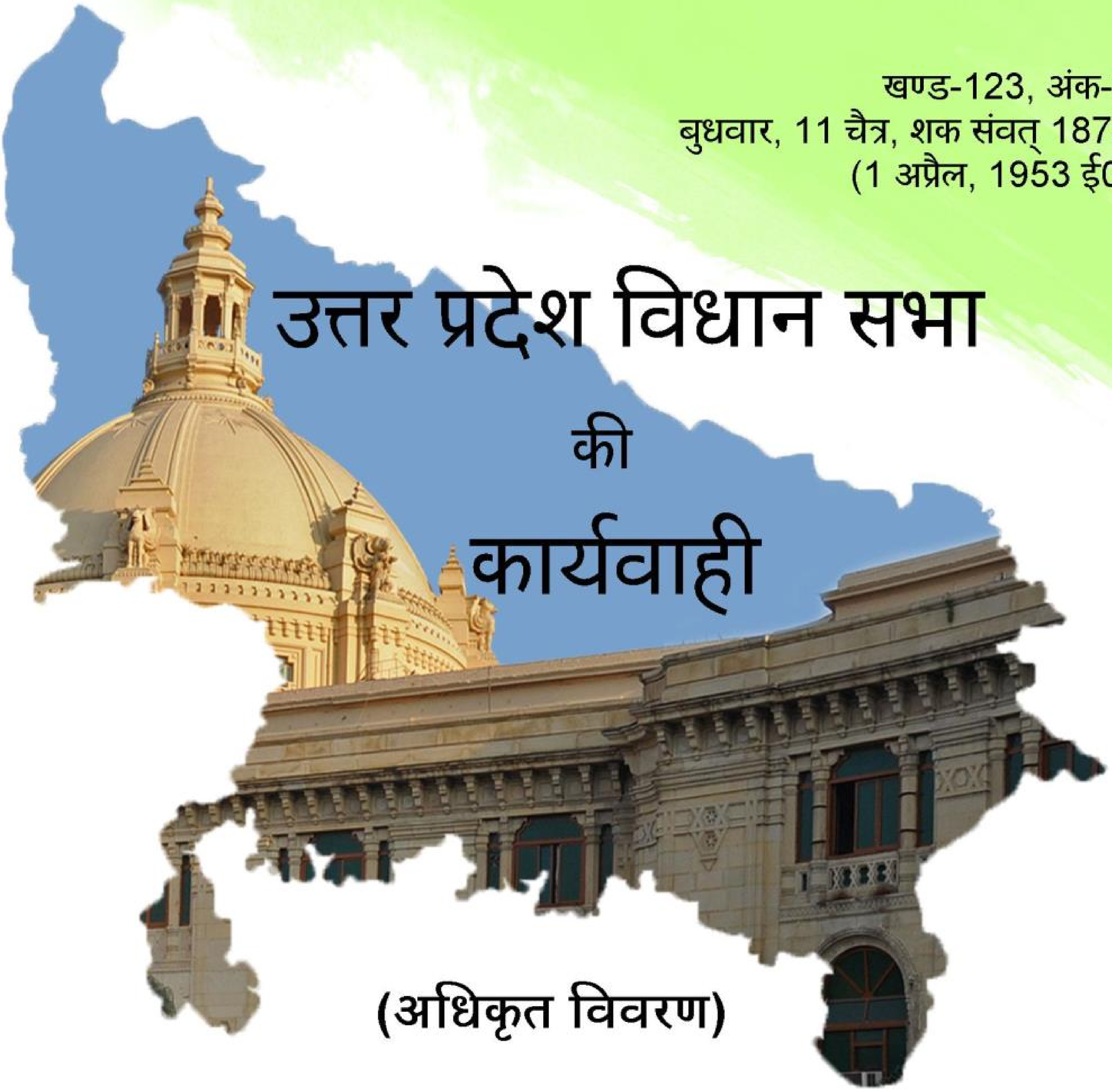

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 123 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—:o:—

बुधवार, १ अप्रैल, १९५३

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५६)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरूप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरणसिंह, श्री
चन्द्रवती , श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराय, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बलभद्रप्रसाद शुक्ल हाफिज, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र , श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर

सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

—:o:—

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आज़मगढ़ ज़िले में ग़लत इन्दराज सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (ज़िला आज़मगढ़)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास ५-११-५२ तथा १३, मार्च, सन् १९५३ को आज़मगढ़ ज़िले में ग़लत इन्दराज संबंधी प्रार्थना पत्रों की जांच में की जाने वाली धांधलियों को रोकने के लिये शिकायती पत्र आये हैं?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य) जी हां, यह सब पत्र स्वयं प्रश्नकर्ता ने ही भेजे थे।

*२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह पत्र ज़िलाधीश, आज़मगढ़ के पास आवश्यक तथा तुरन्त कार्यवाही के लिये भेज दिये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या हमारे पत्र के साथ शाहपुर, रायसां और मछला गांवों के किसानों की दरख़्वास्तें भी नत्थी थीं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—हो सकता है रही हों। सब ज़िलाधीश को भेज दी गयी हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मंत्री जी को पता है कि आज़मगढ़ ज़िले में खेतिहर मज़दूर और छोटे-छोटे किसान भूतपूर्व ज़मींदारों के खेतों पर क़ब्ज़ा कर रहे हैं?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—आज़मगढ़ ज़िले में काग़ज़ात की दुरुस्ती और क़ब्ज़े के सिलसिले में पहले ज़मींदार या असली काश्तकार या शिकमी काश्तकारों में निज़ा है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या इन किसानों की मांग है कि निष्पक्ष अधिकारी द्वारा जांच करायी जाय और इस पर सरकार क्या कर रही है?

श्री चरणसिंह---वह तो हर आदमी की मांग है और जिलाधीश स्वयं और दूसरे राज्य कर्मचारियों द्वारा निष्पक्ष जांच करा रहे हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दरख्वास्त धांधली के संबंध में दी गयी थी उसमें जिलाधीश के विरुद्ध तो शिकायत नहीं थी ?

श्री चरणसिंह---जो दरख्वास्तें अब दी गयी हैं और जिनका जिक्र इस सिलसिले में है जो जिलाधीश के पास भेजी गयी हैं उनमें खासतौर से जिलाधीश के खिलाफ कोई शिकायत है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो बातें वैसे रामसुन्दर जी पाण्डेय से हुई हैं उनमें सभी राज्य कर्मचारियों से शिकायत है, जिलाधीश से ही क्या ।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---कितनी दरख्वास्तें करप्शन के संबंध में आजमगढ़ जिले में दी गयीं, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---घोसी तहसील की दरख्वास्तों का मुझे मालूम है जो १६०० और १७०० के बीच में हैं। बाक़ी तहसीलों के लिये मैं ठीक नहीं कह सकता। लेकिन और सब तहसीलों में मिला कर घोसी तहसील से कम ही होंगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---जिलाधीश से उन पत्रों को जिन अधिकारियों के वे खिलाफ़ दिये गये हैं उन्हीं के पास जांच के लिये भेजा है ?

श्री चरणसिंह---लैंड रिफ़ार्म्स सप्लीमेंट्री ऐक्ट के अधीन असिस्टेंट कलेक्टर फ़र्स्ट क्लास जो आमतौर पर एस० डी० ओ० होते हैं, उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि मौक़े पर जाकर तहक़ीक़ात करें, लिहाजा वे तहक़ीक़ात कर रहे हैं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र---क्या जिलाधीश ने छओं हाकिम परगना और छओं जुडिशल मैजिस्ट्रेटों का प्रयोग किया था ?

श्री चरणसिंह---सारे एस०डी०ओज० और जुडिशल मैजिस्ट्रेटों को हुक्म दिया गया या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह मुझे मालूम है कि जितना भी मुमकिन हो सकता है उतना वह कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री बतला सकते हैं कि इस क़िस्म की शिकायतें आयी हैं कि कुछ गांव के भूतपूर्व जमींदार जो बहुत दूर-दूर बसते हैं और गांव में हल बैल वग़ैरा खेती का सामान नहीं है, फिर भी किसानों के नाम से इंदराज करने वाली दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया है ?

श्री चरणसिंह---जी ठीक है। इस क़िस्म की शिकायत मेरे पास आयी है और माननीय सदस्य ने ही मुझे दी है और वह दरख्वास्त विचाराधीन है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री रामसुन्दर जी की शिकायत पर से जिलाधीश को बुला कर मंत्री महोदय ने उनको समझाया था कि आप न्याय करायें ?

श्री चरणसिंह---जी हां, यह ठीक है। मैंने उनको बुलाया था और उनसे कहा था कि जल्दी से जल्दी इन दरख्वास्तों का फैसला होना चाहिये क्योंकि फसल कटने वाली थी।

तारांकित प्रश्न

आयुर्वेदिक व यूनानी पुनः संघठन समिति की सिफारिशें

*१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने आयुर्वेदिक यूनानी संगठन कमेटी की किन किन सिफ़ारिशों को स्वीकार और किन किन को अस्वीकार किया है ?

*२—क्या सरकार उन कारणों के बतलाने की कृपा करेगी कि जिनके आधार पर उसने उस कमेटी की सिफ़ारिशों को अस्वीकार किया है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)—आयुर्वेदिक व यूनानी पुनः संगठन समिति की जिन सिफ़ारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है उनका वर्णन संलग्न तालिका 'अ' में दिया हुआ है। जिन सिफ़ारिशों को सरकार नहीं स्वीकार कर सकी है उनका वर्णन कारण सहित तालिका "ब" में है। शेष सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २७५–२७६ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायक वैद्य, हकीम वग़ैरा के कालेजेज़ चलाने वालों को सरकार ने कोई सहायता दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसीदास—जो इस प्रकार के कोर्स चलते हैं उनको बोर्ड आफ़ इंडियन मैडीसिन प्रमाणित करता है और उनके द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं को सहायता दी जाती है।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कमेटी की जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है उनको कितने वर्षों में पूर्ण करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री बनारसीदास—जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है उनको कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ डी० एस० आयुर्वेदिक कालेज के संस्कृत के विद्यार्थियों के अलावा एफ० एस० सी० के विद्यार्थियों को एम० बी० बी० एस० में क्यों भर्ती कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह किस सवाल से संबंधित है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—रिपोर्ट के अन्तर्गत है।

श्री बनारसी दास—क्योंकि इस वर्ष जो विद्यार्थी लखनऊ युनिवर्सिटी के अन्दर पढ़ रहे थे तो वहां पर कुछ विद्यार्थियों में मतभेद पैदा हो गया और वह लोग वहां के एम० बी० बी० एस० कोर्स में जाना चाहते थे और वहां पढ़ाने की व्यवस्था के अन्दर भी कुछ शिकायत पैदा हुई। इस वजह से यह निर्णय किया गया कि मौजूदा विद्यार्थियों को एम० बी० बी० एस० में भेज दिया जाय और आगे से अलग व्यवस्था की जाय।

श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय द्वितीय वर्षीय विशारद कोर्स को चलाने वाले कुछ विद्यार्थी भी हैं ? क्या सरकार उनको सहायता दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—अभी तो उनको मान्यता प्रदान की गयी है और इस बात पर किया जा रहा है कि जितने ऐसे कोर्स चलाये जाते हैं उनको सहायता दी जाय।

सिसवा बाजार (गोरखपुर) के चिकित्सालय का निर्माण

*३—श्री रामप्रसादसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि सिसवा बाजार (गोरखपुर) के अस्पताल की इमारत क्या पूर्णरूपेण बन कर तैयार हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्या काम शेष है और क्यों ?

श्री बनारसीदास—मुख्य भाग तो पूर्ण रूपेण बन गया है। कुछ छोटा-छोटा काम जो निम्नलिखित है बाक़ी है—

(१) मेडिकल अफ़सर कम्पाउण्डर और नौकरों के क्वार्टरों में फर्श लगाना।
(२) नौकरों के क्वार्टर बनाना।
(३) पाखाना बनाना।

स्वीकृत धनराशि के ऊपर इन कामों के लिये रुपया लगाना है। रुपया शीघ्र दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतालाने की कृपा करेंगे कि सिसवा बाजार का अस्पताल किस साल में बनना प्रारम्भ किया गया था ?

श्री बनारसी दास—सिसवा बाजार की डिस्पेंसरी का जहां तक सवाल है ७-५-५२ से तो कार्य शुरू हो गया है और बाक़ी जहां तक उसके बनने का सवाल है वह पहले फ़ेज़ के मुताबिक़ ही उसका बनाना शुरू किया गया था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतला सकते हैं कि इस अस्पताल के बनवाने में अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

श्री बनारसीदास—उसके लिये जो पहले से धन स्वीकृत था वह ३६,७०० रुपये था।

श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रक़म मंज़ूर हुई है वह कब से उस कार्य में ख़र्च होने जा रही है ?

श्री बनारसीदास—जो रक़म स्वीकार की गयी थी वह तो ख़र्च हो चुकी है।

हाथरस में कुत्तों के काटने की चिकित्सा का प्रबन्ध न होना

*४—श्री हरदयालसिंह पिपल (ज़िला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस तहसील से कुत्तों के काटे के कितने केस जनवरी, सन् १९५२ से जनवरी, सन् १९५३ तक अलीगढ़ चिकित्सा को भेजे गये ?

श्री बनारसी दास—कुल १०० केसेज़।

*५—श्री हरदयालसिंह पिपल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसे केसों की चिकित्सा के लिये वहां कोई विशेष डाक्टर नियुक्त है ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

श्री हरदयालसिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाथरस में सिविल हास्पिटल होते हुये भी कुत्तों के काटे हुओं की चिकित्सा के लिये अलीगढ़ ज़िला अस्पताल में क्यों भेजा जाता है ?

श्री बनारसीदास—यह प्रान्त के सभी ज़िलों में ज़िले के हेडक्वार्टर पर ही इस प्रकार की व्यवस्था है।

श्री हरदयालसिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुत्ते के काटे हुओं की चिकित्सा के लिये तहसीलदार से आज्ञा-पत्र लेने की क्या आवश्यकता है ?

श्री बनारसीदास--वहां से इस बात के प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है ताकि उनका वहां निःशुल्क चिकित्सा हो सके।

*६--७--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)-- [६ मई, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*८--९--श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)--[२ अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मार्केटिंग विभाग द्वारा अन्न की खरीद

*१०--श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस वर्ष का क्या और कितना अन्न प्रदेश में मार्केटिंग विभाग द्वारा लेने का प्रबंध सरकार कर रही है?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--इस वर्ष की फसल का चावल प्रदेशीय सरकार केन्द्र सरकार के लिये खरीद रही है। एकाधिकार खरीद न होने के कारण सरकार उतना ही चावल खरीदेगी जो आसानी से उपलब्ध हो सकेगा और जिससे राज्य के अन्दर खाद्य की स्थिति कठिन न हो। इसी फसल का ज्वार और बाजरा आस्ट्रेटी प्राविजनिंग और हील प्राविजनिंग स्कीमों में देने के लिये भी खरीदा जा रहा है। अब तक केवल ३७ टन बाजारा और २,५४९ टन ज्वार खरीदा गया है। लगभग २५,००० टन जौ और चना भी सरकार इसी काम के लिये खरीदेगी। गेहूं की खरीदारी के विषय में सरकार ने अभी तक कोई निश्चय नहीं किया।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश में चावल की उपज यहां की आवश्यकता से कम है?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--चावल की उत्पति हमारे प्रदेश में जितनी आवश्यकता है उससे अब अधिक है।

*११--श्री श्रीचन्द--इस अन्न की वसूली किस प्रकार से और किस भाव पर की जायगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य--ज्वार और बाजरा खुले बाजार से खरीदा जा रहा है। चावल 'बी' लाइसेंसियों और मिलवालों से उनके लाइसेंसों की शर्तों के अनुसार खरीदा जा रहा है। जौ और चना भी "बी" लाइसेंसियों के द्वारा खरीदा जायगा और उनको अपने खरीदे हुये माल से कुछ प्रतिशत सरकारी खरीदारी में देना पड़ेगा--

इन अनाजों के खरीद के भाव निम्नांकित हैं--

ज्वार ... १० रु० प्रति मन
बाजरा ... ११ रु० प्रति मन
चावल १ ... २९ रु० प्रति मन
चावल २ ... २१ रु० ४ आने प्रति मन
चावल ३ ... १८ रु० ८ आने प्रति मन
चावल ४ ... १४ रु० ८ आने प्रति मन
चावल ५ ... १२ रु० प्रति मन
जौ ... १० रु० प्रति मन
चना ... ११ रु० प्रति मन

*१२--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार बाहर से भी अन्न मंगाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कहां से और किन दरों पर?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, केवल विदेशी गेहूं जिसकी दर १७ रु० ८ आने प्रति मन है।

श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौ और बाजरा. बाहर कहां कहां से मंगाये जा रहे हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—बाहर से मंगाने का कोई सवाल सरकार के सामने नहीं है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चावल की इस प्रदेश में कितनी खपत है और कितनी उत्पत्ति है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सन् ५२-५३ में १,६२,६०९ टन चावल इस प्रदेश में पैदा हुआ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि चावल की जो उगाही पिछले महीनों में हुई उससे वहां चावल का बाजार बहुत तेज हो गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी बात नहीं है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार को किस भाव पर चावल दिया जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिस भाव पर प्रांतीय सरकार चावल खरीदेगी उसी भाव पर केन्द्रीय सरकार को दिया जायगा।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस अन्न के क्रय विक्रय से अगले वर्ष भी हानि उठानी पड़ेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक इस विषय में सरकार की नयी नीति है वह "नो प्राफिट नो लास" की है। इसी नीति से सरकार वितरण करेगी।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गेहूं के बाहर से मंगवाने की जरूरत क्यों होती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—क्योंकि हमारे प्रदेश में गेहूं आवश्यकता के मुताबिक पैदा नहीं हो रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या अन्न मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे क्या सेंटर ने जो कोटा इस प्रांत के लिये एलाट किया था वह नहीं उठाया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कोटा हमें मिला था वह हमने उठा लिया।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे जब कंट्रोल हटा दिया गया है तो एक रीजन से दूसरे रीजन में अन्न लाने ले जाने में क्या कठिनाई है और रोक क्यों लगाई गयी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक रीजन से दूसरे रीजन में ले जाने के लिये गल्ले की रुकावट जो हमने रख छोड़ी है उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे प्रदेश में ऐसे रीजन हैं जहां गल्ले की कमी है और वहां गल्ला उस मात्रा में पैदा नहीं होता जिस मात्रा में वहां गल्ले की आवश्यकता है इसलिये यदि हम उस क्षेत्र से बाहर गल्ला जाने की रुकावट न डालें तो उस क्षेत्र में गल्ले की कमी हो जायेगी और वितरण में दिक्कत होगी।

श्री शुकदेव प्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश में कितने मन गेहूं की कमी प्रति वर्ष होती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रति वर्ष जो गल्ला हमारे प्रदेश में बाहर से मंगाया जात है वह दो तीन लाख टन के बीच में होता है इसलिये इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि अभी इतनी मात्रा के बीच में ही कमी हमारे प्रांत में गेहूं की होती है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल कितना चावल प्रांत के बाहर भेजा गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पिछले साल करीब ३५ हजार टन चावल हमने बाहर भेजा था।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि अभावग्रस्त क्षेत्रों से गल्ला बाहर जाने पर प्रतिबन्ध तो लगाया जाय लेकिन अन्दर आने पर प्रतिबंध न लगाया जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बाहर के क्षेत्रों से गल्ला आने की मुमानियत नहीं है। उसी गल्ले के आने की वजह से और वहां से गल्ला न जाने की वजह से वहां पर कीमतें कम रहती हैं और आज भी ऐसा ही है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि शाहगंज रेलवे स्टेशन पर शाहगंज शुगर मिल के दुर्गन्धपूर्ण पानी से बहुत गन्दगी फैलती है और वहां लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है?

श्री बनारसी दास--जी हां, इसका उत्तर तो १४ के अन्दर दिया हुआ है।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री महोदय उसके निवारण के लिये कोई उपाय सोच रहे हैं?

श्री बनारसी दास--यह तो मिल की जिम्मेदारी है। यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आवेगा तो स्टेट हेल्थ बोर्ड इसके लिये अनुदान देने पर विचार कर सकता है।

देवरिया, गोरखपुर और बस्ती जिलों में मलेरिया

*१३--श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि देवरिया, गोरखपुर और बस्ती जिलों में मलेरिया की बीमारी से प्रति वर्ष बहुत बड़ी संख्या में लोग पीड़ित होते हैं? यदि हां, तो कितने और क्यों?

श्री बनारसी दास--चूंकि मलेरिया नोटीफायबल (Notifiable) रोग नहीं है और सब मलेरिया के रोगी अस्पतालों में इलाज के लिये नहीं पहुंचते हैं, इसलिये देवरिया गोरखपुर व बस्ती में मलेरिया के रोगियों की ठीक-ठीक संख्या नहीं दी जा सकती हैं। सन् १९४५ से सन् १९५१ तक के समय के मलेरिया रोगियों की अन्य बीमारियों के रोगियों की कुल संख्या की तुलना करने से उपर्युक्त जिलों में मलेरिया की बीमारी की प्रतिशत संख्या अधिक नहीं मालूम होती जैसा कि संलग्न तालिका से विदित होता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २७७ पर)

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर में जो आंकड़े दिये गये हैं वे किस आधार पर दिये गये हैं?

श्री बनारसी दास—यह तो विभाग के जरिये सूचना आती है। जिन रोगियों का इलाज होता है उसी के आधार पर ये आंकड़े हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि नोटीफायबिल रोग कौन-कौन हैं ?

श्री बनारसी दास—ऐसे हैं जिनको रोकने के लिये पहले से कोशिश की जाती है। जिनसे कंटेजियन बढ़ता है ऐसे रोग हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि मलेरिया रोग से देवरिया, गोरखपुर और बस्ती जिले में प्रति वर्ष लाखों आदमी पीड़ित होते हैं ?

श्री बनारसी दास—इन सभी जिलों के लिये वहां पर विशेष तौर से मलेरिया की रोकथाम करने के लिये ऐंटी मलेरिया यूनिट कायम हुई है। मलेरिया से वहां लोग पीड़ित अवश्य होते हैं लेकिन इस साल के अन्दर ऐंटी मलेरिया यूनिट कायम करने की वजह से वहां के लोगों को काफी सुविधायें मिली हैं और मलेरिया की काफी रोकथाम हुई है।

*१४—श्री गेंदा सिंह—क्या यह सत्य है कि चीनी मिलों के दुर्गन्धपूर्ण पानी की ठीक व्यवस्था न होने के कारण चीनी मिलों के निकट मीलों तक बड़ी हानिकारक जल वायु हो जाती है और उसके कारण मच्छरों की भारी वृद्धि होती है ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनस्वास्थ्य को दृष्टिकोण में रखते हुये वह कोई ऐसा विधेयक सदन में लाने को तैयार है कि मिल के इस गन्दे पानी को खाद के काम में लाया जा सके ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी चार पांच दिन हुये मैंने इस सदन में बतलाया था कि इस पानी के सिलसिले में एक कमेटी मुकर्रर की गई है जिसके अध्यक्ष डाइरेक्टर जनरल पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं। उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आ गयी है और गवर्नमेंट उस पर गौर कर रही है। उस पर गौर करने के बाद निश्चय किया जायगा कि क्या कानून बनाया जाय और क्या-क्या किया जाय।

*१५-१६—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[१५ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में पुरुषों तथा महिलाओं के चिकित्सालय

*१७—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में पुरुषों तथा महिलाओं के अलग-अलग सरकारी अस्पताल कितने हैं ?

श्री बनारसी दास—बस्ती जिले में पुरुषों के लिये सरकारी अस्पताल कुल २४ हैं। और महिलाओं के लिये एक। इन अस्पतालों में १४ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां ३ यूनानी डिस्पेंसरियां, ४ ऐलोपैथिक डिस्पेंसरियां और ४ एलोपैथिक अस्पताल (जिसमें, एक स्त्रियों का अस्पताल है) हैं।

*१८—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार इन अस्पतालों की संख्या बढ़ाने को सोच रही है ?

श्री बनारसी दास—आवश्यकतानुसार सरकार इन अस्पतालों की संख्या बढ़ाने में प्रयत्नशील है।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये चार एलोपैथिक अस्पताल और डिस्पेंसरीज कहां कहां हैं ?

श्री बनारसी दास--नं० १. एलोपैथिक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, नं० २ पुलिस अस्पताल, नं० ३. जेल अस्पताल और नं० ४. स्त्रियों का अस्पताल ये सब बस्ती में ही हैं और जो डिस्ट्रिक्ट डिस्पेंसरीज हैं वे फरीदाबाद, बदरपुर, कथेला रुधौली, बढ़नी और इटवा में हैं ।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि खलीलाबाद में मरीजों के लिये ठहरने के कितने स्थान हैं ?

श्री बनारसी दास--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री सीता राम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बस्ती जिले की आबादी को दृष्टि में रख कर वहां कितने नये अस्पताल सरकार खोलना चाहती है ?

श्री बनारसी दास--इसके लिये वहां की डिस्ट्रिक्ट डिस्पेंसरी परामर्शदात्री समिति ने निम्नलिखित स्थानों की सिफारिश की है : ककरावा, मोहाली, मुंडरावा, नौगढ़, दुबौलिया। जिन स्थानों के लिये इस वर्ष सरकार ने डिस्पेंसरीज खोलने के लिये बजट में प्राविजन किया है उस वक्त यह विचार किया जायगा कि इन स्थानों से कितने स्थानों पर डिस्पेंसरीज खोलना संभव हो सकेगा ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--सरकार के जवाब से मालूम हुआ कि बस्ती में जेल और पुलिस अस्पताल की भी गणना अस्पतालों में की गई है तो क्या वह पब्लिक के लिये भी खुले हुये हैं ?

श्री बनारसी दास--जेल में जो अस्पताल जेल वालों के लिये है उसमें भी आदमी रहते हैं। पुलिस का अस्पताल पुलिस वालों के लिये है।

श्री इस्तफा हुसैन--(जिला गोरखपुर) क्या सरकार अपनी पालिसी बतलायेगी जो उसने इक्विपमेंट्स बेड्स और अस्पतालों के ज्यादा बढ़ाव के संबंध में अपनाई है ?

श्री बनारसी दास--जी हां, जैसा आपने बजट में देखा होगा कि इस वर्ष और पिछले वर्ष लगातार अस्पतालों का इक्विपमेंट बेहतर करने के लिये अनुदान रक्खी गई और हर साल उनको बढ़ाया गया है। इस साल ५ लाख रुपये थे और पारसाल भी इतने ही थे और प्रायः जिले के सभी अस्पतालों में इक्विपमेंट के अन्दर सुधार हुआ है और सरकार का बराबर इस बात का प्रयत्न रहा है, जहां तक हो सकता है सरकार वहां पर बेड्स भी बढ़ा रही है ।

राय बरेली जिले की खरौली अदालत पंचायत के सरपंच के विरुद्ध शिकायत

*१९--**श्री दलबहादुर सिंह** (जिला रायबरेली)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि रायबरेली जिले की खरौली अदालत पंचायत के सरपंच के विरुद्ध जो शिकायतें थीं, और जिनके विषय में सरकार ने ९--७--५२ को एक उत्तर में कहा था कि अभी जांच हो रही है, उसका क्या नतीजा निकला ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--जांच पूर्ण हो चुकी है। जांच से यह प्रकट हुआ कि सरपंच ने अपने पद का काम पूर्ण सावधानी से नहीं किया। परन्तु यह प्रमाणित नहीं हुआ कि उन्होंने अपने पद का जानबूझ कर दुरुपयोग किया है।

श्री दलबहादुर सिंह---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उक्त सरपंच के खिलाफ क्या अभियोग था ?

श्री मोहनलाल गौतम---जो शिकायतें आई थीं जिन पर जांच हुई-वे यह हैं अदालत की बैठक अपने घर पर करते हैं, बेंचों का निर्माण करते समय स्वयं क्षेत्र में नहीं रहते। निर्णय हो जाने के बाद अदालत के कागजात की प्रतिलिपियां देने में आनाकानी करते हैं, और पंचायत सेक्रेटरी को अपशब्द कहे।

श्री दलबहादुर सिंह---क्या माननीय स्वाशासन मंत्री यह बतलायेंगे कि ५-१-५३, को पदारूढ़ होने के पहले जितने दिन वह मुअत्तल रहे उनके स्थान पर कौन सरपंच का काम करते रहे ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सरपंचों के खिलाफ सबसे पहली शिकायत सरकार को कब मिली ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री दलबहादुर सिंह---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिलाधीश एवं जिला पंचायत अधिकारी ने क्या रिपोर्ट उस सरपंच के खिलाफ की थी ?

श्री मोहन लाल गौतम---इन आरोपों का जवाब सरपंच से लेकर जो रिपोर्ट उन्होंने की है उसका सारांश यह है कि उनकी चरित्रहीनता सत्यनिष्टा में कभी, या पद का दुरुपयोग सिद्ध नहीं होता बल्कि उनका स्वभाव कुछ कड़ा है और कार्यवाही में कहीं कहीं अनियमितता है।

*२०---**श्री दलबहादुर सिंह**---क्या यह सही है कि रायबरेली के जिलाधीश और जिला पंचायत अधिकारी ने उक्त सरपंच को हटाने के लिये सरकार से आग्रह किया है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहन लाल गौतम---सरपंच को भविष्य के लिये सावधान करते हुये कड़ी चेतावनी देकर दिनांक ५-१-५३ को सहायक संचालक द्वारा पदारूढ़ कर दिया गया है।

देवरिया जिले मे बरहज-गोठनी रोड को पक्का करने की आवश्यकता

*२१---**श्री बद्री नारायण मिश्र**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरहज गोठनी रोड जो जिला देवरिया में है कब तक पक्की होगी ?

श्री मोहन लाल गौतम---यह सड़क जिलाबोर्ड, देवरिया की है, जो इसको आर्थिक कठिनाई के कारण निकट भविष्य में पक्का बनाने में असमर्थ है।

श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह सड़क मुसलमानी काल से है और नेशनल हाईवेज की सड़क है और एक प्राविंस से दूसरे प्राविंस को मिलाती है ?

श्री मोहन लाल गौतम---यह सड़क बहुत पुरानी है लेकिन नेशनल हाईवेज नहीं थी। अगर होती तो गवर्नमेंट इसको बनवाती लेकिन यह अभी तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन है।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी को इसका पता है कि इस सड़क के बन जाने से स्मगलिंग को रोकने में बड़ी सहायता मिलेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम—जो इन्फार्मेशन दी गई है उसके लिये मैं सदस्य महोदय को धन्यवाद देता हूं ।

नाव के घाटों के सम्बन्ध में झांसी बोर्ड के विरुद्ध शिकायतें

*२२—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार के पास झांसी जिला बोर्ड के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें आयी हैं कि उसने गत वर्ष कुछ नावों के घाटों के ठेके ज्यादा बोली बोलने वालों को न देकर कम बोली वालों को दे दिये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला बोर्ड के कथनानुसार तो कोई भी ठेका कम बोली बोलने वालों को नहीं दिया गया है। परन्तु ऐसी शिकायत दो सज्जनों ने शासन के पास की हैं। उस पर इस समय जिलाधीश जांच कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार के पास कोई इस आशय की शिकायतें हैं कि बोर्डों ने जिन घाटों के ठेके बगैर पब्लिकआक्शन के दिये हैं उनकी मियाद तीन साल के लिये बढ़ा दी गई है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जो शिकायतें आयी हैं उनकी जांच जिलाधीश कर रहे ह।

*२३—**श्री बैजनाथ सिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ.. २१२ पर]

भेलूपुर और सिकरौल, जिला बनारस के चिकित्सालय

*२४—**श्री देवमूर्ति राम** (जिला बनारस)—क्या सरकार को पता है कि बनारस जिला बोर्ड के दो एलोपैथिक दवाख़ाने बनारस शहर क्षेत्र के भीतर स्थान भेलूपुर और सिकरौल में चल रहे हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

*२५—**श्री देवमूर्ति राम**—क्या यह सही है कि बनारस जिला बोर्ड ने उपर्युक्त दवाख़ानों को शहरी क्षेत्र से हटा कर देहाती क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव पास किया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

*२६—**श्री देवमूर्ति राम**—क्या सरकार को पता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को हेल्थ विभाग ने मानने से इन्कार कर दिया है और उसके फलस्वरूप जिला बोर्ड उन्हें बन्द करने जा रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां। परन्तु यह सत्य नहीं है कि इसके फलस्वरूप जिला बोर्ड इन औषधालयों को बन्द करने जा रही है।

श्री देवमूर्ति राम—क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करके इन औषधालयों को ट्रांसफर करने पर विचार करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम—ट्रांसफर करने का अभी सवाल नहीं है। यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे हैं और अभी तो डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ ऐंड मेडिकल सर्विसेज की राय है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही उनको चलावे।

श्री देवमूर्ति राम--जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने यह तय किया हैं कि हम यह औषधालय शहर में नहीं चलाना चाहते तो क्या माननीय मंत्री महोदय उसको फिर देहाती क्षेत्र म ट्रांसफर करने के लिये नहीं सोच सकते ?

श्री मोहन लाल गौतम--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कहने पर डाइरेक्टर आफ़ हेल्थ सर्विसेज की राय ली गयी। उनकी राय यह थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को चलाना चाहिये और वहां से हटाना नहीं चाहिये। यह सूचना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दी गयी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर कोई कार्यवाही होगी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री देवमूर्तिराम--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शहरी क्षेत्र में जिला बोर्ड द्वारा चलाये गये दवाखाने की कौन सी उपयोगिता है ?

श्री मोहनलाल गौतम--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने बहुत दिनों से यह अस्पताल खोल रखा है।

❀ ❀ ❀

मनीऊर बांसडीह सड़क का सुधार

*२३--श्री बैजनाथ सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मनीऊर-बांसडीह सड़क के लिये सरकार ने क्या कुछ अनुदान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बलिया को दिया था ? यदि हां, तो कब और कितना और क्या इस रुपये से उक्त सड़क पर कुछ काम हुआ ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नहीं।

'पायोनियर' में श्री रामनारायण त्रिपाठी के स्पष्टीकरण को भ्रमात्मक ढंग से छापने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री रामनारायण त्रिपाठी ने एक पत्र भेजा था। उनकी शिकायत इस संबंध में थी कि स्थानीय समाचार पत्र 'पायनियर' में जो ३० तारीख को यहां पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण सदन के सामने रखा था उसके संबंध में शीर्षक में "रिकान्ट" (recant) शब्द का प्रयोग किया गया था। उन्होंने मुझे यह भी लिखा था कि उस समाचार पत्र को मैं लिखूं कि चूंकि उसमें सही शब्द इस्तेमाल नहीं किया इसलिये उसके बारे में उचित प्रतिवाद की कार्यवाही समाचार पत्र करे। मैंने कल उनसे यह पूछ लिया था जब कि सदन में उन्होंने अपना बयान दिया, कि क्या वह विशेषाधिकार की अव-हेलना का प्रश्न उपस्थित करते हैं तो उन्होंने स्पष्ट यह कहा कि "नहीं"। तो अब सारा प्रश्न जो रह जाता है वह इन्तज़ामिया है। यह प्रश्न जब तक विशेषधिकार का न हो तब तक सदन का प्रश्न नहीं होता है। अब तो मेरे लिये यह था कि 'पायनियर' ने क्या लिखा और उन्होंने यहां पर जो भाषण दिया था उसमें क्या बातें कहीं उनको मिलाऊं कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई ग़लत बात छाप दी गयी हो। जहां तक मैंने 'पायनियर' को पढ़ा और उनके उस रोज़ के भाषण के वाक्यों से मिलाया जो प्रोसीडिंग में दिया है, तो मालूम हुआ कि समाचार-पत्र में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो भाषण उन्होंने यहां पर दिया था उसके विरुद्ध कोई बात हो समाचार पत्र म टुकड़ों टुकड़ों में हर एक स्पीच के थोड़े थोड़े उद्धरण दिये हैं वह बहुतांश में कार्य-वाही के अनुसार ही दिये हैं। लेकिन शीर्षक में अवश्य 'रिकान्ट' (Recant) शब्द का प्रयोग किया है जिसका मतलब यह है कि उनकी उस भाषण के बाद और इस सदन की पूरी कार्य-वाही के बाद जो राय कायम हुई है और जो निश्चय सदन ने किया उसके बाद जो उनपर इम्प्रे-शन पड़ा उसी के मुताबिक़ उसने शीर्षक दिया। शीर्षक के बारे में यानी राय के बारे में मैं समझता हूं कि यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि राय ग़लत दी है इस कारण प्रोसीडिंग में कोई

ग़लती है। बल्कि ऐसी राय देना जो कि माननीय सदस्य के स्वाभिमान के विरुद्ध जा कर पड़ती हो, यानी किसी माननीय सदस्य के स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंचाने वाली बात हो, और वह गलत बात हो तो उसके लिये सिर्फ यह हो सकता है कि सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय और इसकी शिकायत सदन में की जाय, ऐसी बात उन्होंने उठायी नहीं, इसलिये सदन के सामने प्रश्न समाप्त होता है क्योंकि वह उसको उठाना नहीं चाहते। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती और वह इसलिये भी नहीं हो सकती क्योंकि कल जो उन्होंने स्पष्टीकरण यहां कर दिया कि "रिकेन्ट" शब्द ठीक नहीं है वह आज के अखबारों में भी छप गया और इस संबंध में स्पष्टीकरण भी काफी हो गया। जो प्रतिवाद होने का स्पष्टीकरण का उद्देश्य था वह इस प्रकार हो गया जहां तक 'रिकैन्ट' शब्द का प्रयोग किया गया, उसका अर्थ "ओपिन टु कनफ़ेशन आफ़ एरर" (गलती को मान लेने के लिये तैयार) है या पहले वक्तव्य को "विथड्रा' करने का भी अर्थ हो सकता है, वह एक तरह से द्व्यर्थक है और नहीं मालूम कोई उसका क्या अर्थ समझे। अगर यह शब्द उपयोग में नहीं लाया गया होता तो उचित था क्योंकि इससे भ्रम हो सकता है कि उन्होंने विशेषाधिकार समिति के सामने कोई वक्तव्य दिया और उनके प्रश्नों का जवाब दिया और शायद इस सदन में आकर उन्होंने वह वापिस ले लिया। ऐसा भी भ्रम पैदा हो सकता है। मैं समझता हूं कि इतना स्पष्टीकरण हो जाने के बाद अब कोई अधिक कार्यवाही नहीं हो सकती जब कि माननीय सदस्य स्वयं नहीं चाहते कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जाय। यह स्वभाविक सी बात है कि उस रोज जो कार्यवाही हुई उसका सदन के ऊपर अलग अलग असर पड़ा हो और उसे किन शब्दों में व्यक्त किया जाय, उसमें खेद भी था, कुछ करुण रस भी था और कुछ ऐसी भावनायें थीं कि उसको अगर एक मिक्चर कहा जाय तो ठीक होगा, और सदन पर उसका यह परिणाम पड़ा कि माननीय सदस्यों को कम से कम उनके स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने जो विशेषाधिकार समिति के सामने स्पष्टीकरण दिया था उसको अधिक स्पष्ट दिखला कर इस प्रकार पेश किया कि सदन के मस्तिष्क पर ऐसा परिणाम हुआ कि सदन ने यह समझा कि उस दिन के वाकये की पुनरावृत्ति सदन में न होगी। वक्तव्य में यह उनकी भावना थी कि इरादतन कोई काम करने के लिये या अनुशासन तोड़ने के लिये उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। भावना के कारण या उद्वेग के कारण ऐसी चीज हो गयी। इसीलिये सदन ने उचित समझा कि आगे कार्यवाही न करे। मैं यह प्रश्न इसलिये साफ करना चाहता था कि कल एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि पहले जो बात ३० तारीख को उन्होंने कही थी उसको क्या माननीय रामनारायण जी वापिस ले रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है। उनकी आपत्ति तो यह थी कि "रिकैन्ट" शब्द इतना सख्त है कि उससे उनकी थोड़ी सी तौहीनी हो जाती है और वह उपर्युक्त नहीं था यानी भ्रम पैदा करता है। इसी प्रकार की उनकी आपत्ति थी और वह चाहते थे कि भ्रम न रहे। जो उनका पहिला भाषण था उसको वह वापिस नहीं ले रहे हैं। ऐसी अवस्था में सदन के निश्चय पर पुनर्विचार का प्रश्न नहीं उठता। इसलिये मैं समझता हूं कि यहां पर ही सब बात खत्म करना चाहिये क्योंकि काफ़ी स्पष्टीकरण हो चुका और न अब मुझे ही कोई कार्यवाही आगे करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि सदन को भी इस प्रश्न को फिर से उठाने की अब आवश्यकता नहीं है।

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी विधेयक, १९५३

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो चकबन्दी का विधेयक है वह देश में जो कृषि संबंधी नीति में तीव्र परिवर्तन की भावना है उसका द्योतक है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—प्वाइंट आफ आर्डर।

*३१ मार्च, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष---माननीय गेंदा सिंह, मेरे सामने नियम १०६ है,

"There shall be no debate on any motion or amendment at this stage except that the member making the motion or moving the amendment and the member opposing may be allowed to make brief statements and then the question or questions, as the case may be shall be put."

[इस प्रक्रम पर किसी भी प्रस्ताव या संशोधन पर वादविवाद न होगा अतिरिक्त इसके कि प्रस्तावक या संशोधन प्रस्तुत करने वाले, और उसका विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, और तदनन्तर प्रश्न यथास्थिति उपस्थित किया जायगा या किये जायंगे।]

तो मैं यह जरूर जानना चाहता हूं माननीय गेंदा सिंह से, कि क्या इसके अनुसार वह विरोध कर रहे हैं कंसीडरेशन का। अगर वह विरोध कर रहे हों तो स्टेटमेंट दे दें। इसके ऊपर डिबेट नहीं होगा।

(श्री द्वारका प्रसाद मौर्य से) यही आपत्ति शायद आपकी थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---हां।

श्री गेंदा सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे बिल को तो अपोज नहीं कर रहा हूं। जो कुछ हमने सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट लिखते हुए नोट आफ डिसेंट दिया है उन्हीं प्वाइंट्स पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं यदि आपकी आज्ञा हो।

श्री अध्यक्ष---तो आप उसके ऊपर ब्रीफ स्टेटमेंट दे दें।

श्री गेंदा सिंह---मैं यह निवेदन कर रहा था कि देश में जो एक बढ़ती हुई मांग है कृषि सम्बन्धी नीति के परिवर्तन की, उसका एक अंश चकबन्दी हो सकता है। अच्छा तो यही होता कि देश में भूमि बटवारे के साथ-साथ चकबन्दी की बात की जाती। लेकिन सरकार भूमि बटवारे से इन्कार करती है। फिर ऐसी हालत में हमारे लिए मजबूरी हो जाती है। हम चाहते तो यह हैं कि बहुत अच्छी चीज हो लेकिन अगर बहुत अच्छी चीज सरकार न करे तो थोड़ी अच्छी चीज को करे। उसको रोकना हमारा उद्देश्य नहीं है। उसमें हमारे सहयोग की जितनी भी आवश्यकता हो उतना सहयोग हम देने के लिये तैयार हैं।

इस विधेयक की दो बातों की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं। चकबन्दी विधेयक का असल मक़सद गांवों का पुनरुद्धार, रिमाडेलिंग करना है। विधेयक में इस तरह की भी जरूरत बतलायी गयी है कि हमको सार्वजनिक उपयोग के लिये बहुत सी चीजों के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें चाहे खेल का मैदान हो, चाहे चरागाह के लिये जरूरत हो, स्कूल के लिये जरूरत हो कब्रिस्तान के लिए जरूरत हो, सड़कों की जरूरत हो, आबादी के लिये और जमीनों की जरूरत हो तो इन सारी चीजों की रक्षा के लिए विधेयक में इन्तजाम किया गया है कि इन सब चीजों की रक्षा की जाय। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जमीन कहां से आये। माननीय राजस्व मंत्री के अनुसार हमारे प्रदेश में जमीन कम है। मैं भी मानता हूं कि जितनी जमीन होनी चाहिये उतनी नहीं है; तो ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जमीन लेने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि जो ८ अगस्त, १९४६ के बाद जितनी जमीन सार्वजनिक थी या सार्वजनिक उपयोग में वह जमीन आती थी और उन जमीनों.....।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप डिटेल में जा रहे हैं। अगर आप चाहते हों कि इस रिपोर्ट को कंसीडरेशन में न लिया जाय तो एक ब्रीफ स्टेटमेंट आप दे सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, यह कह कर मैं एक बात पर जरूर जोर देना चाहता हूं कि इस विधेयक में किसानों से चकबन्दी के खर्च को लेने की व्यवस्था की गयी है और वह साढ़े चार रुपया प्रति एकड़ के करीब पड़ता है। साढ़े चार रुपया एकड़ बहुत बड़ी रकम है। अनाज की मंदी के कारण किसानों की हालत खराब होती जा रही है। मैं सदन का केवल इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चकबन्दी पंजाब और मध्य प्रदेश में भी हुई है। मध्य प्रदेश में जो कार्य हुआ उसमें तो सरकार ने केवल १२ आना एकड़ तक ज्यादा से ज्यादा किसानों से लिया और इस सम्बन्ध में जो व्यय हुआ है उसका भी ज्यादातर हिस्सा सरकार अपने ऊपर लेती है और किसानों से, सोसाइटियों से जो लेने की संख्या है, वह १२ आना या एक रुपये तक की संख्या है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--मुझे इस पर आपत्ति है। इसका जवाब देना पड़ जायगा तो डिबेट हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--आपकी आपत्ति सही है। मैं समझता हूं कि उनको सीमित रखना चाहिये जो जनरल बात हो। जब खंड आयेंगे तो उस समय यह सब बातें डिटेल में आ जायंगी।

श्री गेंदा सिंह--ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा हो।

श्री अध्यक्ष--(श्री चरण सिंह से) तो आप उत्तर देना चाहते हैं?।

श्री चरण सिंह-- मैं आपकी इजाजत से एक ही फिकरा कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--कहिये।

श्री चरण सिंह--मुझे खेद है कि माननीय गेंदा सिंह जी इस बिल पर भी, जिसमें कोई विवाद नहीं है ऐसा मेरा खयाल है बिल के सम्बन्ध में, लेकिन एक प्रोपेगेंडा का प्वाइंट बनाने का लोभ वह संवरण नहीं कर सके। इसमें केवल यह है कि जो खर्चा है वह वसूल किया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय मंत्री जी ने एक तरह से आक्षेप किया है कि एक ऐसे बिल पर जिसके उसूल पर कोई वाद विवाद नहीं है उसको श्री गेंदा सिंह प्रोपेगेंडा वैल्यू के लिए बनाना चाहते हैं। अगर वह पार्टी के लिए कहते तो ठीक था, लेकिन उन्होंने एक व्यक्तिगत आक्षेप किया है और इस तरह से उन्होंने माननीय गेंदा सिंह जी का अपमान किया है।

श्री अध्यक्ष--मैं जानना चाहता हूं कि गेंदा सिंह जी को उक्त शब्दों से आपत्ति हुई है या उनका सम्बन्ध उनसे ऐसा है कि उन्हें बरदाश्त है?

श्री गेंदा सिंह--मैं राजस्व मंत्री जी के कई खून माफ किये हूं, इसलिये मुझे कोई शिकायत नहीं है।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहावत याद आती है कि "दूध का जला छांछ फूंक फूंक कर पीता है।" चलो माननीय त्रिपाठी जी को इतना ध्यान हो गया इस हद तक, तब तो फिर अच्छे दिन हैं इस सदन के।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि विधेयक में केवल इतना है कि जो खर्चा होगा वह किसानों से लिया जायगा। उसमें न साढ़े चार का जिक्र है, न तीन रुपये तेरह आने का जिक्र है। अगर खर्चा साढ़े चार के बजाय साढ़े तीन आना हो सके तो वही लिया जायगा। तो यह कहना कि साढ़े चार रुपया हो जायगा खर्चा और यह कि इतना बड़ा खर्चा हो जायगा वह मुझे कुछ उचित इस मौके पर नहीं लगा।

[श्री चरण सिंह]

मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट भी आये, अव्वल तो वह भी गैर जरूरी होंगे, उस वक्त अर्ज कर दूंगा। क्योंकि हमने कोई मुकर्रर नहीं किया है कि इतना खर्चा होगा। जो भी खर्चा होगा वह उनको बरदाश्त करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी विधेयक, १९५३ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

निरसन।

२-- यू० पी० कान्सालीडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट, १९३९ एतद्द्वारा निरस्त (Repeal) किया जाता है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

परिभाषाएं।

३--विषय या प्रसंग (Subject or Context) में कोई बात प्रतिकूल (repugnant) न होने पर इस अधिनियम में :

(१) "सहायक चकबन्दी अधिकारी" (Assistant Consolidation Officer) का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत सहायक चकबन्दी अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए धारा ४२ के अधीन नियुक्त करे;

(२) "चकबन्दी" का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में भूमि (land) के अधिकारी विभिन्न खातेदारों के बीच उक्त भूमि के ऐसे पुनर्वितरण से है जिससे कि वे क्षेत्र जो उनके पास समय विशेष पर उक्त रूप में हों, और अधिक संहत (compact) हो जायं,

अपवाद--इस खंड के प्रयोजनों के लिए भूमि के अन्तर्गत बाग भूमि (grove land) अथवा ऐसी भूमि जिसका उल्लेख १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में है, नहीं है, किन्तु पशुचर भूमि उसके अन्तर्गत है।

(३) "चकबन्दी अधिकारी" (Consolidation Officer) का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये धारा ४२ के अधीन नियुक्त करे।

(३क) "चकबन्दी संचालक" (Director of Consolidation) का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो इस अधिनियम के अधीन चकबंन्दी संचालक के कर्तव्यों का पालन करने के लिये सरकार द्वारा धारा ४२ के अधीन नियुक्त किया जाय।

(४) "भूमि" (land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है कि जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण (horticulture) पशुपालन (animal-husbandry) [जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन (pisciculture) और कुक्कुट पालन (poultry farming) भी हैं] से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये हो और इसके अन्तर्गत सम्बद्ध खातेदार की जोत का ऐसा भाग भी है जो उसके मकान या अन्य तत्सम रचना (other similar structure) का स्थल (site) हो।

(५) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "(legal representative)" को दिया गया है ; ऐक्ट ५, १९०८।

(६) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(७) किसी लेख्य के संबंध में "गांव में प्रकाशन" या "गांव में प्रकाशित" (publish) करने का तात्पर्य उस लेख्य को भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक में ऐसे दिनांक को पढ़ कर सुनाना जिसकी सूचना भूमि प्रबन्धक समिति के प्रत्येक सदस्य को दी जायगी और जिसकी घोषणा गांव में डुग्गी पिटवाकर की जायगी, और गांव में किसी प्रमुख स्थान पर लगा देना है।

(८) "बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)" [settlement officer (consolidation)] का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत बन्दोबस्त (चकबन्दी) [settlement officer (consolidation)] के कार्य करने के लिये धारा ४२ के अधीन नियुक्त करे तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिन्से राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) [settlement officer (consolidation)] के कोई या सभी कार्य करने को अधिकृत करे ;

(९) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(१०) "खातेदार" (tenure-holder) का तात्पर्य सम्बद्ध भूमि के भूमिधर, सीरदार, अधिवासी अथवा असामी से है ;

(११) उन शब्दों अथवा पदों के,

(क) जिनकी इस अधिनियम में परिभाषा नहीं की गयी है किन्तु जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में परिभाषित हैं, अथवा यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१।

(ख) जो इस अधिनियम में अथवा यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में परिभाषित नहीं हैं किन्तु जिनकी परिभाषा १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में की गयी है, यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१।

वही अर्थ होंगे जो उनके उस ऐक्ट, या उस अधिनियम में किये गये हैं जिनमें वे परिभाषित हैं। उ० प्र० अधिनियम १, १९५०।

श्री अध्यक्ष (श्री नारायण दत्त तिवारी से)—आप संशोधित रूप में संशोधन पेश करना चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)-- जी हां।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :-

खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द "खातेदारों के बीच" के बाद शब्द "उक्त" से लेकर "हो जायं" तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"क्षेत्रीय भूमि की ऐसी पुनर्व्यवस्था तथा पुनर्संगठन से है जिससे कि वे खाते जो उनके पास निश्चित दिनांक पर उक्त रूप में हों और अधिक संहत हो जायं।"

क्योंकि मूल विधेयक में जैसा कि वह प्रस्तुत है पुनर्वितरण शब्द इस्तेमाल किया गया है और पुनर्वितरण शब्द का चकबन्दी की परिभाषा में इस्तेमाल होना कुछ भ्रामक सा लगता है, क्योंकि इससे ऐसा मतलब निकलता है कि अन्ततः चकबन्दी एक प्रकार का जो पुनर्वितरण का सिद्धान्त है उसके अनुरूप कोई प्रक्रिया उसकी हो जाती है जबकि वस्तुतः बात ऐसी नहीं है, इसी विधेयक से स्पष्ट है कि साढ़े छः एकड़ से ऊपर के जो चक होंगे उनको जहां तक हो सकेगा वितरित नहीं किया जायगा, उनको हाथ नहीं लगाया जायगा। पंजाब में भी जहां पर कि चकबन्दी सब से अधिक कामयाब बतायी जाती है २ करोड़ १० लाख एकड़ भूमि में से केवल २० लाख एकड़ भूमि में चकबन्दी की जा सकी। तो यह जो अधिनियम चकबन्दी के हेतु है वह वास्तव में छोटी होल्डिंग्स के लिए है जो कि साढ़े ५ एकड़ से कम के हैं, उनको और अधिक संहत करने के लिये है, सैकड़ों खेत हों उनको कम करने के लिए है, हजारों खेतों को सैकड़ों में परिवर्तित करने के लिये है। लेकिन यह किसी क्षेत्र में कमती बढ़ती नहीं करता। इसमें एक जगह प्राविजो स्पष्ट है कि जितनी जमीन थी २० प्रतिशत उससे ज्यादा या कम किसी होल्डिंग में किसी को नहीं दी जायगी, अदलाबदली में या पुर्नसंघठन में किसी होल्डिंग में २० प्रतिशत जमीन से कम नहीं दी जायगी। इसलिये इसके लिये पुनर्वितरण शब्द यहां पर प्रयोग करना कुछ उचित नहीं है। इसको हम पुर्नसंघठन या पुनर्व्यवस्था ही कह सकते हैं इसीलिए मैंने जहां पर शब्द विधेयक में "उक्त क्षेत्र" है "उक्त क्षेत्र" को भी स्पष्ट कर दिया है। चूंकि यहां पर उक्त का अर्थ खातेदार के खाते से भी हो सकता है और क्षेत्र से भी हो सकता है, इसलिये मैंने उक्त को स्पष्ट करके क्षेत्रीय भूमि कर दिया है। चूंकि और भी क्षेत्र शब्द प्रयुक्त किये गये हैं इसलिये मैंने उक्त के स्थान में क्षेत्रीय शब्द प्रयुक्त किया है और बीच में जाकर "जिससे वह क्षेत्र जो उनके पास समय विशेष पर उक्त रूप में हों", उससे तो खातेदार के पास क्षेत्र यह गलत सा मालूम पड़ता है तो यहां पर हमने "क्षेत्र" को बदलकर "खाते" शब्द का प्रयोग किया है। इसमें मैंने शब्द "निश्चित दिनांक" भी बढ़ाये हैं। यहां पर मेरा तात्पर्य उस तरीख से है जिसमें कि विभिन्न क्षेत्र के लिए विभिन्न दिनांक से जो अर्थ आता है यानी किसी क्षेत्र के लिए जो दिनांक निश्चित किया जाय वह अर्थ है क्योंकि ऐसी भी जमीन ली जा रही है और भूमि व्यवस्था का संगठन जिस प्रकार हो रहा है उसके अनुसार निश्चित दिनांक तक जिनके पास जो खाते हों, तो यह "समय विशेष पर" को बदल कर "निश्चित दिनांक" का प्रयोग किया है। रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द यह क्यों नहीं रहना चाहिये उसके सम्बन्ध में मैं दो एक परिभाषा रखना चाहता हूं। डिपार्टमेंट आफ स्टेटिक्स ऐंड इकानामिक्स यू० पी० की तरफ से एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स कानपुर के बारे में एक रिपोर्ट निकली है उसमें कंसालिडेशन की जो परिभाषा की गई है उसको मैं माननीय मंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं, अगर माननीय मंत्री जी ध्यान दें तो उसी रिपोर्ट के पेज ६८ में है :--

"Consolidation of holding is a process of substitution by exchange of land of a compact block with a number of scattered fragments. By this process all the land of one cultivator may be formed into one plot only or into a few plots of different kinds of soil."

तो इसमें भी प्रोसेस पर सबस्टीट्यूशन कहा गया है। तो जितनी थोड़ी बहुत वितरण करने की आवश्यकता पड़ती है वह भी पुनर्व्यवस्था शब्द में आ जाती है। इसके बारे में मैं आपकी आज्ञा से 'बेटर विलेजेज' पुस्तक एक हिन्दुस्तान के एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट की है, उनकी किताब में से परिभाषा उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बतलाया है कि--

"The remaining land is then divided up amongst members in proportion to their original holdings."

यानी जितनी ओरिजनल होल्डिंग थी उसी के हिसाब से जमींन का पुर्नसंगठन होता है, कोई उसमें कमी या वृद्धि नहीं होती है। इसीलिये "पुनर्वितरण" शब्द का प्रयोग करना मिसनोमर है। मैंने इस सम्बन्ध में पंजाब के ऐक्ट की परिभाषा भी देखने की चेष्टा की। वहां "रिडिस्ट्रिब्यूशन" शब्द का दूसरे मानों में प्रयोग किया गया है। पंजाब ऐक्ट में कंसालिडेशन आफ होल्डिंग के रूप में उसकी परिभाषा की गयी है और "होल्डिंग" शब्द की अलग परिभाषा दी गयी है। कंसालिडेशन आफ होल्डिंग की परिभाषा में यह कहा गया है--

"Consolidation of Holdings" means the redistribution of all or any or any of the lands in an estate or sub-division of an estate so as to reduce the number of plots in the holdings.

तो पंजाब ऐक्ट में रिडिस्ट्रीब्यूशन की परिभाषा एक दूसरी है। वह इस्टेट के एक हिस्सा से सम्बन्ध रखती है। ऐसे ही यू० पी० का जो सन् ३९ का कंसालिडेशन ऐक्ट था, उसमें कंसालिडेशन का अर्थ इस प्रकार था--

"Consolidation" means the redistribution of land between the cultivators there of in such a way as to make the areas cultivated by them more compact."

यहां पर कंसालिडेशन की जो परिभाषा है वह इस नये विधेयक में लैंड की परिभाषा से मेल नहीं खाती है और क्षेत्र की परिभाषा से मेल नहीं खाती। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि मेरे इस अत्यंत आवश्यक संशोधन को स्वीकार करें ताकि पुनर्वितरण शब्द का कोई ग़लत अर्थ न लगाया जा सके। "पुनर्व्यवस्था" और "पुर्नवितरण" शब्द से इसका पूरा अर्थ आ जाता है।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की स्पीच सुनकर मैं हैफ रह गया। लफ्ज हैफ मैं जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्होंने कंसालिडेशन की जो तारीफ पंजाब और यू० पी० के पुराने ऐक्ट्स में से पढ़ कर सुनाई, उसमें रिडिस्ट्रिब्यूशन का मतलब है कि रिडक्शन आफ दि नम्बर आफ प्रेजेंट प्लाट्स इन ए लेसर नम्बर आफ प्लाट्स। प्लाट्स को इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट करना कि पहले से नम्बर कम हो जाय। इसको आप अपने हक में खयाल कर रहे हैं, इसके लिये बलिहारी जाऊं और क्या कहूं। आपका यह कहना है कि रिडिस्ट्रिब्यूशन के माने जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी या आम तौर पर लोग कहते हैं कि जमीन आपस में बराबर-बराबर बांट दी जाय, कहीं यहां पर भी न माने जायं। दरअसल बात यह है कि वह जो रिडिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को बराबर-बराबर जमीन दे दी जाय, वह ग़लत इस्तेमाल करते हैं। रिडिस्ट्रिब्यूशन से कहीं यह मतलब नहीं होता है कि लोगों को बराबर-बराबर मिल जाय। इसलिये रिडिस्ट्रिब्यूशन लफ्ज यहां पर बिल्कुल ठीक है। एक तो मुझे यह एतराज है।

दूसरा यह है कि जो आपने अमेंडमेंट दिया है उसमें यह है "क्षेत्रीय भूमि की ऐसी पुनर्व्यवस्था तथा पुनर्संगठन से है", भूमि सारे क्षेत्र में बंटी हुई होगी। क्षेत्रीय भूमि से क्या मतलब है? यह शब्द मैंने आज सुना है। भूमि जो है वह क्षेत्रों में बंटी हुई होती है चाहे किसी प्रकार के क्षेत्र हों। इसलिये यह बेमाने है। अध्यक्ष

[श्री चरण सिंह]

महोदय, फिर अमेंडमेंट में यह है "जिससे वे खाते जो उनके पास..." किन के पास? अगर आपका अमेंडमेंट मान लिया जाय तो 'उन' किसको रिफर करता है। ये दो इसमें टेकनिकल या ग्रेमेटिकल गल्तियां हैं और असली गलती वह है कि खुद पढ़ करके सुना रहे हैं कि कंसालिडेशन का मतलब रिडिस्ट्रिब्यूशन है और उसी के खिलाफ कह रहे हैं।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि रिडिस्ट्रीब्यूशन जो इस भवन में इस्तेमाल किया जाता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन भूमि का मतलब वहां पर गलत है क्योंकि यहां पर रिडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही। लेकिन फिर भी मैं इतना, अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो रिडिस्ट्रीब्यूशन के बजाय रिआर्गेनाइजेशन हो जाय तो अच्छा रहेगा और जो डेफनीशन हमारी है, उसमें जो पुनर्वितरण है उसकी जगह पर पुनर्संगठन अगर सदन इजाजत दे दे, आपकी अनुमति से, तो उसके लिये मैं तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने पुनर्संघठन और पुनर्व्यवस्था कहा है।

श्री चरण सिंह--- पुनर्व्यवस्था की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो आप उसके लिये संशोधन भिजवा दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इसमें तो पुनर्संघठन लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---वह तो उनका एक जनरल सजेश्शन है।

(श्री नारायणदत्त तिवारी से) आपको कोई जवाब देना है? नहीं देना है, तो मैं वोट लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के शब्द "खातेदारों" के बीच के बाद के शब्द "उक्त" से लेकर "हो जायं" तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"क्षेत्रीय भूमि की ऐसी पुनर्व्यवस्था तथा पुनर्संगठन से है जिससे वे खाते जो उनके पास निश्चित दिनों पर उक्त रूप में हों और अधिक संहत हो जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह साधारण सी बात है, शायद क्षेत्र के स्थान पर क्षेत्र होना चाहिये, यह ग़लत छप गया है। यह तो मैं खुद ही ठीक कर दूंगा।

श्री श्रीचन्द---इसमें यह ग़लत छप गया है, विधेयक में क्षेत्र छपा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---मैं दुरुस्त कर दूंगा, जो ऐसी टाइपिंग या प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं उसको दुरुस्त करने का अधिकार मुझको है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा ३ के उपखंड २ की तीसरी पंक्ति में "पुनर्वितरण" के स्थान पर 'पुनर्संगठन' शब्द रख दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो मेरे संशोधन की बुनियाद थी उसको मान लिया, इसलिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं आखिर कह क्या रहा था, मैं यही कह रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन का शब्द यहां ग़लत है। उन्होंने बड़े जोरों से मेरी बात को चैलेंज किया कि पंजाब में वही है और यू० पी० में वही है लेकिन बाद में वही बात उन्होंने मान ली। मुझे यह आश्चर्य मालूम हुआ कि उन्होंने हैरतअंगेज विरोध किया और आखिर में उसको मान लिया। इतनी ही बात मुझे कहनी है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, जहां पुनर्वितरण की जगह पर पुर्नसंगठन करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इसमें कोई मानी ही नहीं हैं। यह तो महज यह है कि हमारे मित्र नारायणदत्त जी के कहने पर एक बात उन्होंने कही, वही इन्हीं की सोशलिस्ट फिलासफी पुनर्वितरण और रिडिस्ट्रीब्यूशन की। लिहाजा उससे भय खाकर मंत्री जी भी कहते हैं कि पुर्नसंगठन होना चाहिये। यू० पी० कांससिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट, १९३९, में कांसलिडेशन मीन्स रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड, आखिर क्यों यह संशोधन लाया जाय, मेरी समझ में नहीं आता। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का मतलब केवल इतना है कि जिसके जितने प्लाट्स हों वे सब एक कम्पैक्ट एरिया में कर दिये जायं। मैं नहीं समझता कि यह शब्द कैसे आपत्ति के लायक़ है। पुर्नसंगठन तो बिल्कुल उचित शब्द है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ३ (२) की पंक्ति ३ में शब्द "पुर्नवितरण" के स्थान पर शब्द "पुर्नसंगठन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में से शब्द "और" निकाल दिया जाय।

इसके मानी तो यह हो जाते हैं कि पहले से खाते में जो जमीनें थीं वे पहले से संहत थीं। पहले तो कोई खेत कहीं कोई खेत कहीं था। संहत नहीं थे। इसलिये मुझे यह मालूम होता है कि यह "और" शब्द हटा देना चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—स्वीकार है।

श्री चरण सिंह—मुझे यह अर्ज करना है कि यह "और" शब्द रखा जाय। उसका कारण यह है कि टू मेक इट मोर कम्पैक्ट। यही सेंस भी है।

श्री रतनलाल जैन—और अधिक संहत के मानी तो यह हो जाते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि पहले से संहत है और उन्हें और संहत किया जाय। चूंकि पहले से खेत इधर-उधर बिखरे पड़े हैं, संहत नहीं हैं, इसलिये और अधिक संहत ठीक नहीं जंचता।

श्री चरण सिंह—खेत तो संहत माने ही जाते हैं क्योंकि मान लीजिये कि किसी के पास ५० खेत हैं जो आधे-आधे बिस्वे के हैं मगर वे सब किसी दूसरे की अपेक्षा तो कम्पैक्ट हैं ही। यह कम्पैक्ट टर्म खुद रिलेटिव है, ऐबसोल्यूट नहीं है। इसलिये जितने भी आज खेत हैं वे दूसरे खेतों के मुकाबले कम्पैक्ट कहे जाते हैं।

श्री रतनलाल जैन—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ३" के उपखंड (२) के अपवाद की पंक्ति में शब्द "ई०" तथा "उत्तर" के बीच के शब्द "के" के स्थान पर शब्द "का" रख दिया जाय तथा पंक्ति ४ में शब्द "अधिनियम" और शब्द "में" के बीच शब्द "की धारा १३२" जोड़ दिये जायं।

[श्री जयराम वर्मा]

श्रीमान् जी, जहां तक इसके पहले का भाग का सम्बन्ध है वह तो व्याकरण की अशुद्धि है और उसका जो दूसरा भाग है उसमें शब्द "की धारा १३२" छूट गये थे और उनका रखा जाना बहुत जरूरी है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---स्वीकार है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---मेरा भी संशोधन इसी के साथ हो जाय।

श्री अध्यक्ष---वह बाद को ले लेंगे।

श्री कमला सिंह---मेरा संशोधन भी इसी के साथ-साथ हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है। मेरा छोटा सा संशोधन है।

जहां तक वर्मा जी ने कहा कि "के" के स्थान पर "का" कर दिया जाय तो उसकी जरूरत नहीं है वह तो ठीक ही है। लेकिन जहां तक "की धारा १३२" के जोड़ने का सवाल है तो इसको अवश्य जोड़ दिया जाय क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हैं। इसमें यह बतलाया गया है कि कुछ भूमि ऐसी हैं जिसमें सीरदार के अधिकार किसी को न दिये जायं। कारण यह दिया हुआ है कि पास्चर लैंड या ऐसी भूमि जिस पर पानी हो और वह सिंघाड़े वग़ैरा के पैदा करने के काम में आती हो या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी-कभी काम में आती हो। इसीलिये जरूरी है कि पास्चर भूमि निकाल दी जाय और धारा १३२ के जोड़ देने से बात बिल्कुल क्लीअर हो जाती है। इसलिये यह उचित है और शब्द "के" के स्थान पर शब्द "कोई" नहीं होना चाहिये।

श्री चरण सिंह---श्री जयराम वर्मा का संशोधन बिल्कुल सही है।

श्री अध्यक्ष---आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं?

श्री चरण सिंह---मुझे तो "के" ही ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसी भूमि जिसका उल्लेख १९५० ई० के, तो यही अच्छा लगता है।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमान् जी, मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है कि "का" रखा जाय तो उसका कारण यह है कि इस विधेयक के नाम में के नहीं है बल्कि उसमें "का" है। नाम बदला नहीं जा सकता है। इसलिये जैसा अधिनियम का नाम है इसको भी वैसे ही रखना चाहिये। क्योंकि 'का' नाम में है। इसलिये "का" ही ठीक है।

श्री चरण सिंह---अधिनियम का नाम तो यह है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०। टेक्निकली देखा जाय तो यह है। यह कहां है कि १९५० ई० का ...

श्री अध्यक्ष---अब मैं इसके ऊपर राय ले लेता हूं और दो हिस्सों में राय लूंगा। (श्री जयराम वर्मा से) क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं?

श्री जयराम वर्मा--- मैं इसे वापस ले लूंगा लेकिन मेरी एक बात और सुन ली जाय।

श्री अध्यक्ष---कहिये?

श्री जयराम वर्मा---अगर उसका नाम अलग नहीं लिखा जायगा तो "१९५० ई० का" लिखा जायगा, "१९५० ई० के" नहीं लिखा जायगा। अगर नाम में "के" रख दिया जायगा तो अशुद्ध हो जायगा।

श्री चरण सिंह---अगर कहीं भी नाम लिखा जायगा तो यों लिखा जायगा, "जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०"। कहीं भी '१९५० ई० का' नहीं लिखा जायगा। लेकिन वैसे, अध्यक्ष महोदय, कोई एतराज न हो तो मैं आपके ही ऊपर छोड़ता हूं, जो आप ठीक समझें वह कर दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त तो मुझे 'के' ठीक मालूम होता है, 'का' ठीक से जमता नहीं।

श्री जयराम वर्मा---मैं भी आपके ही ऊपर छोड़ता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं तो पहले सदन की राय ले लूंगा और उसके बाद भी जो ठीक मालूम हो वह मैं कर सकता हूं क्योंकि यह तो केवल शाब्दिक संशोधन है।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के अपवाद की पंक्ति ३ में शब्द 'ई०' तथा शब्द 'उत्तर' के बीच 'के' के स्थान पर शब्द 'का' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के अपवाद की पंक्ति ४ में शब्द 'अधिनियम' और शब्द 'में' के बीच शब्द 'की धारा १३२' जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :---

खंड ३ उपखंड (३-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :---

"चकबन्दी संचालक (डायरेक्टर आफ कन्सालिडेशन) से तात्पर्य संचालक योजना विभाग (प्लानिंग कमिश्नर) से होगा।"

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में केवल इतना है कि जैसा मैंने पहले कहा कि इस विधेयक में कई नये अधिकारियों के रखने की गुंजायश है। इस अधिनियम की धारा ४२ में यह बतलाया गया है :---

"इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है :---

(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी,
(२) चकबन्दी अधिकारी,
(३) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी,
(४) सहायक संचालक चकबन्दी,
(५) चकबन्दी संचालक।

तो यह एक बड़ी भारी तादाद है और इससे काम में खर्च बहुत बढ़ने की सम्भावना है। काफी लम्बी-लम्बी तनख्वाहों के ये स्थान होंगे और वैसी हालत में चकबन्दी के खर्च को कम करने में बहुत कठिनाई होगी और अगर चकबन्दी में खर्च बढ़ेगा तो इसमें कोई शक नहीं कि लोगों के ऊपर भार बढ़ेगा और चकबन्दी के सम्बन्ध में जो हमने यह सोचा है कि एक बड़ी लोकप्रिय मांग है, उस लोकप्रिय मांग के होते हुये भी उससे लोगों को दिक्कत होगी। ऐसी हालत में जिसके जिम्मे हमारा सारा डेवलपमेंट का काम किया गया है और मैं समझता हूं कि यह कार्य भी डेवलपमेंट का ही है और

[श्री गेंदा सिंह]

हमारी पंचवर्षीय योजना में भी मुख्य धंधा खेती का ही है। अब खेती की योजना और चकबन्दी की योजना दोनों भिन्न-भिन्न होते हुए भी, वह भी खेती की उपज को बढ़ाने के लिये ही है। खेती की उपज को बढ़ाने के लिये ही चकबन्दी रखी गयी है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह काम टेक्निकल है और यह भी हो सकता है कि योजना विभाग में लोग इस काम को पूरे तरीके से न कर पायें लेकिन जहां तक बड़े अफसरों, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का सम्बन्ध है, मेरा तो ऐसा अनुभव है कि उसमें वही लोग रक्खे जाते हैं जिनको रेवेन्यू विभाग की बहुत अच्छी जानकारी होती है। यह नहीं कहा जा सकता कि वह लोग जो आज योजना के सब से ऊंचे ओहदों पर हैं वही आगे भी रखे जायेंगे। आज यह बात है कि वे लोग माल विभाग की बहुत ही अच्छी योग्यता रखते हैं। इसलिये मैं ख्याल करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को इसमें कोई कठिनाई न होगी। योजना विभाग के मातहत में ही इस काम को भी रखा जाय। देखरेख उनकी रहेगी। इस तरह से एक बहुत बड़ा खर्चा बच जायगा और किसानों के ऊपर जो खर्चा पड़ने वाला है वह खर्चा कम हो जायगा।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं और उसकी वजह बहुत साफ है। आप प्लानिंग और डेवेलपमेंट कमिश्नर को जो काम देना चाहते हैं वह खुद इतना बड़ा काम है कि वह अपने काम के अलावा उस काम की देखरेख नहीं कर सकते। यह ठीक है प्लानिंग और डेवलपमेंट में खेती का काम होता है लेकिन उसमें ऐनीमल हस्बैंडरी, सहकारिता और शिक्षा भी है। इसके अलावा प्लानिंग का और भी बहुत सा काम है। तो उनको जो आज काम सुपुर्द हैं वे स्वयं इतने ज्यादा हैं कि उनसे उनको अवकाश नहीं मिल सकता। अगर हम इस काम को प्लानिंग ऐण्ड डेवलपमेंट कमिश्नर को दे देते हैं तो उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफीसर्स को भी यह काम दिया जायगा। इस हालत में उनके पास केवल चकबन्दी कराने के और कोई काम वे कर नहीं पायेंगे और प्लानिंग के कमिश्नर न होकर चकबन्दी के ही हो जायेंगे।

दूसरी बात यह है कि गेंदा सिंह जी ने कहा कि एग्रीकल्चर से इसका सम्बन्ध है तब तो फिर इसको डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर के सुपुर्द किया जाना चाहिये। माननीय त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि उनके सुपुर्द ही कर दिया जाय तो फिर डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर कानूनगो और तहसीलदार को कैसे हुक्म देंगे, एग्रीकल्चर इंसपेक्टर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंसपेक्टर को तो वह हुक्म दे सकता है।

अब यह कहना कि खर्चा होगा तो डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर इन दोनों के न रखे जाने से कैसे खर्चा कम हो जायगा। खर्चा जो होगा वह तो नीचे जो स्टाफ रखा जायगा उस पर होगा। उसके लिये जो कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार रखे जायेंगे उन पर खर्चा होगा। फिर केवल इस्टैब्लिशमेंट का ही खर्चा नहीं होगा, और भी खर्चा होगा। यह भी कहा जा सकता है कि कुछ खर्चा तो घटेगा ही। टेकनीकली तो यह कहा जा सकता है लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही कम होगी। इसलिये माननीय गेंदा सिंह जी स्वयं इस पर विचार कर लें और अपना अमेंडमेंट वापिस ले लेंगे तो अच्छा होगा।

एक बात और इसके अलावा कहना चाहता हूं कि हम यह कहां कहते हैं कि डायरेक्टर आफ कंसोलिडेशन हम अलहदा से मुकर्रिर करेंगे और पहले से जो अधिकारी हैं उनको अख्तियारात नहीं देंगे। इसके लिहाज से हम कमिश्नर आफ प्लानिंग को भी डायरेक्टर आफ कंसोलिडेशन बना सकते हैं। इस वजह से भी इस अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं यह बता सकता हूं कि हमें उसको अलहदा ही रखना होगा क्योंकि

प्लानिंग कमिश्नर के पास बहुत ज्यादा काम है। क्योंकि इस कानून से भी उनकी जो मंशा है वह पूरी हो जाती है, इसलिये इस अमेंडमेंट की कोई जरूरत मालूम नहीं देती।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस संशोधन का जो तात्पर्य था वह तो एक प्रकार से कुछ प्रत्यक्ष तरीके से मानने की चेष्टा की जब उन्होंने यह कहा था कि यह हो सकता है कि हम आगे जाकर इन्हीं प्लानिंग कमिश्नर साहब को ही डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन मान लें। अगर ऐसी बात है तो मैं तो यह चाहता कि वे स्पष्ट इस बात की घोषणा कर देते।

श्री चरण सिंह--मैंने शुरू में ही घोषणा कर दी कि नहीं। वैसे ऐसा करने में कोई टेकनिकली व लीगली कोई रुकावट नहीं है लेकिन उनके पास समय नहीं है कि वे इस काम को भी कर सकें।

श्री अध्यक्ष--(श्री नारायण दत्त तिवारी से) आप बैठ जायं। दो आदमी एक ही समय खड़े नहीं रह सकते।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय मंत्री जी ने इन्ट्रप्ट करना चाहा था इसलिये मैं.....

श्री अध्यक्ष--"मैं ईल्ड नहीं करता" यह वाक्य आप कह सकते थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस सम्बन्ध में उनके सामने कई मिसालें मिलती हैं। क्योंकि अब तक का अनुभव रहा है कि इस चकबन्दी के सिलसिले में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को जितनी कामयाबी मिली है उतनी और किसी डिपार्टमेंट को नहीं मिली। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वह भी प्लानिंग कमिश्नर साहब के ही हाथ है और उन्हीं के निरीक्षण में है। जहां तक काम करने का सवाल है आज कल प्लानिंग कमिश्नर साहब के पास ६, ७ डिपार्टमेंट्स हैं। कितने डाइरेक्टर्स रजिस्ट्रार्स और पंचायत राज तक का काम उनके निरीक्षण में है। अगर एक-एक विभाग को सहकारिता और पंचायत राज को ही ले लिया जाय तो उसका ही इतना काम है कि एक विभाग के काम को सम्भालने में ही वे असमर्थ होंगे। वे आल इन आल नहीं लेकिन ओवर आल डाइरेक्टर हैं। इस प्रकार इस नियोजन के दृष्टिकोण से भी कंसालिडेशन का काम उनके सुपुर्द हो जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें सदन को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। जिला प्लानिंग अफसर से माननीय मंत्री जी को शायद ग़लतफहमी हो गई कि श्री गेंदा सिंह का अभिप्राय है कि एक जिला प्लानिंग अफर होगा और एक जिला चकबन्दी अफसर होगा। जहां तक मैंने श्री गेंदा सिंह जी का तात्पर्य ससझा, कोई ऐसी बात नहीं है। उनका तात्पर्य यह था कि जो जिला प्लानिंग अफसर होगा वह जिला चकबन्दी अफसर हो। उनका तात्पर्य यह था कि उनका एक प्रदेशिक स्तर होना चाहिये। संशोधन डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन के सम्बन्ध में था। सन् २५ में बिजनौर और सहारनपुर में मिस्टर बेग के जमाने में जितना काम हुआ है, सन् ३२ में जितना कंसालिडेशन का काम हुआ है वह सारा का सारा कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की ओर से हुआ और सन् ३९ के ऐक्ट के अनुसार भी जो ७१ हजार एकड़ भूमि कंसालिडेट हुई वह भी कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के जरिये ही हुई। और पंजाब को तो एक खास मिसाल हमारे सामने है जहां कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जितना खर्च किया उससे आधे खर्च में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने कंसालिडेट किया। मिसाल के तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ७ जिले में ३ लाख ८४ हजार एकड़ जमीन कंसालिडेट की जिसका खर्चा सन् ४५, ४६ में ३ रु० ५ आ० प्रति एकड़ पड़ा लेकिन

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जब उसी काम को कांगड़ा जिले में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने किया तो वह १ रु० ८ आ० प्रति एकड़ पड़ा। एक तरफ तो ३ रु० ५ आ० और दूसरी तरफ १ रु० ८ आ० प्रति एकड़ खर्च पड़ा। तो अधिकतर १४ जिलों में जो काम हुआ कुल २० लाख एकड़ में १२,६५,००० एकड़ जमीन कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने कंसालिडेट की। तो इससे यह साबित होता है कि हमें कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की सहायता इस सम्बन्ध में लेनी चाहिये। इस पर माननीय मंत्री विचार कर सकते हैं कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट प्लानिंग कमिश्नर के निरीक्षण में हो। इसलिये इस दृष्टिकोण से क्या मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूं कि वह पुनर्विचार करें और माननीय गेंदा सिंह के इस संशोधन को स्वीकार करें ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और उसकी वजह यह है कि जहां तक ३ (क) इस विधेयक का है उसमें यह है—"चकबन्दी संचालक का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी संचालक के कार्यों का पालन करने के लिये सरकार द्वारा धारा ४२ के अधीन नियुक्त किया जाय"।

तो यह स्पष्ट बात है कि सरकार जिसको मुनासिब समझेगी वह डायरेक्टर आफ कंसालिडेशन होगा। रही यह बात कि प्लानिंग कमिश्नर को यह काम सुपुर्द कर दिया जाय तो श्रीमान् उसमें भय यह है कि पंचवर्षीय योजना पर भी धक्का पहुंच सकता है। मैं आपको सही बतलाता हूं कि पंचवर्षीय योजना का जो भार है वह कोई सरल नहीं है और उसके लिये ऐसे डायरेक्टर की जरूरत है जो चकबन्दी के काम को अच्छी तरह से समझ सके, उसमें कुशल और निपुण हो। लिहाजा इस वक्त यह कहना मुनासिब न होगा और मैं माननीय गेंदा सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि उसमें कोई उसूल की बात नहीं है और यह हो सकता है कि किसी प्लानिंग कमिश्नर के हाथ में इस कार्य के देने से इस कार्य की कुशलता में कुछ हानि पहुंचे।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जो सरकारी कार्य हैं उनके कोआर्डिनेशन के सिलसिले में कुछ मुझे ही नहीं और लोगों को भी शिकायत रहती है और इस कोआर्डिनेशन के न होने से खर्चा भी अधिक पड़ता है और एक ही काम पर कई आदमी पहुंचते हैं। इसलिये वह काम ठीक से भी नहीं हो पाता है। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि डेवलपमेंट के काम से चकबन्दी का काम कोई अलग काम है। खेती से सम्बन्धित इसका काम है और खेत की उपज बढ़ाने का काम है और योजना विभाग का कार्य भी खेती की तरक्की करना है। दूसरी बात यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि यह तो नहीं कर दिया गया कि किसी दूसरे को कंसालिडेशन डायरेक्टर हम मुकर्रर करेंगे लिहाजा इसकी गुंजाइश है। इसके अलावा खर्चे का सवाल हमारे सामने आता है। यह भी सही है कि डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता लेकिन साधारणतया अर्थ शास्त्र का जाननेवाला आदमी एक-एक पैसे का हिसाब रखता है और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा बचा कर बहुत बड़ी रकम हो जाती है। इस दृष्टि से अगर कोआर्डिनेशन के साथ प्रोग्राम होता तो उससे अधिक लाभ होने की गुंजायश थी और खेती के सम्बन्ध में व्यय कम होता। राजस्व मंत्री के इस आश्वासन पर कि आगे इस बात पर ख्याल रक्खा जायगा और इस पर वह विचार करेंगे कि योजना विभाग के लोगों को इस कार्य में लगाया जाय मुझे प्रसन्नता हुई। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में, बड़े भाग्य से ही कभी-कभी ऐसे लोग मिल पाते हैं जिन पर भरोसा कर सकें। मैं किसी के नाम का तो जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन योजना विभाग में कुछ ऐसे ऊंचे

अफसर में से ऐसे आदमी हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं और चकबन्दी का काम पिछले जमाने में जो फेल हुआ उसमें सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि किसानों को भरोसा नहीं था कि जो उनके अच्छे खेत निकल रहे हैं वे उनको मिल पायेंगे। इसलिये भरोसे के दो, तीन या चार आदमी अगर हमें मिल पायें तो उससे हम समझते हैं कि चकबन्दी का काम सुचारू रूप से चल सकेगा और सरकार का यह कार्य सफल हो सकेगा। मैं माननीय राजस्व मंत्री के इस आश्वासन पर कि वह मेरे सुझाव पर विचार करेंगे मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री चरण सिंह—बड़ी मेहरबानी है गेंदा सिंह जी की जो वे इसको वापिस ल रहे हैं लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि जहां एक काम पर बहुत से आदमी न रखे जायं यह बात ठीक है वहां यह भी नहीं होना चाहिये कि सब कामों को एक ही आदमी करे और वही सही कर सकेगा। यों तो अब वह वापिस ले ही रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—(श्री गेंदा सिंह से) क्या आप इसको वापिस ले रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह—जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

(खंड ३ के उपखंड (७) को, जो कोष्ठकों "[ ]" के अधीन है न निकाला जाय और उसकी पंक्ति ४ में शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "दस" रख दिया जाय।)

अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के पहले इस बिल में गांव वालों को कागज पत्र देखने का अधिकार पांच दिन तक रखा गया था लेकिन इधर कमेटी की रिपोर्ट में वह पांच दिन भी गायब कर दिया गया है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि गांव समाज को कागज-पत्र देखने का अधिकार उसमें अवश्य रख दिया जाय नहीं तो गांव वालों में काफी भ्रम पैदा हो सकता है।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि माननीय रमेशचन्द्र जी का यह संशोधन अनावश्यक है। इसमें साफ लिखा हुआ है "किसी लेख्य के सम्बन्ध में "गांव में प्रकाशन" या "गांव में प्रकाशित" ( ) करने का तात्पर्य उस लेख्य को भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक में ऐसे दिनांक को पढ़ कर सुनाना जिसकी सूचना भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य को दी जायगी, और जिसकी घोषणा गांव में डुग्गी पिटवा कर की जायगी, और गांव में किसी प्रमुख स्थान पर लगा देना है"। तो इसमें तो है कि गांव के प्रमुख स्थान पर वह चिपकी रहेगी तब तक चिपकी रहेगी जब तक कोई बच्चा उसे उखाड़ कर न फेंक दे।

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह तो यह चाह रहे हैं कि जो पहले का है वह पूरा का पूरा वैसा ही रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह—वह नहीं हो सकता क्योंकि सेलेक्ट कमेटी ने विचार करके रखा है और अब १० दिन या ५ दिन का सवाल नहीं है। वह गांव सभा को सुना दिया जायगा और उसके बाद किसी कांसपिकुअस प्लेस पर टांग दिया जायगा और वह टंगा रहेगा।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री श्रीचन्द—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने संशोधन का प्रथम भाग पेश करना चाहता हूं जो इक प्रकार है कि खंड ३ के उपखंड (७) की पंक्ति ३ में शब्द 'को' के स्थान पर शब्द 'पर' रख दिया जाय।

श्रीमन्, इसमें यह लिखा है कि इस लेख को भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक में ऐसे दिनांक को पढ़कर सुनाना, तो दिनांक को और लेख को दोनों को पढ़ कर सुनाना तो बहुत से स्थानों में दिनांक को और लेख को पढ़ कर सुना दिया जायगा और असली लेख नहीं पढ़ा जायगा। इसलिये यहां "को" के स्थान पर "पर" होना चाहिए।

श्री चरण सिंह—माननीय श्री श्रीचन्द जी "को" के स्थान पर "पर" चाहते हैं लेकिन इसमें तो ऐसा है कि ऐसे दिनांक को पढ़ कर सुनाया जायगा अंग्रेजी में तो ठीक है "आन ए डेट" और "आन" के मानी "पर" के हैं लेकिन हमारे यहां तो ऐसा कहा जाता है कि मैं इतवार को मुजफ्फरनगर जाऊंगा या चौथी तारीख को सुल्तानपुर जाऊंगा। तो "को" ठीक है यह नहीं कहा जाता कि "चौथी तारीख पर सुल्तानपुर जाऊंगा" इसलिये "को" ही ठीक है।

श्री श्रीचन्द—मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (७) के अन्त में शब्द "है" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

> "तथा गांव सभा के कार्यालय में कम से कम १० दिन तक लगातार रखे रहना है ताकि इस विषय में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका निरीक्षण किया जा सके।"

जैसा कि हमारे भाई रमेशचन्द्र शर्मा जी ने रखा था उसी तरह से मैं यहां पर केवल यह शब्द बढ़ाना चाहता हूं। आज कल गांव के रहने वालों की शिक्षा की तरफ ध्यान रखते हुये जहां पर कि वह चिपका दी जायगी मैं चाहता हूं कि वहां गांव सभा के कार्यालय में वह १० दिन तक रहे ताकि वह लोग जो हित रखने वाले या निरीक्षण करने वाले हैं वह देख सकें। मेरा यह एक छोटा सा संशोधन है और मैं समझता हूं कि माल मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री कमला सिंह—श्रीमन्, मेरा संशोधन भी इसी के मुताल्लिक है वह मैं इसी समय रखना चाहता हूं। वह यह है कि खंड ३ के उपखंड ७ के अन्त में शब्द "है" के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

> "तथा गांव समाज के कार्यालय में ३० दिन तक अथवा आपत्ति प्रस्तुत करने की अन्तिम निरीक्षण तिथि तक इन दोनों में जो अधिक हो उसे इस विषय में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये प्रदर्शित किया जाना"

अध्यक्ष महोदय, इसके मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि जहां तक मलखान सिंह ने इस सदन के सामने १० दिन का संशोधन पेश किया है मैं उसी तरह.....

श्री अध्यक्ष—इसका नोटिस अभी आपने दिया है। इससे बहुत बड़ा अन्तर तो पड़ता नहीं है और अगर माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करने के लिये तैयार हों तो मैं इसके लिये समय दे भी सकता हूं। अन्यथा यहां पर मैं आपको इसके लिये आज्ञा नहीं देता कि आप इस समय इसको उपस्थित करें।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं हरगिज़ ऐसी ग़लती करने के लिये तैयार नहीं हूं। जहां तक मलखान सिंह जी के इस संशोधन का सम्बन्ध है वह गांव सभा के कार्यालय में रखने की बात कहते हैं। गांव सभा के प्रेसीडेंट का दफ़्तर तो उसके घर पर ही होगा जहां कि वह रहता होगा। अगर चकबन्दी एक गांव में हो रही है और दूसरे गांव में कागजात रखे हैं। तो इससे मामला हल नहीं होगा वह बहुत मुश्किल हो जायगा और यह प्रैक्टिकेबिल नहीं है। इसलिये जैसा कि इसमें रखा गया है कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से इत्तिला दी जायगी और उनको व्यक्तिगत रूप से बुलाया जायगा और जिस गांव में चकबन्दी चल रही होगी वहां डुग्गी पिटवाई जायगी कि फलां जगह फलां वक्त मीटिंग होगी और वहां जो चक बनेंगे उनके बारे में पढ़ कर सुना दिया जायगा और उन कागजात को जहां सब लोग रखने को कहेंगे किसी की चौपाल में, बैठक में या जो भी प्रमुख स्थान होगा वहां वह रख दिये जायेंगे। दस दिन की बात बिल्कुल गैर जरूरी है जैसा कि रमेश चन्द्र जी और मलखान सिंह जी चाहते हैं। हमने उसके लिये कोई मुद्दत नहीं रखी है, एतराज के वक्त कहीं एक हफ्ता कहीं २ हफ्ता जैसा मौका होगा मुद्दत रखी जा सकती है लेकिन दस दिन या २० दिन की बारीकी देखने की बात जैसी कि कमला सिंह जी चाहते हैं मैं समझता हूं जरूरी नहीं है। जो कुछ मैंने रमेशचन्द्र जी के संशोधन के समय कहा था वही यहां भी लागू होता है और उन्हीं वजहात से यह भी गैर जरूरी है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री मलखान सिंह ने भवन के सामने रखा है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो दिक्कत बताई वह है तो जरूर लेकिन हम आपके सामने गांव वालों की दिक्कत भी रखना चाहते हैं, यह माना कि डुग्गी पिटवाई जायगी और काश्तकारों को इत्तला हो जायगी लेकिन एक तो काश्तकारों को याद नहीं रहती और उनके पास काम की वजह से इतना समय भी नहीं रहता कि वह ढूंढ़ते फिरें और उस समय तक उसका समय भी निकल जायगा। इसलिये जैसा कि संशोधन में कहा गया है गांव समाज या और कोई जगह जो आप चाहें निर्धारित कर लें और वहां वह रख दें और काश्तकारों को मालूम हो जाय कि फलां जगह कागजात देखे जा सकते हैं और वह दस दिन के अन्दर देख लें। यह न हो कि काश्तकार पैसा बर्बाद करते फिरें और देखते फिरें और उनको पता न लगे इसलिये मुनासिब है कि कोई जगह निर्धारित कर दी जाय और जहां सरकार मुनासिब समझे इसका प्रबन्ध करा दे। हम आशा करते हैं कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री मलखान सिंह—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि वह कागजात कहीं रखे रहेंगे लेकिन खंड ३ के उपखंड ७ में ऐसा कहीं नहीं है और गांव के लोगों की जैसी हालत है वह आप जानते ही हैं, उनको जानकारी हो जाय केवल इसी लिये यह संशोधन रखा था अगर मंत्री जी यह बतला दें कि वह कागजात कहां रखे रहेंगे तो मैं संशोधन वापिस ले लूंगा। खंड ३ के उपखंड ७ में यह कहीं नहीं लिखा है कि वह रखे जायंगे, उसमें है वह चिपका दिये जायंगे और जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था कि चिपकने पर तो बच्चे फौरन ही फाड़ डालते हैं और होगा यह कि वह उखाड़ कर उसको पतंग की तरह उड़ावेंगे। इसलिये चिपकाने से कोई मतलब हल नहीं होगा। इसलिये इस पर मंत्री जी विचार कर लें और मतलब यही है कि गांव वालों को इस तरह की सहूलियत होनी चाहिये और अगर कुछ ऐसा प्रबन्ध हो जायगा तो मैं अपने संशोधन को वापिस ले लूंगा।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो मनशा श्री मलखान सिंह की और राजा साहब की है वह हमारी भी है। वह उसको महदूद कर रहे हैं और हमने उसको व्यापक छोड़ दिया है। "रखे रहने" और लगाये जाने का भी एक सा ही मतलब

[श्री चरण सिंह]

है। एक प्रमुख स्थान पर रख दिये जायंगे। उसका मतलब यह थोड़े ही है कि कहीं पलंग पर या सीढ़ियों पर रख दिये जायंगे। उसमें लफ्ज "एफिक्सिन्ग" है उसका मतलब है कि वहां लगा दिये जायंगे। मतलब यही है कि दीवार पर टांग दिया जायगा या आलमारी हुई तो उसमें या किसी खूंटी में टांग दिया जायगा या मेज पर लगा दिया जायगा। लगा देने में यह सब बातें आ जाती हैं। रख देने में और लगा देने में फर्क ही क्या पड़ता है। मतलब तो आपका हल हो ही जाता है। आप उसमें मियाद रखना चाहते हैं दस दिन की। हमने लामियाद रखा है।

फिर आप यह कहते हैं कि गांव सभा या गांव समाज के दफ्तर में रखा रहे। सब लोगों को मालूम है, आज जैसी दशा है गांव समाज या गांव सभाओं के दफ्तर सब जगह कहां हैं। अगर गांव के लोग चाहते हैं कि प्रधान के यहां रखा रहे या कोई दफ्तर है वहां रखा रहे या मंदिर या कन्या पाठशाला में रखा रहे या चौपाल में रखा रहे तो वहां रखा जा सकता है। आप उसको सीमित करना चाहते हैं। मैंने बिल्कुल खुला रखा है। मियाद मैंने कोई रखी नहीं। लगा देने और रख देने में कोई फर्क है नहीं

राजा वीरेन्द्र शाह—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। मंत्री जी ने अभी जो कहा उस सिलसिले में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अफसरों के साथ में कागज लगा फिरता रहेगा। वह अपने साथ लिए फिरेंगे। उन्हीं के पीछे रहेगा। अगर कोई जगह मुकर्रर हो जायगी तो उस जगह पर रहेगा।

श्री चरण सिंह—उसमें लिखा है "ऐट ए कांस्पीकुअस प्लेस" "ऐट ए कांस्पीकुअस परसन" नहीं है। वह तो "मैनेजमेंट कमेटी और गांव सभा को बुला कर सुना दिया जायगा। जहां पर कहेंगे वहां रख दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री मलखान सिंह से) आप अपना संशोधन वापस लेते हैं?

श्री मलखान सिंह—नहीं मानते हैं, तो मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री श्रीचन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (८) की पंक्ति १० में शब्द "कोई" के स्थान पर शब्द "किसी भी" रख दिये जायं।

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (८) की पंक्ति १० में शब्द "कोई" के स्थान पर शब्द "किसी भी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :—

खंड ३ के उपखंड (१०) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जांय—

"किन्तु वह लोग खातेदार नहीं माने जायेंगे जिन्होंने ८ अगस्त, सन् ४६, अथवा उसके बाद सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि पर अधिकार प्राप्त किया हो।"

इस संशोधन का मकसद तो सीधा सादा है। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी आज बहुत विचार विनिमय करने के बाद इस जगह पर पहुंच गये हैं कि ऐसे लोग अपने प्रदेश में एक बड़ी भारी समस्या हमारे सामने उत्पन्न कर देते हैं जिन्होंने पांच छै वर्ष के बीच में जब जमींदारी विनाश अधिनियम विधेयक के रूप में था उस बीच में उन्होंने सार्वजनिक भूमि को अपने नाम से काश्तकारी बनवाने में या जमींदारों से पट्टा लेने में या फर्जी तरीके से काश्तकार बनवा लेने में बड़ी सफलता प्राप्त की है और हजारों लाखों एकड़ जमींन की बात हो सकती है। उन्होंने बिना किसी हक के अपने नाम उसे करा लिया या नाम कराने के बाद बग़ैर जोते हुए छोड़ रखी है या जोत लिया है तो किसी हक के जरिये नहीं होती है। उसका परिणाम यह हुआ है कि आज गांवों में झगड़े हो रहे हैं। गांव में जो पार्टियों में लोग बैठे हुए हैं वह मुकदमेबाजी कर रहे हैं। अब जब हम गांव का रिमाडेलिंग करने जा रहे हैं, हम गांव को फिर से बसाने की योजना कर रहे हैं, उसमें हर प्रकार से सार्वजनिक उपयोग की जमींन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वैसी हालत में फिर जमींन...

श्री अध्यक्ष—आप मुझे यह बताइये कि आपका यह संशोधन वैध कैसे है? मुझे कुछ शंका यह है कि यह तो व्याख्या है और व्याख्या का तात्पर्य भूमिधर, सीरदार और अधिवासी से है जो कि किसी दूसरे अधिनियम के अंग हैं और आप उस अधिनियम के अंग को इस विधेयक के कार्य के लिए कुछ लोगों को हटा देना चाहते हैं। इसका अर्थ यह होगा कि उनकी जमींन का कंसालिडेशन नहीं होगा। वह तो वैसे ही बने रहेंगे, उनसे जमीन छीन नहीं सकते लेकिन उक्त प्रकार से भूमिधर, सीरदार और अधिवासी की जमींन का कंसालिडशन नहीं होगा; इसका यह अर्थ होता है। इस अर्थ को आप लाना चाहते हैं तो उसको स्पष्ट उसी तरह से कहना होगा कि इन का कंसालिडेशन नहीं होगा। लेकिन दूसरे किसी अधिनियम को आप इससे दुरुस्त नहीं कर सकते। वह अवैध होगा।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, यहां हम इस संशोधन के जरिये केवल इतना चाहते हैं कि वह खातेदार न माने जायं। खातेदार की परिभाषा यहां पर की गयी। उस परिभाषा से हम चाहते हैं कि उनको एक्सक्लूड कर लिया जाय और वह खातेदार न हों और आगे अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में संशोधन रखा है कि उनकी जमींन कंसालिडेट न की जाय। जब नहीं खातेदार होंगे तो यह चकबन्दी विधेयक जो है वह सारे खातेदारों की चकबन्दी करेगा।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। मैं माननीय राजस्व मंत्री से भी मालूम करना चाहता हूं कि यह वैध है या नहीं।

श्री चरण सिंह—मैंने इसकी वैधानिकता पर तो विचार नहीं किया, लेकिन मैं वैसे इसको स्वीकार करने वाला नहीं था। मुझे माफ करेंगे अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके आर्गूमेंट को नहीं सुना।

श्री अध्यक्ष—मैंने यह कहा कि खातेदार, टेन्योर होल्डर, का तात्पर्य भूमिधर, सीरदार, अधिवासी से है जो किसी दूसरे अधिनियम के शब्द हैं। खातेदार जब इसमें का निकल जायगा तो इसका अर्थ यह होगा कि किसी उक्त प्रकार के भूमिधर, सीरदार, अधिवासी इनकी जमींन का कंसालिडेशन नहीं होगा। या कम से कम उन लोगों के लिये नहीं होगा जोकि ८ अगस्त, १९४६ से भूमिधर हैं, सीरदार है या अधिवासी हैं दूसरे अधिनियम के अनुसार। उनकी जमींन का कंसालिडेशन एक्सक्लूड होगा। यह चीज उस संशोधन में आ जाती है। तो मैंने यह कहा कि अगर कहीं पर एक्सक्लूजन का सवाल हो तो वैधानिक होता है और अगर खाली इसका अर्थ यह है कि यह व्याख्या दूसरे अधिनियम पर असर करती है तो वह अवैध होगा।

श्री चरण सिंह---मैं समझता हूं कि यह अवैधानिक बात नहीं है। टेन्योर होल्डर्स को राइट दे रहे हैं। उसमें से हम किसी क्लास को या किसी खास किस्म के लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं...

श्री अध्यक्ष---फ्राम कंसालिडेशन ?

श्री चरण सिंह---फ्राम कंसालिडेशन। यह कंसालिडेशन से एक्सक्लूड करने के लिए लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर "खातेदार" शब्द आया है। खातेदार की परिभाषा....

श्री अध्यक्ष---(श्री गेंदा सिंह से) तो आप जारी रखें।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों ने बहुत ही सिद्धान्तहीन तरीकों से जमीन हासिल की है और जमीन नहीं हासिल करने पर भी उन्होंने कब्जा कर रखा है और कब्जा रख करके एक बखेड़ा पैदा कर दिया है, दो पार्टी में गांव बंटा है। इस समय जब कि हम रीमाडेलिंग करने जा रहे हैं, सार्वजनिक उपयोग की जमीन के लिए बड़ी आवश्यकता है। तो फिर उसके लिए इसमें गुंजायश रखी गई है कि हम दूसरी जमीन भी अववायर करें, दूसरी जमीन भी लोगों से लें सार्वजनिक उपयोग के लिए तो इसके लिए भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जो जमीन पहले से सार्वजनिक उपयोग में रही है उन जमीनों पर हम अपनी निगाह दौड़ायें हालांकि यह संशोधन केवल इसलिये है कि वह इस प्रकार की जमीन के जो लोग हथियाने वाले हैं उनको केवल खातेदार न माना जाय। आगे चल कर के इस विधेयक में गुंजायश करने की कोशिश की गई है कि उस जमीन को लेने की चेष्टा की जाय। जमींदारी विनाश अधिनियम में इस बात की दफा २१२ में गुंजायश की गई है कि ऐसी जमीन जिन लोगों ने ८ अगस्त सन् ४६ के बाद ले ली है उनके विरुद्ध ग्राम पंचायतें या कलेक्टर मुकदमा दायर कर सकता है और उनको बेदखल कर सकता है। तो मेरा मतलब केवल इतना ही है कि अगर खातेदार मान लें और उसके बाद गांव पंचायत उसको बेदखल कर ले या कलेक्टर ने बेदखल कर लिया तो फिर चकबन्दी में गड़बड़ी पड़ेगी। एक चक बना दिया उनको शामिल करके और फिर कुछ दिन के बाद यह फैसला हुआ तो फिर उनकी जमीन ठीक नहीं रहेगी। वह जमीन सार्वजनिक उपयोग की मानी जायगी। इसलिये मैं यह सोचता हूं कि जो ८ अगस्त सन् ४६ के बाद सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर कब्जा किया हो वह जमीन एक्सक्लूड कर दी जाय।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी के आशय से मुझे पूरी सहानुभूति है, सहानुभूति क्या बल्कि उनके आशय से तो सहमत हूं परन्तु जो उन्होंने संशोधन पेश किया है उसके स्वीकार करने में बहुत कठिनाई है। इस बात को कौन तय करेगा कि ८ अगस्त सन् ४६ के बाद से जमीन ली गई है। लिहाजा वर्षों लग जायंगे इस मामले को तय करने में कि कौन सी जमीन ऐसी है ८ अगस्त सन् ४६ के बाद ली गई है और इतना जो समय लगेगा तो उतनी देर चकबन्दी का काम रुक जायगा और मान लीजिये कि यह तय हुआ कि बाद में नहीं ली गई थी बल्कि उसके पास पहले से चली आ रही थी और इससे पहले हमने चकबन्दी कर दिया और जमीन रह गई गांव सभा के पास तो जो कठिनाई उस सूरत में उठती थी कि जमीन वाकई गांव सभा की करार दी जायगी अगर ८ अगस्त के बाद ली हो तो फिर वह गांव सभा के पास जायगी, ठीक वैसी ही बात दूसरी सूरत में भी है कि ऐसा अगर हम तय कर लें कि ८ अगस्त के बाद ली गई है और उस जमीन को चकबन्दी के बाहर कर दें लेकिन बाद में तय हो कि उसी की है और फिर यह है कि सार्वजनिक उपयोग की है या नहीं तो यह

सब का सब ऐसा मामला है कि जिसमें हम ऐसा कर देते हैं तो बड़ी कठिनाई हो जायगी और देर लग जायगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि सेलेक्ट कमेटी में भी अर्ज किया था, वह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी बाबत वादविवाद हो, इसलिये मैं उसका जिक्र कर रहा हूं कि हम इस बात को एग्जामिन करा रहे हैं कि कोई समरी प्रोसीज्योर निकल जाय कि २०९ और २१२ के अन्दर जो जमीन आती है अर्थात् जिन लोगों ने जमींन पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है या पहले जमींदारों की रजामन्दी से जो जमींन लोगों ने ले ली है सार्वजनिक उपयोग की ८ अगस्त सन् ४६ के बाद या जमींदारों ने खुद ऐसी जमींन को जेरेकाश्त कर लिया है तो ऐसी जमींन किसी किस्म से दिलाने के लिये लीगल प्रोसीडिंग्स अदालत दीवानी न करना पड़े और कोई समरी प्रोसीज्योर निकल आये। यह मैं पहले एक सवाल के जवाब में अर्ज कर चुका था और यही मैंने सेलेक्ट कमेटी में भी अर्ज किया। लेकिन अभी तक वह एग्जामिनेशन कम्पलीट हुआ नहीं है। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें गवर्नमेंट को कोई कामयाबी होगी। अगर यह तय हुआ कि इस तरह से समरी प्रोसीजर से जमींन वापस ली जा सकती है तो हम रूल्स में जो पावर कलेक्टर को है सेक्शन २०९ और २१२ में वह सेटिलमेंट आफिसर कंसालिडेशन को देदेंगे। तो साथ-साथ वह काम होता चलेगा लेकिन तब ही जब समरी प्रोसीजर निकल आया। अगर ऐसी कोई तरकीब नहीं निकली तो रेगुलर नालिश के बाद अगर यह तय होता है कि यह जमींन दरअसल उनकी नहीं थी या गांव समाज की थी, तो उनके चक से निकाल ली जायगी। अगर यह तय करते हैं कि पहले यह हो जाय तो चकबन्दी का काम रुक जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने यह भी कहा कि अब तो राजस्व मंत्री भी उस जगह पर आ गये हैं, मैं उस जगह पर तब आता जब पहले से उस जगह पर न होता। गवर्नमेंट तो उसी जगह पर थी, तब ही तो २१२ में यह रखा था कि ८ अगस्त सन् ४६ के बाद कोई सार्वजनिक उपयोगी जमीन जेरेकाश्त कर ली जाय, तो गांव सभा को अख्तियार है कि उस जमींन को वापस ले ले, लेकिन उनको डिस्क्रीशन है। तो यह हमने पहले से ऐंटीसिपेट किया और इसीलिये दफा २०९ और २१२ रखी गयी। यह मैं मानता हूं कि ऐसी बहुत सी जमीन जेरेकाश्त है या लोगों ने गासिबाना कब्जा कर लिया है, फिर भी वह जमींन कुल जमींन की उपेक्षा बहुत कम बैठती है। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके बिना आगे काम चल ही न सके। हमको रेगुलर प्रोसीडिंग्स करनी पड़ीं और फिर भी वह जमी कंसालिडेट हो गयी, तो बाद में वह जमीन वापस करनी पड़ेगी। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने कहा कि इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। इस संशोधन को स्वीकार करने में अगर कठिनाई न होती तो मैं इसको स्वीकार कर लेता।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यू० पी० जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट की धारा २१२ का जिक्र किया गया है। उसमें श्रीमन् यह है कि किसी भी खातेदार को उस समय तक एजेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको मुआविजा न दिया जाय। भारतीय संविधान में भी कोई सम्पत्ति नहीं ली जा सकती है जब तक कि उसका प्रतिकर न दिया जाय। इस सम्बन्ध में श्रीमन् जो आपत्ति शुरू में हो रही थी वह बिल्कुल सही है कि डिस्क्रीमिनेशन नहीं हो सकता है। एक ही सेट में एक ही तरह के खातेदार का खाता एक जगह तो चकबन्दी में लिया जाता है और दूसरी जगह आप उसको इस नियम से वंचित रखते हैं। यह डिस्क्रीमिनेशन एक ही तरह के लोगों में किया जा रहा है जो कि संविधान के अनुसार नहीं किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी को भी भ्रम है, वे इसको नहीं समझ रहे हैं। जो आपत्ति उस वक्त आपको थी वह बिल्कुल सही है कि यह डिस्क्रीमिनेशन नहीं हो सकता है। आप की रूलिंग के बाद मैं कुछ कहने का साहस नहीं कर सकता, परन्तु मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि यद्यपि वे इसको स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे बहुत से ऐसे संशोधन हैं जो कि भारतीय संवि-

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

धान और जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के प्रतिकूल हैं, ऐसी दशा में ऐसे संशोधन अवैधानिक हैं और अगर कोई ऐसे नियम भी सदन के द्वारा बनाये जाते हैं तो वे भी मान्य नहीं होंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन का विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। मैंने उनके भाषण को बहुत ग़ौर से सुना। जहां तक उनका आशय है उससे मुझे पूरी सहानुभूति है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने भी उनसे पूरी सहानुभूति प्रकट की यद्यपि उन्होंने व्यावहारिक और कानूनी कठिनाइयां बतलाईं जो वास्तव में वास्तविकता रखती हैं कि इन कारणों से चकबन्दी के विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने में देरी लग सकती है परन्तु यदि हम इन कठिनाइयों को थोड़ी देर के लिये नजर-अन्दाज कर दें और संशोधन को स्वीकार कर लें तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से काश्तकारों को बहुत बड़ी हानि होने की सम्भावना है और यह भी सम्भव है कि शायद यह चकबन्दी का कानून कार्यरूप में परिणत न हो सके क्योंकि ऐसी जमीनें बहुत कम हैं जिन पर सन् १९४६ के बाद काश्तकारों ने कब्जा किया है। ज्यादातर केसेज ऐसे हैं जिनके पास ८ अगस्त सन् १९४६ के पहले की भूमि है और उन्होंने थोड़ी-थोड़ी भूमि उसके बाद ली है। इसलिये अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो जिसके पास ८ अगस्त सन् १९४६ से पहले की चाहे जितनी भूमि हो और यदि ८ अगस्त १९४६ के बाद उसने १ बिस्वा भी जमीन क़ब्जे में ली है तो वह अलग हो जाता है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को गौर से पढ़ें और देखें कि उससे कितनी हानि होने की सम्भावना है बजाय किसी लाभ के। वह कहते हैं कि वे लोग खातेदार नहीं माने जावेंगे जिन्होंने ८ अगस्त सन् १९४६ अथवा उसके बाद सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि पर अधिकार प्राप्त किया हो। अगर मेरे पास २० बीघे जमीन ८ अगस्त सन् ४६ से पहले की है और २ बीघे मैंने अब ले ली, तो उनके संशोधन के मुताबिक मैं पूरी जमीन का खातेदार नहीं माना जाऊंगा। मैं उससे अलग हो जाऊंगा। वह भूमि निकल जायगी। लेकिन वह यहीं तक नहीं चाहते कि नयी जमीन ही निकल जाय बल्कि वह तो यह चाहते हैं कि खातेदार ही नहीं समझा जायगा। इसलिये चूंकि इस संशोधन से बहुत बड़ी हानि होने की सम्भावना है, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गेंदा सिंह—मैंने अपने संशोधन के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री तथा और सदस्यों के विचार सुने। माननीय राजस्व मंत्री जी को जो कठिनाई है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ८ अगस्त सन् १९४६ को आखिर सरकारी कागजात तो मौजूद थे वे देखे जा सकते हैं। मजरूआ जमीन के सिलसिले में तो यह कहा जा सकता है कि एक आदमी जिस जमीन पर क़ब्जा किये हुये था उसके नाम न लिखकर दूसरे आदमी के नाम लिखी हुई थी, पटवारी ने ऐसी ग़लती की थी। लेकिन ग़ैर मजरूआ जमीन के बारे में कुछ बीमारी तो उस वक्त भी चल पड़ी थी कि उस जमीन को भी अपने नाम से लिखाओ लेकिन फिर भी ८ अगस्त सन् १९४६ के बाद, जब जमींदारी ख़त्म करने का प्रस्ताव असेम्बली में पास हुआ, उसके बाद यह बीमारी बहुत जोर से चली और फर्जी इन्दराज करना ग़ैरमजरूआ जमीन पर बहुत जोर से शुरू हुये। मान लीजिये कि कुछ ग़ैरमजरूआ जमीन पर लोगों ने अपने नाम लिखा रखे थे ८ अगस्त सन् १९४६ के बाद भी, तो उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा

और कोई न कोई क्रासरोड हमको मुकर्रर करनी होगी जहां से हम अपना काम सुविधा पूर्वक चला सकें। तो इसलिये सरकारी काग़ज़ात पर आधारित होना पड़ेगा उस सन् फसली के जिसमें ८-८-१९४६ पड़ता है। आम तौर से गांव के लोग भी यह जानते हैं कि सार्वजनिक उपयोग की कौन सी ज़मीन है चाहे वह चरागाह हो, खलियान या गड्ढा या सिंचाई की ज़मीन हो या सड़क हो, इस तरह की ज़मीनें लोगों ने आबाद की हैं। यदि ऐसी ज़मीन हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि संशोधन का आशय केवल इतना है कि ऐसी ज़मीनों की चकबन्दी न की जाय। ऐसी ज़मीनों को खेती से अलग रखा जाय। शब्दों में हेरफेर हो सकता है जैसा कि माननीय केशव जी गुप्त ने कहा। यह मैं भी महसूस कर रहा हूं कि अगर किसी ने एक डेसीमल या दो डेसीमल या बहुत थोड़ी ज़मीन ले रखी है जो सार्वजनिक उपयोग की है तो इस कसूर में सारे के सारे खातेदारों को अलग रख दे तो यह उचित नहीं होगा। मेरा भी यह मंशा नहीं है कि अगर वह दूसरी ज़मीन भी रखता है तो उसकी चकबन्दी न की जाय। सवाल तो यह है कि अगर हम इस सिद्धान्त से सहमत हैं कि जो ज़मीन सार्वजनिक उपयोग की है उस ज़मीन को उठा रखा है, कब्जा न करें। अगर इस पर एकमत हों तो ऐसी हालत में माननीय राजस्व मंत्री जी या केशव जी जो कहेंगे वह ठीक है। जिस प्रकार से हमारी मंशा पूरी हो जाती हो उस प्रकार से यह संशोधन यहां पर रख दिया जाय।

मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी मंशा केवल इतनी ही है कि जो ज़मीन इस प्रकार की ले रखी हो और जिस ज़मीन के लिये गांव पंचायत का हक हो या कलेक्टर को हो। वह २१२ धारा ज़मींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अनुसार निकल सकती है। इस ज़मीन को किसी भी प्रकार चकबन्दी में न लें। मैं इस सिलसिले में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसी ज़मीनों का मसला गांवों में एक अशान्ति की जड़ हो गया है, गांवों में पार्टीबन्दी की जड़ हो गया है और इस प्रकार की ज़मीन को निकाल देने की बात करेंगे तो हमारी इस चकबन्दी की योजना में हमें सफलता मिलेगी और हमको जल्दी ही सहूलियतें पैदा होंगी क्योंकि हम तो कुछ ज़मीन लेना ही चाहते हैं और जब चकबन्दी के सिलसिले में रिमोडलिंग आफ विलेजेज करने जा रहे हैं तो कुछ ज़मीन लेनी पड़ेगी। ज़मीन का मोह छोटे काश्तकारों को बहुत होता है। यदि हम इस प्रकार की ज़मीनों को निकाल कर गांव की तरक्की का काम या चकबन्दी का काम करेंगे तो चकबन्दी की योजना की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन मुनासिब है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं और माननीय केशव जी गुप्त ने भी कहा कि जो संशोधन मेरे मित्र का है उससे तो सहानुभूति हो सकती है उसके विरोध की कोई गुंजायश नहीं है। लेकिन इस संशोधन से जो उनका उद्देश्य है वह पूरा हो जायगा इसमें जहां कठिनाइयां हैं वहां मुझे शुबहा है कि वह पूरी होती है या नहीं। मस्लन हमने दफा २१२ में यह लिखा है कि गांव सभा अगर चाहे तो वह ज़मीन ले सकती है। वैसे यहां आप करना चाहते हैं अनकंडीशनली कि गांव सभा की राय नहीं ली जायगी। गांव सभा वापिस नहीं लेना चाहती है मान लीजिये कोई ज़मीन है, वह खाली पड़ी थी, उसमें से एक एकड़ ज़मीन दे दी किसी आदमी को और गांव सभा नहीं समझती है कि उस ज़मीन को निकाला जाय और चरागाह के लिये काफी ज़मीन पड़ी हुई है और कोई हानि नहीं होती है। अगर आपका संशोधन मान लिया जाय तो वह ज़मीन भी निकल जायगी और जैसा कि मैंने कहा इस बात को कौन तय करेगा कि सार्वजनिक उपयोग की वह ज़मीन है या नहीं। आप कहते हैं कि सरकारी कागजात को मान लिया जाय। लेकिन इसके साथ ही यह कहते हैं कि सरकारी कागजात गलत हैं। कहीं इसके मुताल्लिक गल्ती हो गई तो वह निकल गई तो इसको कौन तय करेगा। इसको कौन तय करेगा कि यह कस्टमरी पास्चर लैंड

[श्री चरण सिंह]

है जो कागजात में दर्ज नहीं है। अगर आपके कागजात की बात मान लें तो फिर उसमें कस्टमरी पास्चर लैंड की बात कौन तय करेगा। इसको कौन तय करेगा कि कस्टमरी पाश्चर लैन्ड थी या नहीं थी। उसको तो कागजात भी कुछ नहीं बतला सकते हैं। तो इसलिये इसके व्यवहार में जिस प्रकार गेंदा सिंह जी ने रखा है बहुत कठिनाइयां हैं। फिर २१२ ही क्यों ? आपका संशोधन तो यह है, "आने वाली भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया।" मान लीजिये कि अधिकार प्राप्त नहीं किया, गासिबाना कब्जा कर लिया जो २०९ में आता है। तो वह भी इस डेफिनीशन के अन्दर नहीं आता। इसलिये यह उनका संशोधन अपूर्ण है और अव्यावहारिक है, इसलिये उसको स्वीकार करना संभव नहीं है। और उपाध्यक्ष महोदय, वैसे जिस तरह की परिभाषा खातेदार की हमारे इस बिल में की गयी है उसमें मुझे कुछ जरा शंका हो गयी है और दूसरी परिभाषा जो चकबंदी की थी उसमें जब हमने पुनस्संगठन किया है तो भूमि का पुनस्संगठन नहीं, फिर शायद खातों का पुनस्संगठन करना जरूरी होगा। तो "भमि" की जगह "खाता" शायद रखना पड़ेगा। तो मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि जब ये संशोधन इस दफा के तय हो जायं तो इस दफा पर राय न ली जाय, जो संशोधन तय हो चुके वे हो चुके लेकिन सबसे बाद में इनको लीजिये और बीच में मैं अपने कानूनी सलाहकार से सलाह करके अगर ३ और ११ में अगर कोई आवश्यकता हुई तो मैं संशोधन लाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष---वर्तमान संशोधन के विषय में आप क्या कहते हैं ?

श्री चरण सिंह---इसका तो मैं विरोध कर ही रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१०) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं---

"किन्तु वह लोग खातेदार नहीं माने जायेंगे जिन्होंने ८ अगस्त, सन् ४६, अथवा उसके बाद सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि पर अधिकार प्राप्त किया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द---श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं।

खंड ३ के उपखंड (११) के भाग (ख) की पंक्ति ३ में से शब्द और संख्या "१९५० ई० का" निकाल दिये जायं और पंक्ति ४ में शब्द "अधिनियम" और शब्द "में" के बीच में शब्द व संख्या "सं० १, १९५०" बढ़ा दिये जायं।

श्री चरण सिंह---यह मुझको स्वीकार है लेकिन इसमें १९५० के बजाय १९५१ होना चाहिये। दरअसल में वह उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम में सन् ५१ पड़ा हुआ है, ५० नहीं पड़ा है। अगर्चे पहले भी हम एक जगह ५० कर आये हैं लेकिन वह गलत है और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात और कहना चाहता हूं। हमने चकबंदी की जहां परिभाषा की है क्लाज ३, सबक्लाज २ में और जो अपवाद है वहां भी १९५० ई० का उत्तर प्रदेश आदि लिखा है और यहां जो संशोधन है उसमें सन् बाद में आता है। सन् बजाय पहले आने के बाद में ही आना ठीक होगा। उसमें "के" और "क" का झगड़ा भी नहीं रहता है। तो बाद में अगर जरूरत हुई तो मैं संशोधन लाऊंगा लेकिन मैंने संकेत कर दिया कि कांसिस्टेंसी के लिये यह जरूरी है कि १९५१ का जो हिन्दसा है वह बाद में ही लिखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय श्रीचन्द, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री श्रीचन्द—जी नहीं, जब माननीय मंत्री जी ने कहा तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (११) के भाग (ख) की पंक्ति ३ में से शब्द और संख्या "१९५१ ई० का" निकाल दिये जायं और पंक्ति ४ में शब्द "अधिनियम" और शब्द "में" के बीच में शब्द व संख्या "सं० १,१९५१" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—खंड ३ पर राय अभी बाद में ली जायगी।

खण्ड ४

४—(१) चकबंदी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार, यह प्रख्यापित कर सकती है कि उसने किसी जिले अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के संबंध में चकबंदी योजना बनाने का निश्चय किया है।

(२) प्रत्येक ऐसा प्रख्यापन (declaration) सरकारी गजट में तथा जिले या स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव में प्रकाशित किया जायगा।

श्री रतनलाल जैन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) की पंक्ति २ के शब्द 'अन्य' को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द 'किसी' रख दिया जाय।

श्रीमन्, मेरे विचार से भाषा की दृष्टि से शब्द किसी अच्छा होगा क्योंकि अन्य शब्द से यह मालूम होता है कि उसके पहिले जो अक्षर जिला आया है उसी के बराबर का है लेकिन जहां तक स्थानीय क्षेत्र का ताल्लुक होता है वह जिला से छोटा होता है। इसलिये मैं अन्य के बजाय किसी को ज्यादा उपयुक्त समझता हूं।

श्री ब्वरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह लफ्ज अन्य ही ज्यादा ठीक है क्योंकि जिला भी स्थानीय क्षेत्र है अगर जिला स्थानीय क्षेत्र न होता तो 'अन्य' की जरूरत नहीं थी। उसकी जगह 'किसी' शब्द होता। जिला भी लोकल एरिया है इसलिये शब्द 'ऐनी' ही ठीक है। लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में जो शब्द आये हैं वह "डिस्ट्रिक्ट आर ऐनी अदर लोकल एरिया है" जिसका मतलब "जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र" होता है।

श्री रतनलाल जैन—मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ४ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड १—क के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(१-क) जिस किसी ग्रामीण क्षेत्र में वहां के रहने वाले ५० फीसदी या उससे अधिक खातेदार अपनी ओर से चकबंदी की मांग करें सरकार द्वारा उस क्षेत्र को भी चकबंदी की योजना के लिये प्रख्यापित किया जाय।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को पेश करने की मेरी मंशा सिर्फ यह है कि यों तो सरकार जिस जिले में, जिस क्षेत्र में या जिस गांव में चकबंदी करवाना चाहेगी उसको प्रख्यापित करेगी कि फलां फलां गांव जिला या क्षेत्र में चकबंदी की जायगी लेकिन मैं इसके साथ-साथ यह भी चाहता हूं कि जहां जहां के लोग स्वयं उस क्षेत्र में चकबंदी करवाना चाहें, और उनकी अगर इस बात की दरख्वास्त आए तो उस गांव में या

[श्री गजेन्द्र सिंह]

उस क्षेत्र में जितने भी खातेदार हों उनमें से आधे या उससे अधिक की दरख्वास्त पर चकबंदी कराने के लिये प्रख्यापन किया जाय। यह इसलिये जरूरी हो जाता है कि हम लोग यह समझते हैं कि जमींदारी खत्म हो जाने के बाद किसानों की हालत को सुधारने के लिये, जमीनों की हालत को दुरुस्त करने के लिये यह जरूरी है कि चकबंदी की जाय लेकिन इसके साथ ही साथ जब हम यह चकबंदी कानून पास करते हैं, तो हमारे लिये यह जरूरी हो जाता है कि अगर इस प्रकार की दरख्वास्तें कहीं से आती हैं तो हम उनको एप्रीशियेट करें। इसीलिये मैं इस संशोधन को पेश कर रहा हूं और समझता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

चकबंदी के संबंध में प्रख्यापन।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का के लिये खड़ा हुआ हूं। इसका कारण यह है कि सरकार ने इस सूबे में की ५ साल की योजना बनायी है और जब कि ५ वर्ष के अन्दर सारे की योजना लागू हो जायगी तो फिर यह कहना कि पहले यह हिस्सा यह ग़लत चीज होगी। दूसरी बात यह है कि मान लीजिये चकबंदी किसी जिले के किसी क्षेत्र में हो रही है उसके १५-२० मील के फासले पर लोग यह चाहें कि उनके यहां चकबंदी कर दी जाय तो उसका मतलब यह होगा कि उस समय जो स्टाफ उस जगह पर काम कर रहा है वह स्टाफ दूसरी जगह को उस गांव में शिफ्ट कर दिया जाय क्योंकि उस गांव के लोग चकबंदी चाहते हैं। तो इससे गवर्नमेंट को नुकसान भी होगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खर्च हो जायगा। चकबंदी का जो मौजूदा विधेयक रखा गया है वह कुछ ऐसी आसान चीज नहीं है कि हर आदमी उसको समझकर खुद ब खुद कर ले। तो इसलिये मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों का सहयोग होना भी बहुत आवश्यक है। इससे जो दिक्कतें उठानी पड़ेंगी और सरकारी कर्मचारियों को परेशानी होगी उससे मैं समझता हूं कि इस सुझाव को हमें नहीं मानना चाहिये और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह के संशोधन के विषय में जो श्री बलवन्त सिंह ने कहा मैं उससे सहमत हूं। अगर लोगों की मर्जी के ऊपर और उनके वोट के ऊपर यह चीज छोड़ दी जाय कि जिस किसी गांव वाले चाहें वहां चकबंदी हो तो एक गांव में एक जगह चकबंदी होगी तो एक गांव यहां होगा तो दूसरा १० मील पर होगा और तीसरा गांव २५ मील पर होगा। तो इससे उसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो जायगा और शुरू में जब इस स्कीम को बनाने के लिये कमेटी मुकर्रर हुई थी तो उसमें भी इस बात की चर्चा आयी थी कि आया लोगों की राय ली जाय या नहीं ली जाय। तो जहां तक मुझे याद पड़ता है सर्व सम्मति से यह तय हुआ था या प्रायः करीब करीब सर्वसम्मति से तय हुआ था कि राय लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आम मांग किसानों की है। तो इसलिये उसके ऊपर वोटिंग करायी जाय और फिर यह तय हो कि आया सब लोग मौजूद थे या नहीं थे, वोटिंग ठीक हुई या नहीं हुई, कितने परसेंट मेजारिटी रही, ५१ परसेंट रही या ६० परसेंट रही या ८० परसेंट रही। इन सब चीजों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों की अपनी तरफ से यह मांग है और आम तौर पर सब जगह लोग-बाग चाहते हैं कि चकबंदी हो। जिस तरह से जमींदारी एबालिशन के वक्त न किसी की राय ली गयी, न कोई रेजोल्यूशन पास कराया गया लेकिन चूंकि लोगों की आम राय थी कि इस प्रथा को समाप्त करना चाहिये इसलिये वैसा किया गया। हो सकता है कि एकाध किसान ऐसे हों जिनका ताल्लुक अपने क्षेत्र के जमींदार से बहुत अच्छा रहा हो, इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ जमींदार ऐसे थे जिनके छोटे-मोटे इलाके के किसान उनसे बहुत खुश थे तो वहां भी इसकी जरूरत नहीं समझी गयी क्योंकि यह सर्वसम्मत बात थी कि जमींदारी उन्मूलन जनता के हित में है उसी तरह से यह चकबंदी

का प्रश्न है और सभी जगह के किसान चाहते कि चकबंदी हो इसलिये वोटिंग करने के संबंध में जो संशोधन है यह बिल्कुल गैरजरूरी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं माननीय गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जो निवेदन इस संबंध में किया उसको मैंने अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुना लेकिन पंजाब में जहां के उदाहरण के अनुसार हमारा यह चकबंदी विधेयक आया है वहां इस प्रकार की प्रणाली नहीं बरती गई है। अगर हम पंजाब चकबंदी विधेयक को देखते हैं तो उससे मालूम होता है कि उसमें कहीं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि सरकार किसी क्षेत्र को अपनी ओर से कोई मजबूर करे। आम राय तो लोगों की हो सकती है, कहीं नहीं भी हो सकती है। तो वहां राय बनानी पड़ती है, लोगों का सहयोग लेना पड़ता है और उनको बतलाना पड़ता है कि आखिर इस चकबंदी का क्या मतलब है। उनका सहयोग प्राप्त करना यह अत्यन्त ही आवश्यक है। तो अगर कहीं पर चाहे किसी राजनैतिक दल की तरफ से या सामाजिक रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं की तरफ से अगर कोई क्षेत्र चकबंदी के लिये तैयार हो जावे और वहां के गांव वालों का बहुमत तैयार होता है तो कोई कारण नहीं हो सकता कि वहां चकबंदी न की जाय। इससे तो सरकार को मदद मिलेगी और जहां पर किसी क्षेत्र की राय हो कि वहां चकबंदी होनी चाहिये तो इस चीज को कामयाब बनाने के लिये वहां पहले चकबंदी होनी चाहिये और गांव वालों की ओर से सरकार को इस बात के लिये मदद मिलेगी कि वहां पहले चकबंदी की जाय। मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान पंजाब चकबंदी विधेयक की धारा ३ की उपधारा ४ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जहां उपधारा ३ (१) है उसमें लिखा हुआ है कि लैन्ड आनर्स एप्लीकेशंस खुद देंगे। उपधारा (४) में यह है—

"In any other case any scheme of consolidation of holdings shall be confined to land owned by the appliacants and by other land owners who have agreed to the consolidation of their holdings".

इस प्रकार से इस विधेयक की प्रस्तावना रक्खी गई है कि कोई जबरदस्ती की भावना न आय, उनकी स्वयं इच्छा हो। इस संबंध में पंजाब में जो प्रोसीजर रहा है वह इस प्रकार है—

"All the interested persons in a village were called together, and were persuaded to accept byelaws whereby majority in a general meeting might approve a method of repartition and then to carry out actual adjustment of field and holdings in a manner that may leave no individual discontented"

यानी वहां हर प्रकार से समझा कर मैजारिटी को एग्री करा लिया जाता था। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जमींदारी एबोलीशन कमेटी की रिपोर्ट, पेज ५०८ की तरफ दिलाता हूं जहां कमेटी का निश्चित मत था कि किस प्रकार से इस संबंध में काम किया जाना चाहिये "शायद यदि अनिवार्य और सहकारिता के ढंगों को मिला कर काम किया जाय और चकबंदी में होने वाला पूरा खर्च या उसका अधिकांश भाग राज्य दे तो चकबंदी की रफ्तार तेज हो जायगी" सहकारिता और अनिवार्य दोनों ढंग को मिला कर यह काम हो सकता है। माननीय गजेन्द्र सिंह जी का जो प्रस्ताव है वह सहकारिता के ढंग को इस विधेयक में लाना चाहता है। माननीय मंत्री जी ने जो कहा वह सही हो सकता है कि एक गांव में अकेले नहीं किया जा सकता लेकिन माननीय गजेन्द्र सिंह जी का अर्थ एक क्षेत्र से है। ऐसा करने से जमींदारी एबोलिशन कमेटी की चकबंदी के संबंध में जो सिफारिश है वह भी पूरी हो जाती है और सरकार का भी जो मतलब है वह भी पूरा होगा। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह दुबारा इस पर विचार करें।

श्री गजेन्द्र सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को हमारा संशोधन न मानने में जो परेशानी है उसमें दो तीन दलीलें दीं। पहली दलील यह थी स्टाफ शिफ्ट करने में जरा खर्चा बढ़ जायगा और ज्यादा परेशानी होगी मगर सरकार तो वैसे भी इसका खर्चा लेगी। किसान से इसका खर्चा वसूल किया जायगा। तो यह कोई प्रश्न सरकार के सामने नहीं आता।

दूसरी चीज यह कही जमींदारी खात्म के बारे में। वह यह कि कहीं का किसान जमींदारी व्यवस्था से खुश हो और वह यह चाहे कि उसके यहां की जमींदारी खत्म न हो लेकिन इसमें एक चीज है और वह यह कि सरकार ने पूरे प्राविन्स में एक समय में जमींदारी समाप्त की और जबकि चकबंदी सरकार ५ साल में करने जा रही है। ऐसी सूरत में अगर जमींदारी का खात्मा भी ५ साल में होता और यह संभव था कि कहीं का किसान यह कहता कि उसके यहां जमींदार बड़ा जाबिर है और उसके आतंक से छुड़ाने के लिये उसके यहां पहले जमींदारी का खात्मा किया जाय बजाय उस जगह के जहां का किसान जमींदार से संतुष्ट था। तो मेरा खयाल है कि आप उनके प्रस्ताव को कंसीडर करते और वहां पहले जमींदारी खत्म करते जहां का किसान परेशान था। लेकिन जमींदारी तो आपने सारे प्राविंस में एक साथ खत्म कर दी। चकबंदी एक ही बार न करके आप ५ साल में करने जा रहे हैं। ३९ का जो चकबंदी कानून था उसमें भी यह प्राविजन था कि दो तिहाई आदमी किसी क्षेत्र के अगर चाहते हों कि उनके यहां चकबंदी हो तो चकबंदी हो सकती थी। ऐसी सूरत में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो दलीलें उन्होंने मेरे संशोधनों की मुखालिफत में दी हैं वह मुझे अपील नहीं करतीं और मैं उनसे फिर अपील करूंगा कि वह मेरे संशोधन को मान लें।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहली बार थोड़ी सी समझने में गल्ती की और वह यह कि मैं यह समझा कि माननीय गजेन्द्र सिंह जी यह चाहते हैं कि जहां ५० फीसदी लोग दरख्वास्त दें केवल वहां चकबंदी की जाय लेकिन मंशा उनका शायद यह नहीं है। मंशा यह है कि जहां गवर्नमेंट करे वहां तो हो ही, लेकिन और गांव जो चाहें वहां पर भी चकबंदी कर दी जाय। लेकिन जो मैंने एक दलील खर्च आदि के सिलसिले में दी थी वह अपनी जगह पर कायम है उसकी वजह यह है कि मान लीजिये एक बहुत छोटा गांव है अगर यहां यह लाजिमी करार देते हैं ५० फीसदी से ज्यादा गांव के लोग चाहें तो वहां स्टाफ भेजना ही पड़े तो उस स्टाफ का सारा टाइम भी लगगा। मान लीजिये एक असिस्टेंट कन्सालिडेशन आफिसर है वह एक नायब तहसीलदार होगा और कन्सालिडेशन आफिसर जो है वह तहसीलदार होगा। अब जहां तमाम जिले की चकबंदी एक तरफ हो रही है और अगर दूसरी तरफ इसको कम्पलसरी कर दें कि ५० फीसदी या ज्यादा आदमियों की दरख्वास्तें आयें तो वहां भी चकबंदी की जाय और उस तहसीलदार के चार्ज में एक परगना आता है या दो परगने आते हैं या आधा परगना आता है या एक असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर १० गांवों में मुकर्रर किया जायगा तो उसे एक छोटे गांव के लिये आना जाना पड़ेगा और उस आने जाने में वक्त खराब होगा और वह खाली बैठा रहेगा और खर्चा होगा। इसलिये जब हम सब गांवों में चकबंदी करना चाहते हैं आज या कल तो अन्तर क्या पड़ता है। नम्बर से तो सब गांवों में हो जायगा, सिलसिले से हो जायगा और इसके अलावा जो उनकी मंशा है अगर कहीं वह जनहित में हुई तो उस दरख्वास्त के हुये बिना ही कम्पलसरी बिना किये हुए ही बिना संशोधन किये हुये ही वह मंशा पूरी हो सकती है क्योंकि जहां बहुत बड़ा गांव है और वहां चकबंदी हो रही है और उससे मिला हुआ गांव है और वहां के काश्तकार चाहें कि उनका गांव भी शामिल कर लिया जाय तो कोई रुकावट उसमें नहीं है। अपने यहां के कलेक्टर से कहें और कलेक्टर गवर्नमेंट को लिख दे। गवर्नमेंट उसको भी शामिल कर लेगी। तो यह संशोधन अनावश्यक है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो रूल्स में कर दीजियेगा ?

श्री चरण सिंह—उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां है कि चकबंदी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार, यह प्रख्यापित कर सकती है कि उसने किसी जिले अथवा स्थानीय क्षेत्र के संबंध में चकबंदी योजना बनाने का निश्चय किया है। अगर कोई गांव जहां हमारी चकबंदी का काम चल रहा है वहां उसके पड़ोस के गांव के लोग अगर चाहें तो अपने यहां के कलेक्टर से कह सकते हैं और वह गवर्नमेंट को लिखेगा कि उसको शामिल कर ले। रूल्स बनाने की जरूरत नहीं है और यह गैरजरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (१—क) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(१—क)—जिस किसी ग्रामीण क्षेत्र में वहां के रहने वाले ५० फीसदी या उससे अधिक खातेदार अपनी ओर से चकबंदी की मांग करें सरकार द्वारा उस क्षेत्र को भी चकबंदी की योजना के लिये प्रख्यापित किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

प्रख्यापन का प्रभाव।

५—(१) धारा ४ के अन्तर्गत प्रख्यापन के प्रकाशित होने पर जिला अथवा स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी दशा हो, प्रकाशन के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं (consolidation operations) के अन्तर्गत समझा जायगा जब तक कि धारा ५१ के अन्तर्गत सरकारी गजट में इस आशय की विज्ञप्ति न प्रकाशित कर दी जाय कि चकबन्दी की क्रियायें समाप्त कर दी गयी हैं।

(२) जब कोई जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत हो, तब यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ३ के अधीन नक्शों, खसरे तथा वार्षिक रजिस्टर की तैयारी के रख रखाव का कार्य बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को संक्रामित हो जायगा, और तत्पश्चात् उक्त चैप्टर के अधीन कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार को प्राप्त सभी अधिकार, जब तक जिला अथवा क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत रहे, क्रमशः बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रयुक्त किये जायंगे।

श्री रतनलाल जैन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव दिया उसके कुछ भाग का संशोधन करके मैं पेश करना चाहता हूं—

खंड ५ के उपखंड (२) की पंक्ति १ में शब्द "अन्य' के पहले शब्द 'कोई' बढ़ा दिया जाय।

यह अंग्रेजी में जैसा है 'डिस्ट्रिक्ट आर एनी अदर लोकल एरिया' एनी अदर की जगह पर कोई शब्द बढ़ाना चाहता हूं। मेरे ख्याल में यह उचित है।

श्री चरण सिंह—यह कोई अन्य को भी गवर्न करेगा और जिले को भी गवर्न करेगा वह ठीक नहीं है।

श्री रतनलाल जैन—मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "तैयारी" और शब्द "रख रखाव" के बीच के शब्द "के" के स्थान पर शब्द "और" रख दिया जाय तथा पंक्ति ६ में शब्द "तक" और शब्द "जिला" के बीच में शब्द "उक्त" जोड़ दिया जाय।

श्री मान् जी, इस संशोधन का प्रभाव यह पड़ेगा कि इससे इस धारा का अर्थ और भी स्पष्ट हो जायगा। जिस तरह से इसमें दिया हुआ है वह स्पष्ट नहीं है। इसलिये जरूरत है कि इसमें संशोधन किया जाय। संशोधन का जो दूसरा भाग है उससे भी अर्थ स्पष्ट होता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इनको स्वीकार किया जायगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "तैयारी" और शब्द "रखरखाव" के बीच के शब्द "के" के स्थान पर शब्द "और" रख दिया जाय तथा पंक्ति ६ में शब्द "तक" और शब्द "जिला" के बीच में शब्द "उक्त" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

धारा ४ के अन्तर्गत प्रचारित प्रख्यापन का रद्द करना।

६—(१) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह धारा ४ के अन्तर्गत प्रचारित प्रख्यापन को, उसमें निर्दिष्ट समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी एक भाग के संबंध में, रद्द (cancel) कर दे।

(२) जब उपधारा (१) के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में प्रख्यापन रद्द कर दिया जाय, तो वह क्षेत्र रद्द हो जाने के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत न रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

माल अभिलेखों की परीक्षा।

७—सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी की कच्ची योजना (Provisional Consolidation Scheme) तैयार करने से पहले सम्पूर्ण गांव के खेत खेत की परताल कर के गांव के नक्शे, खसरे तथा चालू वार्षिक रजिस्टर शुद्धता की जांच तथा परीक्षा करेगा। वह एक ऐसा विवरण भी तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित दिखाई गयी हों:—

(क) नक्शे, खसरे और खतौनी में पाई गई अशुद्धियां और उनका प्रकार;

(ख) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन भौमिक अभिलेखों (land records) के विषय में विवादों (disputes) की संख्या और उनका प्रकार (nature)।

श्री जयराम वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ की पंक्ति १ में शब्द "कच्ची" के स्थान पर शब्द "अस्थायी" रख दिया जाय, पंक्ति ४ में शब्द "रजिस्टर" तथा शब्द "शुद्धता" के बीच में शब्द "की" जोड़ दिया जाय तथा पंक्ति ५ में शब्द "दिखायी गयी" के स्थान पर शब्द "प्रदर्शित" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, अधिनियम के अन्दर एक अर्थ के लिये एक शब्द ही इस्तेमाल होना चाहिये और उसी आशय से यह संशोधन यहां पर पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार किया जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति १ में शब्द "कच्ची" के स्थान पर शब्द "अस्थायी" रख दिया जाय, पंक्ति ४ में शब्द "रजिस्टर" तथा शब्द "शुद्धता" के बीच में शब्द "की" जोड़ दिया जाय तथा पंक्ति ५ में शब्द "दिखायी गयी" के स्थान पर शब्द "प्रदर्शित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ की पंक्ति ४ में से शब्द "रजिस्टर" निकाल दिया जाय और इसके स्थान पर शब्द "रजिस्टरों की" रख दिये जांय। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे मित्र जयराम वर्मा जी ने पेश किया है उसी प्रकार का यह संशोधन भी है। परन्तु थोड़ा सा अन्तर है इसमें रजिस्टर लिखा गया है कि जो कोई रजिस्टर होंगे तो इसके स्थान पर "रजिस्टरों की" शुद्ध है और वही होना चाहिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह संशोधन स्वीकार है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि यह शब्दों के जो संशोधन हैं कि इसमें या, के, की, पर, में होना चाहिये तो इसके लिये सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि जब कभी इन बिलों के लिये कमेटी बनायी जाय तो उसमें जयराम वर्मा और श्री श्रीचन्द्र जी को रख लिया जाया करे तो यह मामूली संशोधन वहां पर हो जायंगे। इन छोटी छोटी बातों से सदन का समय बरबाद होता है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की राय अगर पहले ही ले ली जाया करे तो सदन का समय बच सकता है। अगर माननीय मंत्री जी उनकी राय से पहले ही "का" 'की' का मामला तय कर लिया करें और आगे के लिये मेरी यह सलाह अवश्य मान ली जाय। वैसे तो आज १ अप्रैल है और उसके कारण सदन का समय नष्ट करना चाहते हों तो दूसरी बात है। मैंने इसके बारे में पहले भी कहा था लेकिन आगे के लिये इस सलाह को जरूर मान लिया जाय।

श्री श्रीचन्द्र—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र उपाध्याय जी ने जो कहा है वह बिल्कुल ग़लत है। उनको मालूम होना चाहिये कि "का" "की" "के" अन्तर से जो अर्थ बिलकुल पलट जाता है और यह तो समझ की चीज होती है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे वह मित्र ही व्यर्थ में समय नष्ट किया करते हैं, मैं तो जो ठीक बात है उसी के कहने में कभी १ मिनट से अधिक नहीं लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ७ की पंक्ति ४ में से शब्द "रजिस्टर" निकाल दिया जाय और इस के स्थान पर शब्द "रजिस्टरों की" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं। परन्तु मैं आपकी आज्ञा से इतना और कहना चाहता हूं कि "८ अगस्त" के पहले "और" इस संशोधन में और बढ़ा दिया जाय। संशोधन इस प्रकार से हो

[श्री गेंदा सिंह]

जायगा कि "और ८ अगस्त, सन् ४६, अथवा उसके बाद सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि पर अधिकार प्राप्त करने वालों तथा कब्जा रखने वालों की एक सूची तैयार करेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मूल खंड है वह इस प्रकार है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी की कच्ची योजना तैयार करने से पहले सम्पूर्ण गांव के खेत खेत की परताल करके गांव के नक्शे, खसरे तथा अधिकार अभिलेख चालू वार्षिक रजिस्टर शुद्धता की जांच तथा परीक्षा करेगा।" इसके आगे हम अपना यह संशोधन रखना चाहते हैं। अगर ऐसा हो जायगा तो जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि यह कठिनाई उनके सामने होगी कि किस प्रकार हम यह समझें कि सार्वजनिक उपयोग की जो जमीन थी वह किन लोगों ने ले ली और कितनी ले ली। इन सब चीजों की छानबीन उस वक्त हो जायगी। खातेदारों को अलग रखने पर यह कठिनाई हो सकती थी कि थोड़ी भी जमीन कोई ले लें तो ऐसी हालत में बड़े से बड़ा खाता भी चकबन्दी से महरूम हो जायगा लेकिन यह उपयुक्त मौका है जिस मौक़े पर हम इस प्रकार की जमीनों को अलग छांटने का रजिस्टर तैयार कर लेंगे। इस तरह से जो उपधारा "क" "ख" रखी गयी है उसके आगे एक "ग" और बढ़ाना पड़ेगा और अगर इस तरह का रजिस्टर तैयार हुआ तो फिर उस पर कार्यवाही क्या की जाय। उपधारा (क) जो है उसमें लिखा है, "नक्शों, खसरे और खतौनी में पायी गयी अशुद्धियां और उनका प्रकार; (ख) में यह लिखा है, "यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन भौमिक अभिलेखों (land records) के विषय में विवादों (disputes) की संख्या और उनका प्रकार (nature)" (ग) में इस प्रकार लिखना होगा, "सार्वजनिक भूमि के संबंध में गांव सभा अथवा गांव सभा के सदस्यों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों की फेहरिस्त।"

इस तरह से इसमें जब यह बढ़ा दिया जायगा तो आगे कंसालिडेशन आफिसर को यह अवसर मिल सकेगा कि वह उस पर विचार कर सकेगा और आगे चल कर फिर इसमें वह अवसर मिलेगा कि खंड ७ जो है वह इसलिए रखा गया है कि गांव के जो इन्दराज हैं अगर वह इन्दराज गलत हैं तो सब से पहले असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर जाकर गांव में उन इन्दराजों को दुरुस्त करने की सब से पहले कार्यवाही करता है उस वक्त यह बिल्कुल उपयुक्त होगा कि हम जो सार्वजनिक उपयोग की जमीनें हैं उनका भी नक्शा अलग से तैयार करालें और जब यह नक्शा अलग से तैयार होगया तो उसके बाद आसानी हो जायगी। जिस प्रकार से इन्दराजों के सिलसिले में असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर लैंड मैनेजमेंट कमेटी की मदद से फैसला करेगा या जांच करेगा उसी प्रकार से गांव सभा की आपत्ति पर, या गांव सभा के किसी सदस्य की आपत्ति पर इन मामलों की भी छानबीन कर लेगा और छानबीन करने के बाद जिस तरह से और भी आगम सम्बन्धी मामलों का फैसला करने का आगे बन्दोबस्त इस विधेयक में किया गया है उसी प्रकार इन सार्वजनिक भूमि संबंधी विचारों के संबंध में भी आगे आगम सम्बन्धी झगड़ों का फैसला करने जैसी गुंजायश कर दी जायगी। मैं समझता हूं कि इतनी सफाई हो गयी है कि माननीय राजस्व मंत्री जी की जो दिक्कत है वह इस संशोधन से रफा हो जायगी और जो कुछ वह चाहते हैं वह भी हो जायगा।

इस प्रकार मैं समझता हूं कि इस संशोधन को माननीय राजस्व मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के विरोध में खड़ा हूं।

श्रीमान्, यह संशोधन इस प्रकार है, "और ८ अगस्त, सन् ४६, अथवा उसके बाद सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि पर अधिकार प्राप्त करने वालों तथा कब्जा रखने वालों की एक सूची तैयार करेगा।" मुझे यह अर्ज करना है कि जहां तक सूची तैयार कराने का सवाल है वह तो मंत्री महोदय एक्जीक्यूटिव आर्डर से भी करवा सकते हैं। मुझे जहां तक मालूम है अब तक

पटवारियों ने बहुत से कागजात ऐसे तैयार किये हैं जिससे यह साफ प्रगट हो सकता है कि उन लोगों के खाते कितने हैं और कहां कहां हैं जिनका पट्टा ४६ के बाद हुआ है। अगर यह कहा जाय कि जमींदारी टूटने के भय से जमींदार ने गलत पट्टे दिये हैं तो इसके लिये मुझे यह कहना है कि यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट जो उस समय प्रचलित था उसकी धारा ५५ की उपधारा ३ के अनुसार हर काश्तकार जो पट्टा लेता था उसको यह हक था कि वह कबूलियत और पट्टा उसका हो जिसका फार्म भी मौजूद है। उसको पढ़ने से विशेष लाभ नहीं है। इसलिये पढ़ना मुनासिब नहीं समझता हूं। लेकिन यह एक ऐसी प्रत्यक्ष बात है कि जो सभी जानते हैं। यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट के अनुसार हर जमींदार को हक़ था कि वह पट्टा दे सके और हर काश्तकार को यह हक़ था कि वह पट्टा करा सके। लिहाजा इसमें कोई चीज ऐसी अवैधानिक नहीं हुई जब कि किसी जमींदार ने पट्टा दिया या किसी काश्तकार ने पट्टा लिया।

अब यह कहा जाता है कि कि जो ऐसे पट्टे हैं या ऐसे जो खाते हैं, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है उस से उस को अलग कर के, उसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं रखा जाय। श्रीमन्, इसके बारे में मुझे यह कहना है कि यू० पी० जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा २१२ आप की आज्ञा से मुझे पढ़नी है। उसमें यह प्रत्यक्ष है। उस में शक नहीं कि यह अधिकार केवल गांव पंचायत को है कि किसी भी पट्टे के ऊपर आपत्ति कर सके और आपत्ति जब की जाय तो न्याया-धीश का यह फ़र्ज़ होगा कि उस को वह प्रतिकर दिलाये जो कि अधिनियम के अनुसार हो और जब प्रतिकर मिल जाय तभी वह पट्टा रद्द किया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है।

श्रीमन्, जब ऐसी बातें कही जाती हैं कि यह अनधिकार था किसी भूतपूर्व जमींदार के लिये कि वह पट्टा दे या किसी काश्तकार के लिये कि वह पट्टा ले, तो मुझे यही कहना है कि एक वैधानिक तौर से पट्टा लिया गया। अगर यह संशोधन स्वीकार भी किया जाय तो इसका कोई परिणाम नहीं हो सकता है, क्योंकि इस विधेयक द्वारा जो भविष्य में चल कर अधिनियम होगा, उससे किसी सूरत से उस अधिकार पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता, उसका वह अधिकार नहीं छीना जा सकता है। क्योंकि जब कि यू० पी० जमींदारी अबालिशन ऐंड लैन्ड रिफार्म ऐक्ट बन रहा था, उस वक्त भी यह सरकार को अच्छी तरह से मालूम था। शिकायतें आईं थीं। कहां तक वह सच्ची थीं या ग़लत थीं इसको भी मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन सरकार के सामने यह बात थी। लेकिन कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल ३१ में आवश्यक है श्रीमन्, कि जब भी कोई जायदाद किसी से ली जाय तो उस को प्रतिकर देना आवश्यक होता है। लिहाजा यह कांस्टीट्यूशनल इश्यू है और कोई व्यक्ति जब यह कहता है कि बग़ैर मुआविज़े के यह ले ली जाय तो यह तब तक असंभव है श्रीमन्, जब तक कि संविधान में संशोधन न किया जाय। और भारतीय संविधान एक ऐसा अधिनियम अथवा एक ऐसी पुनीत पुस्तक है जिसके उपबन्धों के प्रतिकूल यदि कोई भी नियम बनाया जाय तो जो श्रीमन्, वह अवैधानिक करार दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय गेंदा सिंह से यह कहूंगा कि अगर मैं मान भी लूं कि संशोधन मान भी लिया जाय तो उस का वह मंशा जो वह चाहते हैं उसकी पूर्ति नहीं होती है, जब तक कि वह ४ साल के बाद जब फिर जनरल एलेक्शन हो, इतनी शक्ति में वह आवें कि संसद पर उनका अधि-कार हो और उसके जरिये वह भारतीय संविधान उपबंधों को, आर्टिकिल ३१ को संशोधित करें और इस रूप से कर दें कि प्रतिकर देना आवश्यक न रह जाय, उस अवस्था में उनकी इच्छा की पूर्ति होना सम्भव है। और इस संबंध में, जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा है कि यह जो शाब्दिक संशोधन हैं उनके कोई मानी नहीं हैं, तो उनके तो कुछ मानी हैं भी लेकिन ऐसे संशोधन जो इस विधान सभा के अधिकार क्षेत्र के परे हैं, मैं समझता हूं कि उन को ला कर केवल समय नष्ट किया जा रहा है।

श्री बलवन्त सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन का संबंध है उससे मुझे तो पूरी सहानुभूति है। जो लोग देहात में रहते हैं वह इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि जिस समय जमींदारी ख़त्मे के कानून की चर्चाएं चल रही थीं,

[श्री बलवन्त सिंह]

लोगों ने, चाहे वह जमींदार थे या नहीं थे, उन्होंने ऐसी बहुत सी अनधिकार चेष्टायें कीं कि गाँव के रास्ते, पड़ी हुई जमीनें, खलिहान, कोल्हू, यहाँ तक कि जहां पर मुर्दे दफनायें या जलाये जाते हैं, जिन तालाबों पर हमारे मवेशी पानी पीते थे उनको भी तुड़वा डाला गया और उन पर भी खेती-बारी शुरू करा दी।

खेती बाड़ी शुरू करना यह तो बुरी बात नहीं मगर जो गांव के सामूहिक उपयोग के लिये भूमि इस्तेमाल की जाती थी उनको उस उपयोग में न लाकर दूसरे उपयोग में रख देने से कितनी परेशानी गांव के लोगों को होगी यह वही लोग जानते हैं कि जो गांव में रहते हैं। वह भाई साहबान जो कि शहरों में रहते हैं और केवल उन्होंने उसके पट्टे लिख करके अपनी जेब में पैसे रख लिये वह इन दिक्कतों और परेशानियों को नहीं समझते कि गांव के लोगों को और वहां के रहने वालों को किस कदर परेशानी उनके इस काम से हो रही है। अब रही यह बात कि जिन लोगों ने पट्टे लिखा लिये हैं और रुपये जमींदारों को दे दिये हैं उन्हें किस तरीके से देखा जाय। मैं तो यह समझता हूं कि कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो ट्रेसपासर को कोई हक देता हो। अगर किसी आदमी ने अनधिकार चेष्टा की है, और समाज के कानून के विपरीत उसने कोई कार्यवाही की है तो उसको मुआविजा देने का क्या सवाल पैदा होता है। मुआविजा तो उस आदमी को दिया जाता है जिसने कि कानून की मंशा के मुताबिक जमीन के ऊपर कब्जा किया हो या उसके हाथ में जमीन हो। वह आदमी जिसने कि प्रचलित कानून के विरुद्ध कब्जा किया है उसको मुआविजे का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो प्रस्ताव हमारे भाई गेंदा सिंह जी ने इस स्थान पर रखा है मैं यह समझता हूं कि उसके अन्दर कोई खराबी की बात नहीं है। अगर कोई एक ऐसी लिस्ट बनाई जाय और जो अधिकारी जायेंगे और वह जाकर के अभिलेखों और रेकर्ड्स को ठीक करेंगे तो वह यह भी देख लें और इस बात का भी निर्णय कर लें कि कौन सी ऐसी भूमि है जिन पर कि लोगों ने सन् ४६ के बाद में जब कि जमींदारी खाते का यह कानून आने वाला था उसकी मंशा के विरुद्ध कब्जा किया है तो यह कोई बुरी चीज नहीं है मगर मैं एक बात समझता हूं कि जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि इसका फायदा क्या होगा और इसके कर देने से इस तमाम दिक्कत को उठा लेने से होगा क्या, तो मैं यह समझता हूं कि जो अभी आश्वासन माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने दिया है वह आश्वासन पर्याप्त है, क्योंकि कोई भी आदमी और खास तौर से हमारी गवर्नमेंट और माननीय मंत्री जी इस बात को बहुत पहले से सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसी अनधिकार चेष्टा कर ली और तमाम के तमाम गांव के आराम और आसायश को एक खतरे में डाला है उन लोगों का क्या किया जाय। मगर उसका तरीका होता है और वह इस प्रकार की कार्यवाही करने से जैसा कि उन्होंने बतलाया है कि हमारी चकबंदी की योजना दूर पड़ जाती है और उससे हमारी चकबंदी में नुक्सान बैठ जायगा, तो मैं इससे बहुत कुछ सहमत हूं मगर मैं यह बात जरूर चाहता हूं कि ऐसे लोगों का कि जिन लोगों ने कब्जे कर लिये हैं उन चीजों पर जो कि सार्वजनिक उपयोग की थीं, उनके अभिलेख, उनके रेकार्ड्स जरूर बनाये जाने चाहिये जिससे कि आगे जो भी योजना बने उस योजना के अनुसार उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके चाहे वह इस ऐक्ट की कार्यवाही के अन्दर कर दी जाय या और किसी ऐक्ट की कार्यवाही के दौरान में कर लिया जाय। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि कहीं पर तो इस ऐक्ट की धारायें ५ वर्ष के अन्त में लागू होंगी, चूंकि गवर्नमेंट का विचार ५ वर्ष के अन्दर अन्दर चकबंदी कर देने का है. मगर जो मौजूदा कानून दो साल का लिमिटेशन है किसी ऐसे आदमी के विपरीत दावा किया जाय कि जिसने अनधिकार चेष्टा करके किसी भूमि पर कब्जा कर लिया है तो जो दफा २०९, २१२ वगैरह है उसके हिसाब से वह लोग साफ छूट जाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ

इस ऐक्ट के अन्दर तो मैं समझता हूं कि कोई कार्यवाही मुनासिब न हो सकगी मगर कोई ऐसा कानून उन लोगों के लिये बनाना चाहिये। क्योंकि अगस्त, सन् ४६ के बाद भी आज आप यह देखें कि कितना समय गुजर जाता है और उसमें लिमिटेशन और कानून मियाद का सवाल आ जाता है। इसलिये माननीय मंत्री जी ने जैसा अभी आश्वासन दिया था कि इसके लिये कोई स्पेशल कानून बनना चाहिये जिससे कि ऐसे आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी से और अपने सोशलिस्ट भाइयों से यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसी दिक्कत को देखते हुये कानून मियाद वगैरह की, जितने और संशोधन और भाइयों के इसी प्रकार के हैं, उन सब को वापस ले करके जो आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया है उसी को मान लें।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि वह प्रश्न तो गवर्नमेंट के विचाराधीन है ही और खातिरख्वाह जाब्ता निकल आये। उसकी मैं फिक्र में बहुत दिनों से हूं और उसका एक्जामिनेशन हो रहा है, शायद कोई तरकीब निकल आयें। लेकिन उसको यहां इस मामले से उलझा देना ठीक नहीं है और उसको यहां मिला देना मैं उलझा देना ही समझता हूं। जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट की दफा २०९ और २१२ के मातहत वह कार्यवाही होगी, अगर कोई समरी प्रोसीजर निकल आया तो हम यहां इसमें किसी के राइट वगैरह का क्वेश्चन नहीं तय कर रहे हैं, यहां रिआर्गेनाइजेशन आफ लैन्ड और रिअरेंजमेंट आफ होल्डिंग्स इन दोनों मामलों को मिला देने से कंफ्यूजन होगा। यह जो असिस्टेन्ट कंसालिडेशन आफिसर है वह हर व्यक्ति के खेत पर जायेगा और मौके के मुताबिकत उसके कागजात से करेगा, कहीं इन्दराज की गलती पायेगा तो उसका करेक्शन करायेगा। किसी को एतराज होगा तो वह तहसीलदार के सामने रिपोर्ट करेगा, तहसीलदार का फैसला होगा, उस पर किसी को एतराज हो तो उसकी अपील होगी। इस तरह इंटरीज अगर गलत हों तो उनको करेक्ट करने का अधिकार असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर को दिया जा रहा है। माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन रखा है धारा ७ में उसी से संबंधित एक और उनका संशोधन दफा ८ में आने वाला है। उसका मतलब यह है कि इंटरीज तो वहां सही हैं लेकिन टाइटिल तय करने का अख्तियार आप दे रहे हैं असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर को तो इंटरीज इंकरेक्ट होने का सवाल नहीं है, जबकि हमारी स्कीम यह है कि जहां इंटरीज इनकरेक्ट हों उनको असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर सही करेगा। यहां आप असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर को, ऐसे खातों की सूची बना करके और दफा ८ में जो आप संशोधन रख रहे हैं वह यह है कि उनका नाम वह खारिज कर दे, बड़ा अख्तियार दे रहे हैं। इसलिये मेरा मशविरा माननीय गेंदा सिंह जी को यह है कि जो बात उनके मन में है उससे सभी सहमत हैं, वह कांटा कैसे निकले यह प्रश्न है और उस कांटे को निकालने के लिये तजवीज हो रही है, वह जिस ढंग से निकलना चाहिये, जहां निकलना चाहिये, वहीं निकाला जायगा दफा २१२ और २०९ जमींदारी एबालिशन ऐंड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट में, यहां इसका मौका नहीं है। मैं ज्यादा कह करके सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो बात कही गई वह पहले ही की गयी है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्त ज्यादा नहीं कहना चाहता। अभी माननीय मंत्री जी ने काफी स्पष्टीकरण कर दिया है। मुझे अब कुछ थोड़ा-थोड़ा शक होने लगा है कि माननीय गेंदा सिंह जी चकबंदी नहीं चाहते हैं। वे जाहिरा तो कहते हैं कि चकबंदी अच्छी चीज है, चकबंदी होनी चाहिये, लेकिन जिस तरह से वे संशोधन रख रहे हैं, उसका फल यही होगा कि चकबंदी तो रुक जायगी और पहले यह तय करना पड़ेगा कि कौन सा खाता किस का है। अगर इनका संशोधन मान लिया जाय, तो उसका अर्थ होगा कि जिस वक्त कंसालिडेशन आफिसर ने अपना नक्शा बनाया कि इस तरह से उन खातों को निकाला जो पहले सार्वजनिक जमीन थी तो उसका नतीजा यह होगा कि टाइटिल डिसप्यूट्स होंगे।

[श्री शिवनाथ काटजू]

चकबंदी तो दूसरी तरफ रह जायगी, पहले यह मामला तय होगा कि जब एक कानून के अन्तर्गत यह खातेदार हैं, उनका नाम है और दूसरी तरफ से बायें हाथ से; आप उनका नाम यह कह कर निकाल रहे हैं कि उन्होंने जबरदस्ती की थी लिहाजा उनको एक तरफ कर दिया जाय तो यह कहां तक दुरुस्त है। इसका फैसला तो फिर आरबीट्रेटर करेंगे या शायद आरबीट्रेटर के कहीं आगे जाय। मेरा खयाल है कि माननीय गेंदा सिंह जी यह चाहते हैं कि चकबंदी दूर रहे और पहले यह सब चीजें तय हो जायं ताकि उनको कहने का मौका मिले कि मैंने कोशिश की थी चकबंदी के लिये लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की बातें हुईं जिनके फलस्वरूप चकबंदी रुक गई। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी का जो संशोधन है वह एक तो कानून के विरुद्ध है क्योंकि जिसके नाम खाता पड़ गया, एक कानून के अन्तर्गत पड़ गया तो आप इस चकबंदी के कानून के अन्तर्गत उसे नहीं निकाल सकते। चकबंदी के कानून का अभिप्राय यह है कि जिसके जितने खेत हैं उन सब को एक करके, उनको कम्पेन्शेसन देकर एक जगह कर दें। उसका टाइटिल क्या है यह तो आप तै नहीं कर रहे हैं। आप का मतलब तो यह है कि चकबंदी को दूर रखा जाय और टाइटिल डिसप्यूट्स को आगे किया जाय, तो कहां तक यह इस विधेयक के उद्देश्य के अन्दर है उसको माननीय गेंदा सिंह जी ज्यादा समझेंगे। मैं इन शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूं।

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिवनाथ जी काटजू की बात बहुत ध्यान से सुनता रहा। मुझे आश्चर्य भी हुआ और कुछ थोड़ा सा कष्ट भी हुआ। उन्होंने यह न कह कर के कि हम क्या गलत कहते हैं उन्होंने हमारे मंशे के ऊपर हमला किया कि मेरा यह सब कुछ करने का उद्देश्य है कि चकबंदी जो है वह कामयाब न हो। मुझे जो कुछ कहना होता है स्पष्ट कहता हूं। मैंने तो पहले कहा था जब कभी चकबंदी की बात आयी, बहुत ही साफ शब्दों में कि चकबंदी एक ऐसी चीज है जो भूमि संबंधी परिवर्तन का बहुत बड़ा अंग इस देश में है, केवल अपने ही देश में नहीं सारे एशिया में, उस मांग के सामने सरकार टिक नहीं पाती। इसलिये सरकार को मजबूर हो करके इन सारी चीजों को छोड़ करके चकबंदी जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है उसको ले कर के चलना पड़ता है। तो मैंने तो पहले, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को कहा था कि हम चाहते जरूर हैं कि कोई बहुत अच्छी चीज हो, एक बहुत बड़ा महल बनायें लेकिन बहुत बड़े महल बनाने के दौरान में अगर कोई एक ईंट भी रखना चाहता हो तो उस ईंट को उखाड़ कर फेंकना हम नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि ठीक है अगर एक ईंट भी आ कर के उस जमीन में पड़ गयी तो हमारा काम उतना हलका हो गया, मैं इस दृष्टि से इस चकबंदी का समर्थन करता हूं। हम खेती करने वाले हैं, हम खेती करते हैं और हम जानते हैं कि हमारा लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत लाभ का जहां तक प्रश्न है वह तो हम ऐसी खेती करने वाले हैं जो मध्यम वर्ग के खेती करने वाले होते हैं। हमारा तो लाभ होने वाला है। हमारे ५० जगहों पर अगर खेत हैं तो तीन चार जगह में हो जायेंगे, तो इससे हमारा व्यक्तिगत लाभ होने वाला है। हमारी नीति क्यों ऐसी होगी कि यह काम न हो, हमारी नीति है कि हो। लेकिन हम समझते हैं और हम इस बात को कोशिश भी करेंगे कि चकबंदी की योजना सफल भी हो। इसीलिये ईमानदारी के साथ जितनी बात भी हमारी समझ में आती है उतनी बात हम सदन के सामने रखते हैं ताकि जो कुछ भी उसकी कठिनाई हो वह दूर हो जाय। हमको मालूम है कि चकबंदी कैसे रोक दी गई थी आज से ८,१० बरस पहले। उन रोकने का यत्न करने वालों में से एक मेरा नाम भी था। उस समय चकबंदी किसानों के अहित में थी। मैं उस जानकारी का लाभ अब उठाना चाहता हूं। मैं इसलिये नहीं कहता कि चकबंदी की योजना नाकामयाब हो जाय। उस योजना की कामयाबी के लिये मैंने यह संशोधन रखा है। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के विरोध का तो हमें अधिक आश्चर्य नहीं होता और न खेद होता है क्योंकि उनके बारे

में मेरा यह खयाल है कि जो कुछ हम कहें उसका वे विरोध करें। यह उनका विचार है। इसलिये हम उस पर कुछ अधिक विचार भी नहीं करते। लेकिन एक बात उनसे अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि वह हर जगह कंस्टीट्यूशन को लाकर हमारे सामने रख देते हैं। उस विधान बेचारे को क्यों इतना घसीटते हैं, हमको नहीं मालूम। वह बेचारा बिना मुंह का देवता है। उसे इस कदर तंग मत करें। विधान के साथ जहां उन्हें इतनी सहानुभूति है वहां इस जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम से क्यों इतनी चिढ़ है? एक स्वाभाविक बात हो सकती है लेकिन बात गुजर गई और अब वह बेचारा काग़ज़ है ३४६ या ३४८ दफाओं का लिखा हुआ, जिसमें उनका भी लाभ है और हमारा व देश का भी लाभ है। कंस्टीट्यूशन की बात करते हुये उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि यह जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम उस कंस्टीट्यूशन के गढ़ को पार कर के पास हो चुका है और उसे उन्होंने और उनके दलवालों ने सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा लेकिन उस कोर्ट ने भी उस अधिनियम को पास कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ठीक है। जमींदारी अधिनियम में दफा २१२ है जिसके अनुसार गांव पंचायतों को यह अधिकार है कि सार्वजनिक भूमि पर जिन लोगों ने अधिकार कर लिया हो उन पर दावा दायर हो सकता है और वे बेदखल किये जा सकते हैं। अगर वे बेदखल किये जा सकते हैं और इस धारा के साथ जमींदारी विनाश अधिनियम पास हो चुका तो फिर मैं कोई कारण नहीं समझता कि कंस्टीट्यूशन की कठिनाई को बार-बार अवधेश प्रताप जी हमारे सामने रखते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---उसे पढ़ लीजिये।

श्री गेंदा सिंह---खूब पढ़ा है मैंने और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि वह हम लोगों को पढ़ाना चाहेंगे तो और भी पढ़ लेंगे लेकिन वह यह नहीं समझें कि इस कंस्टीट्यूशन को हमने पढ़ा नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---सदन गवाह है।

श्री गेंदा सिंह---सदन तो हमारा ही नहीं उनका भी गवाह है।

अन्त में मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि इस संशोधन को मानने से उनका काम कठिन नहीं होता। उनका काम आसान होता है। इस विधेयक में आगे चलकर आगम संबंधी मामलों को आरबिट्रेटर को देने की गुंजाइश की गई है। माननीय काटजू साहेब ने कहा कि इस तरह से पार्टियों के झगड़ों को खड़ा करके तुम चकबंदी के मामले को घपले में डालना चाहते हो। लेकिन यह कोई शहर का तो मामला है नहीं। वहां तो ईजमैन्ट की बड़ी गुंजाइश है, वहां अपने उद्यान, महलों और बागीचों के लिये बड़ी गुंजाइश है। कौन जमींदार आकर आपत्ति कर सकता है और कौन बन्दोबस्त करा सकता है? लेकिन गांव की हालत, जैसा माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि पिछले ६-७ वर्षों में लोगों ने गांवों को नर्क बना दिया है, सड़कों को आबाद करके, गलियारों को आबाद करके, गढ़ों को आबाद करके, सिंचाई की जगहों को आबाद करके, चरागाहों को आबाद करके, मुर्दा फूंकने तक की जगहों को आबाद करके। जब कंसा लिडेशन आफ होल्डिंग्स की कार्यवाही को आज हम करने जा रहे हैं तो मैं माननीय श्री अवधेश प्रताप सिंह जी और श्री शिवनाथ काटजू से इस विधेयक को फिर से पढ़ने की दरख्वास्त करूंगा, जो हमें पढ़ने के लिये उपदेश दे रहे हैं।

मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह धारा १५ को फिर पढ़ जायं और धारा १४ को भी पढ़ जायं और देखें कि इस बात की गुंजाइश की गई है कि---

"(क) वर्तमान और प्रस्तावित गमनागमन के साधन (मीन्स आफ कम्यूनिकेशन्स)"

[श्री गेंदा सिंह]

(ख) ऐसा क्षेत्र जिस पर पेड़ लगाने या जिसे पशुचर भूमि, मत्स्य संबर्धन, खाद के गड्ढों, खलियानों, श्मशान भूमियों और कबरिस्तानों के लिये अलग कर देने का प्रस्ताव हो ।

(ग) आबादी के लिये नियत किये जाने वाला क्षेत्र,

(घ) सार्वजनिक उपयोगिता और अन्य सामान्य उपयोग के कार्यों के लिये स्थल (लोकेशन) ।

(ङ) सार्वजनिक सफाई संरक्षण (पब्लिक कंजरवेन्सी) की व्यवस्था ।

तो इन सारी चीजों के गुंजाइश करने की बात सोची गई है और इस तरह की जमीन की कमी पड़ेगी तो कंसोलिडेशन आफिसर और लैंड मैनेजमेंट कमेटी को गांव वालों से मांगनी पड़ेगी और जमीन उन लोगों से मांगने की गुंजाइश है जो एक एकड़, आधा एकड़, दस डेसीमल या दो डेसीमल के काश्तकार हैं उनसे भी जमीन मांगी जायगी। तो मेरा यह कहना है कि जिन जमीन वालों ने सार्वजनिक उपयोगिता के लिये जमीन ले रखी है उस वक्त देश की भलाई के लिये, गांव की तरक्की के लिये, उनसे अगर जमीन ले ली जाय तो कोई अनुचित बात नहीं है।

मैं समझता हूं कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह को शायद मैं समझा न पाया होऊं लेकिन इतना समझने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि वह हमारा समर्थन करेंगे और गांवों को फिर से बनाने में हमारी मदद करेंगे। राजस्व मंत्री जी से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है जैसा वह रखना चाहते हैं, वह कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वह ऐसी कंडीशनल बात कहते हैं कि अगर कोई रास्ता निकल पाया। कहते वह यह हैं कि सारा सदन इसके लिये फिक्रमंद है। सारा सदन अगर फिक्रमंद है तो फिर मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि रास्ता क्यों नहीं निकलता। एक बार नहीं अनेक बार यह बात उन्होंने कही है । सारा सदन फिक्रमंद रहता है, वह भी फिक्रमंद रहते हैं और उनका पूरा मंत्रिमंडल फिक्रमंद रहता है, लेकिन काम नहीं हो पाता है। हमारी सरकार चाहे कि यह काम हो जाय और सारा सदन चाहे कि यह काम हो जाय लेकिन फिर एक धर्म संकट आता है । मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। और कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। कांस्टीट्यूशन की कठिनाई को हम भी समझते हैं। इसमें और ८ अगस्त, १९४६ के भूमि-व्यवस्था अधिनियम में पूरी गुंजाइश है। सरकार के हाथ खुले हुये हैं। इसलिये इन बातों को यहां पर छोड़कर हम कह रहे हैं कि सरकार इस पर दूसरी तरह से विचार करे। फिर भी मैं कह रहा हूं कि इतना होने पर भी श्री काटजू साहब ने लांछन लगाया और कहा कि यह चकबंदी को रोकने के लिये सारी बातें सोच रहे हैं। अगर माननीय राजस्व मंत्री जी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं अपने संशोधन को वापिस ले लूं।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गेंदासिंह जी को शंका हो गई है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा जड़ नहीं है अर्थात् मैं नहीं समझता कि काटजू जी उनकी नियत पर कोई हमला करना चाहते थे और न उनका इरादा था और मेरा इरादा तो हरगिज नहीं था। मैं नहीं समझता कि गेंदा सिंह जी चकबन्दी की योजना को कामयाब होना नहीं देखना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वह इसके लिये बहुत उत्सुक हैं और यह मुझको उम्मीद है कि वह अपने इलाक़े में इसको पूरा कामियाब करने में जो जनता के नुमायन्दे होंगे, भूमि प्रबन्ध कमेटी और जो राज्य कर्मचारी होंगे उनका पूर्णरूप से हाथ बटायेंगे, इसमें मुझे लेशमात्र भी और तिलमात्र भी संदेह नहीं है। अब माननीय गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि मैं इच्छा रखते हुये भी और सदन की इच्छा को स्वीकार करते हुये भी अनकंडीशनल बात नहीं कहता हूं। उसकी वजह है। जैसा उन्होंने स्वयं संकेत किया, हम लोग बिलकुल निरंकुशता के साथ या

स्वेच्छाचारिता के साथ काम नहीं कर सकते हैं। हम पर अंकुश है और जैसा उन्होंने कहा, संविधान का अंकुश है और उस के साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट का भी अंकुश है। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो चाहे सो कर ले, मेरे ख़्याल से ऐसी कोई पब्लिक बाडी भी नहीं है कि जो उसकी इच्छा हो वह कर सके, बहुत सी बातों को उन्हें देखना पड़ता है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, मैं आधी ही कहूंगा, "व्हेर इगनोरेंस इज ब्लिस"। आगे और है मैं उसे छोड़े देता हूं। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो जानता है उसके सामने बहुत सी चीजें आती हैं, वह उसी की जिम्मेदारी होती है इसलिये वह फूंक-फूंक कर पैर रखता है। मैं इस बात में उनसे सहमत हूं कि कुछ सिलसिला निकाला जाय कि जो लोग ग़ासिब हैं, जो २०९ और २१२ के अंदर आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों का कुछ हक़ है। तो उनको अपनी बात और अपने हक़ को साबित करने का मौक़ा मिल जाय और सरसरी कार्यवाही भी हो जाय। तो इन दोनों बातों के लिये जो अपने लीगल ऐडवाइज़र्स हैं उनसे मशविरा लेना है। बात तो छोटी सी है लेकिन उस के अन्दर उसूल बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिये वे दो एक दिन के अन्दर मशविरा दे दें यह भी सम्भव नहीं मालूम होता। इसलिये मैं अनकंडीशनल बात कहने को तैयार नहीं हूं जब तक वह अन्तिम राय न दे दें कि ऐसा हो सकता है। और इस संशोधन के सिलसिले में मुझे कोई विशेष बात कहनी नहीं है, उसका तो मैं विरोध करता हूं।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के इस कहने से तो बिल्कुल इत्तिफ़ाक़ नहीं करता हूं कि ऐसे लोगों का उस ज़मीन पर हक़ है जो सार्वजनिक उपयोग की चीज़ है लेकिन मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं उनके इस आश्वासन के देने पर कि वह इसके ज़रूर कोई न कोई उपाय निकालेंगे।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८—(१) जब भौमिक अभिलेखों (land records) की उपर्युक्त रीति से परीक्षा करने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी का यह मत हो कि चकबन्दी की अस्थायी (provisional) योजना बनाने का कार्य आरम्भ करने से पहले नक्शों या अभिलेखों का पुनरीक्षण आवश्यक है तो वह तदनुसार बंदोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को नियत आकार में और नियत रीति से रिपोर्ट देगा।

(१—क) उपधारा (१) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर बंदोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ऐसी जांच के बाद, जिसे वह आवश्यक समझें, या तो—

(क) सहायक चकबन्दी अधिकारी को नक्शे (map) या अभिलेख के संशोधन (correction) का काम आरम्भ करने के लिये निर्देश करेगा, या।

(ख) यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ४ के उपबंधों के अनुसार नक्शों या अभिलेखों के पुनरीक्षण (revision) के लिये राज्य सरकार से सिफारिश करेगा। — अभिलेख का पुनरीक्षण तथा संशोधन।

(२) उपधारा (१—क) के खंड (क) के अधीन निर्देश (direction) प्राप्त होने पर, सहायक चकबन्दी अधिकारी ऐसी और पड़ताल के बाद,, जिसे वह आवश्यक समझे, यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ३ के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक रजिस्टर के इन्दराजों को शुद्ध कर देगा।

(३) यदि कोई भी व्यक्ति जो सहायक चकबन्दी अधिकारी की उपधारा (२) के अधीन दी हुई आज्ञा से क्षुब्ध हो, ऐसी आज्ञा के ३० दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी को अपील कर सकता है जिसका निर्णय उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से की गई हो, अन्तिम होगा।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं :--

खंड ८ के उपखंड ३ की पंक्ति २ में अंक "३०" के स्थान पर अंक "४५" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, खंड ८ के उपखंड (३) की भाषा इस प्रकार है--

"८ (३) कोई भी व्यक्ति जो सहायक चकबन्दी अधिकारी की उपधारा (२) के अधीन दी हुई आज्ञा से क्षुब्ध हो, ऐसी आज्ञा के ३० दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी को अपील कर सकता है जिसका निर्णय उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से की गयी हो, अन्तिम होगा।"

यानी अपील ३० दिन के अन्दर की जा सकती है मेरा विचार है कि यदि ३० दिन के बजाय अगर ४५ दिन रख दिया जाय तो अच्छा होगा। क्योंकि अपील करने में किसी भी किसान को २ चीजों की आवश्यकता होगी, एक तो पैसे की और दूसरे कानूनी सलाह की। इन दोनों चीजों के इकट्ठा करने में उनको कुछ परेशानी होगी इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर ३० दिन के बजाय और ज्यादा समय उनको दे दिया जाय तो उनका ज्यादा हित होगा। आशा है, माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि तीस दिन बहुत काफी है। जो ३० दिन में नहीं जायगा वह ४५ दिन में भी नहीं जा सकता। वैसे तो यह गांव का मामला है इसमें केवल १५ दिन ही काफी होंगे लेकिन प्रवर समिति ने जो रख दिया है वही काफी है। ज्यादा समय देने से चकबन्दी में भी देर होगी इसलिये यह ठीक नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह--चूंकि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि उससे चकबन्दी में ज्यादा देर लगेगी इसलिये मैं संशोधन को वापिस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

संशोधित अभिलेखों का प्रकाशन।

(९) धारा ८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत तैयार किया गया वार्षिक रजिस्टर (Annual Register) गांव में प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर को भेज दी जायेगी।

श्री जयराम वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (३) के बाद के अनुच्छेद के आरंभ में संख्या '९' बिना कोष्ठक के लिखी जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (३) के बाद के अनुच्छेद के आरम्भ में संख्या '९' बिना कोष्ठक के लिखी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

अभिलेखों के पुनरीक्षण के संबंध में प्रख्यापन।

१०—धारा ८ की उपधारा (१क) ख के अन्तर्गत सिफ़ारिशें प्राप्त होने पर राज्य सरकार इस आशय की एक विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित करेगी और तत्पश्चात् यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चेप्टर ४ के उपबन्धों के अनुसार सम्बद्ध गांव या गांवों के पुनरीक्षित (revised) नक़शा, तथा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायगा मानों की उक्त ऐक्ट की धारा ४८ के अन्तर्गत उस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गयी हो। यू० पी० ऐक्ट ३, १९०९

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

खंड ११

गाटों का और खातेदारों का विवरण तैयार किया जाना।

११—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी, धारा ९ के अन्तर्गत रजिस्टर का प्रकाशन हो जाने पर अथवा धारा १० के अन्तर्गत अभिलेख तैयार हो जाने पर यथाशीघ्र निम्नलिखित तैयार करेगा—

(क) प्रत्येक खातेदार के खातों में सम्मिलित सभी गाटों (plots) की सूची जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :—

(१) प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल,

११—(१) (क) (२) गाटों की मिट्टी के वर्ग (soil classes) जो नियत रीति से भूमि के प्रबंधक समिति के परामर्श से अवधारित वर्गों के अनुसार हों,

(३) अन्तिम बन्दोबस्त के रोस्टर या पुनरीक्षण क्रियाओं (revision operations) में से जो भी सब से बाद की हो उसमें ऐसी मिट्टी के वर्ग के लिये स्वीकृत मौरूसी लगान की दरें,

(४) गाटे का लगानी मूल्य,

(५) गाटे की नियत रीति से आकलित मालगुज़ारी या लगान जैसी भी दशा हो,

(६) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किये जायं।

(ख) प्रत्येक खातेदार की एक सूची जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :—

(१) सभी प्रकार के भौमिक अधिकारों के अन्तर्गत खातेदारों द्वारा अधिकृत भूमि का कुल क्षेत्रफल,

(२) उसके अंश की मालगुज़ारी अथवा लगान, जैसी भी दशा हो,

(३) खातेदार द्वारा अधिकृत क्षेत्रफल का लगानी मूल्य, और

(४) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किये जायें।

(२) यह विवरण (Statement) गांव में प्रकाशित किया जायगा।

श्री जयराम वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को जरा शुद्ध कर के पढ़ना चाहता हूं। यह ग़लत छप गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (१) (क) (२) के आरम्भ के अंक व शब्द "११ (१) (क)" निकाल दिये जायं तथा पंक्ति २ में शब्द "भूमि" और शब्द "प्रबन्ध" के बीच का शब्द "के" निकाल दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (१) (क) (२) के आरम्भ के अंक व शब्द "११ (१) (क)" निकाल दिये जायं तथा पंक्ति २ में शब्द "भूमि" और शब्द "प्रबन्ध" के बीच का शब्द "के" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (१) (क) (२) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "वर्गों के अनुसार हो" के स्थान पर शब्द "किये जायं" रख दिये जायं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (१) (क) (२) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "वर्गों के अनुसार हों" के स्थान पर शब्द "किये जायं" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रतन लाल जैन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (१) (क) (३) की पंक्ति १ में शब्द "बन्दोबस्त" के पश्चात् का शब्द "के" निकाल दिया जाय। यहां "के" के रहने से स्पष्ट दोष मालूम होता है। अतः इसको निकाल दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (१) (क) (३) की पंक्ति १ में शब्द "बन्दोबस्त" के पश्चात् का शब्द "के" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को भी कुछ संशोधित रूप में उपस्थित करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड १ (क) (४) और (१) (क) (५) में शब्द "गाटे" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक गाटे" " रख दिये जायं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैं इसका विरोध करता हूं। यहां अर्थ यही है कि एक एक कर के गाटा निकाला जायगा यह नहीं कि सब एक साथ निकाले जायंगे। प्रत्येक अलग-अलग निकाला जायगा। इसलिये शब्द "गाटे" अपने स्थान पर ठीक है।

श्री जयराम वर्मा--श्रीमान् जी मैं भ्रम में कुछ नहीं हूं। अगर वह अर्थ है जो मौर्य जी ने बताया तो "गाटे" के पहले "प्रत्येक" शब्द जोड़ दिया जाय क्योंकि अकेले "गाटे" से कोई तात्पर्य नहीं निकलता।

श्री चरण सिंह--"गाटे" से अर्थ प्रत्येक गाटे से ही है, लेकिन अगर माननीय सदस्य इसे ही उचित समझते हैं तो मुझे उनका संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड १ (क) (४) और १ (क) (५) में शब्द "गाटे" के स्थान पर "प्रत्येक गाटे" " रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

विवरण आपत्तियां।

१२—(१) कोई भी व्यक्ति धारा ११ के अन्तर्गत विवरण प्रकाशित होने के ३० दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष विवरण में किसी भी इंदराज की शुद्धता अथवा उसके प्रकार पर आक्षेप के रूप में आपित्त प्रस्तुत कर सकता है अथवा तत्संबंधी कोई अकरण (omission) बता सकता है।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में यदि आवश्यकता हो तो पक्षों की सुनवाई करके भूमि प्रबन्धक समिति के विचारों सहित उक्त आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा, जो उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (४) में की गयी है, सभी आपत्तियों को नियत रीति से निस्तारित करेगा।

(३) चकबन्दी अधिकारी का निर्णय इस अधिनियम में अथवा इसके द्वारा अन्यथा व्यवस्था न होने पर, अन्तिम होगा।

(४) यदि उपधारा (१) के अन्तर्ग्रस्त प्रस्तुत आपत्ति में आगम (title) का प्रश्न अन्तर्गत (involved) हो और इस प्रश्न को पहले से किसी सक्षम (competent) न्यायालय ने निर्णित न किया हो, तो चकबन्दी अधिकारी उक्त प्रश्न को निर्णय के हेतु मध्यस्थ (arbitrator) के पास अभिदिष्ट करेगा।

(५) ऐसे सब वाद या व्यवहार (suits or proceedings) चाहे वे मौलिक न्यायालय (court of first instance) के समक्ष हों या अपील में हों, जिनमें उस ही भूमि के आगम (title) का प्रश्न विवादग्रस्त हो, स्थगित कर दिये जायंगे।

(६) उपधारा (४) के अधीन मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा।

श्री मलखान सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना पहला संशोधन पेश करना नहीं चाहता। दूसरा संशोधन पेश करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में वाक्यांश "यदि आवश्यकता हो तो" निकाल दिया जाय।

यह संशोधन मैं इसलिये पेश कर रहा हूं उसके डिक्रिशन पर यह बात आ जाती है कि वह इन बातों को सुने अथवा न सुने। और अगर दो पक्ष हैं तो यह शब्द अगर निकाल दिया जाय कि "यदि आवश्यकता हो तो" तो मैं समझता हूं कि हरएक पार्टी के अधिकारों की रक्षा हो जायगी। इसी ख्याल से मैंने यह संशोधन पेश किया और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय, मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो अल्फ़ाज़ हैं कि "यदि आवश्यकता हो तो" इसलिये है कि हर जगह आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सी जगह फरीक नहीं हो सकते। ऐसा भी हो सकता है तो जरूरत नहीं रहेगी। फिर इसके अतिरिक्त असिस्टेंट कंसालिडेशन आफ़िसर को लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी का परामर्श लेना ही होगा। तो इसमें यह भी हो सकता है कि सारा गांव इंवाल्व्ड हो जाय तो वह सारे गांव को कहां तक सुनेगा या कोई फरीक ही न हो तो वह किसको सुनेगा। इसलिये इसको रखा गया है कि "यदि आवश्यकता हो तो" और इसके रहने से कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है।

श्री मलखान सिंह--इसके निकाल देने से कोई नुक़सान तो होगा नहीं।

श्री चरण सिंह--जैसा इसमें हिन्दी में है कि "अगर आवश्यकता हो तो" पक्षों की सुनवाई करके यानी पक्षों की सुनवाई करने के लिये "यदि आवश्यकता हो तो"। तो यह पार्टियों की सुनवाई करने के सिलसिले में अगर जरूरत हो तो है, और मैं समझता हूं कि इससे हानि होने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में वाक्यांश "यदि आवश्यकता हो तो" निकाल दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--श्रीमान् जी, मैं अपने संशोधन को जरा परिवर्तित रूप में पेश करना चाहता हूं और वह इस प्रकार है--

खंड १२ के उपखंड (४) की पंक्ति १ में शब्द "अन्तर्गत" को बिना कोष्ठकों के रखा जाय और उसके बाद का शब्द "अन्तर्ग्रस्त" निकाल दिया जाय तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "अन्तर्गत" के स्थान पर शब्द "अन्तर्ग्रस्त" रख दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (४) की पंक्ति १ के शब्द "अन्तर्गत" को बिना कोष्ठों के रखा जाय और उस के बाद का शब्द "अन्तर्ग्रस्त" निकाल दिया जाय तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "अन्तर्गत" के स्थान पर शब्द "अन्तर्ग्रस्त" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (५) की पंक्ति ३ में शब्द "उस ही" के स्थान पर शब्द "उसी" रख दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (५) की पंक्ति ३ में शब्द "उस ही" के स्थान पर शब्द "उसी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १२ .....

श्री रामलखन (जिला बनारस)--मैंने एक संशोधन इसी धारा १२ के संबंध में दिया था। उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--वह समय के अन्दर नहीं आया होगा, इसलिये नहीं लिया गया।

श्री चरण सिंह--वह संशोधन लिया जाय तो अच्छा है।

श्री रामलखन—मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा १२ के उपखंड ४ की पंक्ति २ में शब्द "आगम" के पूर्व "बोनाफाइड" या उसका हिन्दी "वास्तविक" रख दिया जाय। इस धारा में जहां पर 'आगम' शब्द आया है उसके पूर्व "बोनाफाइड" रख दिया जाय तो इससे साफ़ हो जायगा। इस चकबन्दी में टाइटिल का प्रश्न जरूर बहुत जगहों पर पैदा होगा और टाइटिल का प्रश्न ऐसा है कि जो प्रायः सब कानूनों में आता है। टेनेन्सी क़ानून के अन्दर भी यह है। उसमें भी बोनाफाइड रखा गया है नहीं तो फिर उसका ओर-छोर नहीं हो सकेगा। इस चकबन्दी के मामले में तो टाइटिल का प्रश्न जरूर लाया जायगा। इस टाइटिल के प्रश्न की कोई सीमा नहीं है। भूमि संबंधी जितने झगड़े होते हैं उनमें टाइटिल का प्रश्न ९० फीसदी रहता है। इस कारण मैं यह चाहता हूं कि इसमें "आगम" के पूर्व 'बोनाफाइड' शब्द जरूर रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह—जो बात रामलखन जी ने कही है वह बिलकुल सही है बोनाफाइड क्वेश्चन आफ टाइटिल यानी वास्तविक आगम का प्रश्न हो, ऐसा नहीं होना चाहिये बल्कि आगम का वास्तविक प्रश्न ऐसा होना चाहिये। लेकिन बोनाफाइड के लिये वास्तविक रखना कहां तक सही है इसके समझाने में मुझे कठिनाई है। इसलिये मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि जरा इस संशोधन को अभी रोक लिया जाय जब तक कि हम इसके ऊपर विचार कर लें ताकि बोनाफाइड की हिन्दी सही क्या हो, इसको मालूम कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—इसको अभी स्थगित करता हूं।

खण्ड १३

चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना

चकबन्दी योजना

१३—चकबन्दी योजना में निम्नलिखित होंगे :—

(क) धारा १४ में अभिदिष्ट सिद्धांतों का विवरण,

(ख) धारा १९ में अभिदिष्ट प्रस्तावों का विवरण, तथा

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो नियत किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

सिद्धांतों का विवरण

१४—(१) चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत प्रत्येक गांव के संबंध में सहायक चकबन्दी अधिकारी एक विवरण तैयार करेगा (जिसे यहां आगे चल कर सिद्धांतों का विवरण कहा गया है।) जिसमें वे सिद्धांत लिखित होंगे जिनका अनुसरण चकबन्दी योजना बनाने में किया जायगा। विवरण में गांव के प्रस्तावित पुनर्मापन (re-survey) तथा स्थिति (layout) की स्थूल रूपरेखा (broad outline) निम्नलिखित ब्योरों सहित दिखायी जायगी—

(क) वर्तमान और प्रस्तावित गमनागमन के साधन (means of communications),

(ख) ऐसा क्षेत्र जिस पर पेड़ लगाने या जिसे पशुचर भूमि, मत्स्य संवर्धन, खाद के गढ़ों, खलियानों, श्मशान भूमियों और कब्रिस्तानों के लिये अलग कर देने का प्रस्ताव हो,

(ग) आबादी के लिये नियत किया जाने वाला क्षेत्र,

(घ) सार्वजनिक उपयोगिता और अन्य सामान्य उपयोग के कार्यों के लिये स्थल (llocation),

(ङ) सार्वजनिक सफ़ाई संरक्षण (Public conservancy) की व्यवस्था,

(च) अन्य विषय जो नियत किये जायं।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी भूमि प्रबंधक समिति की मन्त्रणा लेकर नियत रीति से इस विवरण को तैयार करेगा।

(३) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी और भूमि प्रबंधक समिति के बीच किसी विषय में मतभेद हो तो यह विषय बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पास अभिदिष्ट किया जायगा जिसका इस संबंध में निर्णय अन्तिम होगा।

श्री जयराम वर्मा---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ में शब्द "स्थिति" के स्थान पर शब्द "विन्यास" रख दिया जाय।

ले आउट शब्द के लिये कहीं पर 'विन्यास' और कहीं पर 'स्थिति' शब्द का प्रयोग हुआ है लेकिन मेरी राय से 'विन्यास' इसके लिये उपयुक्त है। इसलिये मैं समझता हूं कि 'विन्यास' यहां पर रख दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ में शब्द "स्थिति' के स्थान पर शब्द "विन्यास" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचंद---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि खंड १४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द व चिन्ह "गढ़ों", और "खलियानों", तथा शब्द "श्मशान" के बीच में शब्द व चिन्ह "गन्ना पेरने के कोल्हू" बढ़ा दिये जायं। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से खलिहान और टूड़ियों के लिये स्थान आवश्यक है इसी तरह से किसानों के लिये गन्ना पेरने की जगह होना भी बहुत जरूरी है और अगर यह कहा जाय कि खलियान के स्थान पर ही कोल्हू भी लगाये जा सकते हैं तो मैं यह कहूंगा कि वह जमीन उस समय खुदी होती है क्योंकि उसी समय में चना और मटर इत्यादि आते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसमें "गन्ना पेरने के कोल्हू" शब्द और बढ़ा दें।

श्री चरण सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन के स्वीकार करने में कुछ थोड़ी सी आपत्ति है और वह यह है कि गन्ना पेरने का सवाल सारे सूबे में तो है नहीं केवल १६ जिलों में ही में गन्ना पेरा जाता है बाकी जिलों में वह नहीं होता। एक तो यह बात है। दूसरी बात यह है कि वह कामन यूज या पब्लिक वर्क की चीज कही जा सकती है या नहीं इसमें मुझे सन्देह है। दस आदमियों के कोल्हू हो सकते हैं ५ के अलग हो सकते हैं। दूसरे जहां धान ही धान होते हैं वहां धान की सफ़ाई की मशीन का भी सवाल होता है कि उसकी जगह भी हो। लेकिन इसमें "अदर थिन्ग्ज एज मेबी प्रेस्क्राइब्ड" भी रखा गया है, तो रूल्स के लिये भी यह चीज छोड़ी जा सकती है और यह चीज कवर हो सकती है।

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीचन्द जी के संशोधन से पूरे तौर से इत्तफ़ाक़ करता हूं। रूल्स के ऊपर छोड़ने की जो बात कही गयी मैं समझता हूं कि वह भी एक गुंजायश है और उससे भी काम चल सकता है, लेकिन मैं एक बात निवेदन करूंगा कि मंत्री जी ने जो कहा कि केवल १६ जिलों में ही गन्ना होता है, मैं उन से बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि १६ जिले तो वह हैं कि जहां गन्ना पैदा होता है और वहां फ़ैक्टरीज

और गन्ने की मीलें बनी हैं लेकिन इन १६ जिलों के अलावा भी समूचे प्रदेश में कुमायूं को छोड़ कर सभी जगह गन्ना पैदा होता है, कुछ न कुछ जरूर पैदा होता है और इन १६ जिलों के अलावा कोल्हू की जमीनें भी अधिक वहीं पाई जायंगी जहां शकर मिल नहीं है। इसलिये यह प्रश्न जरूर है कि कोल्हू आदि की जमीन की भी गुंजायश रखी जाय। यह बात हमारे ध्यान में नहीं आयी थी और माननीय राजस्व मंत्री जी को भी इसमें ज्यादा आपत्ति नहीं है केवल उन्हें थोड़ी सी आपत्ति है। इसलिये अगर वह थोड़ी सी आपत्ति बरदाश्त कर लें तो भी कोई बात नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीचन्द जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि किसानों की एक बड़ी जरूरत टूड़ियां और खलिहान हैं और उसी तरह से कोल्हू की जगह भी बहुत जरूरी है। वह भी ज्यादातर आबादी के पास की जमीन में ही होते हैं और उनकी जगह भी मक़सूस होती है और ऐसा नहीं होता कि आज कोल्हू यहां लगा लिये अगले साल दूसरी जगह लगा लिये। हर एक गांव में जैसी आबादी होती है चार-पांच जगह कोल्हू के लिये मक़सूस रहती हैं। इसलिये जैसी कि मांग की गयी है जहां आप खलियान और टूड़ियों के लिये जगह मक़सूस करते हैं वहां कोल्हू के लिये भी किसानों को सहूलित मिलनी चाहिये और उसके लिये भी जगह मुस्तक़िल कर दी जाय। काश्तकारों के कोल्हू ज्यादातर आबादी के क़रीब नहीं होते, बल्कि वह पास की जो सहराई जगह होती है उसी को वह इस काम में लाते हैं। अगर वह सहराई जमीनें इस तरह से छोड़ दी गयीं तो किसी न किसी को खेतों के बटवारे में चली जायंगी और जहां पर कोल्हू लग रहे हैं वह जमीन बरबाद हो जायगी क्योंकि दूसरे जिसके पास तबादले में जमीन जायगी वह छोड़ने को तैयार नहीं होगा।

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह जरूर इस चीज को ऐक्ट में शामिल कर लें।

दूसरी बात यह है कि जितनी चीजें इस प्रकार की आ रही हैं उन्हें रूल्स में रखने का खयाल कर रहे हैं। लेकिन अगर रूल्स में इन तमाम चीजों को रखा गया तो रूल्स बजातखुद ऐक्ट की शक्ल में हो जायंगे और वह ऐक्ट का आधा पार्ट बन जायंगे। इसको ऐक्ट में रखने से यह लाभ होगा कि इससे स्थिति बिलकुल साफ हो जायगी वह किसी अफसर की मर्जी से नहीं होगा बल्कि अफसर के लिये लाजमी हो जायगा कि वह काश्तकार को इसके लिये सहूलियत प्रदान करे।

श्री शिवनाथ काटजू—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कोल्हुओं का संबंध है अभी मेरे माननीय मित्र ने कहा कि गांवों में आमतौर से सार्वजनिक रूप से कोल्हू होते हैं। जहां तक मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र का अनुभव है वहां मैंने यही देखा कि कोल्हू की आजकल नयी मशीनें आ गयी हैं। गालिबन ७० या ८० रुपये में मिलती हैं। क़रीब-क़रीब वह सब किसान जिनके खेतों में गन्ना होता है वह अपने मकानों के आंगन में या मकान के पास अपनी मशीनें लगा लेते हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर। इस सदन में शोर जरा कम होना चाहिये।

श्री शिवनाथ काटजू—मेरा निवेदन यही था कि कोल्हू जो कि अबतक पुराने कोल्हू हुआ करते थे और सार्वजनिक रूप से उपयोग होते थे। लेकिन अब छोटी-छोटी मशीनें आ गयी हैं और कोल्हू बहुत सारे जिलों में सार्वजनिक रूप से अब उपयोग नहीं होते। तो यहां जो इस खंड में व्याख्या आयी है उस का मतलब उन कामों से है, जो कि गांवों में सार्वजनिक रूप से किये जाते हैं और उसके लिये यहां पर स्थान छोड़ने की बात की गयी है। तो ऐसी स्थिति में यह कहां तक उचित होगा कि कोल्हुओं का भी प्रश्न लिया जाय यह विचार करने की बात है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

[श्री भगवान सहाय]

मुझे आश्चर्य हुआ जब माननीय काटजू साहब ने फरमाया कि आंगन में उन्होंने कोल्हू देखे। हो सकता है कि अपनी कांस्टीटुएंसी में गये हों, बड़े बड़े जमींदारों के यहां ठहरे हों जिनके आंगनों का रक़बा दो तीन एकड़ हो। उन्होंने वहां पर कुछ जेबी कोल्हू देखे हों। मैं एक किसान की हैसियत से अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि ऐसे जेबी कोल्हू मैंने अपनी जिन्दगी में अभी तक नहीं देखे हैं। हो सकता है कि माननीय काटजू के सुझाव से प्रेरित होकर आइन्दा किसी जेबी कोल्हू को कोई मिल मालिक बनाने की कोशिश करे। तब यह माननीय काटजू साहब का यह विरोध सही हो सकेगा। लेकिन मैं उन्हें यक़ीन दिलाता हूं कि अभी तक जिन जेबी कोल्हुओं का जिक्र उन्होंने किया उसका कोई वजूद नहीं है। कोल्हू चाहे नये हों या पुराने उनमें काफी जगह लगती है। गन्ने की गाड़ियों के खड़े होने और उनसे बारी बारी से गन्ना उतारने के लिए काफी जगह होती है। इसके अलावा पाती और खोई को सुखाने के लिये भी काफी जगह होती है। तो मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि ऐसे मिनिएचर कोल्हू होते हैं। मुमकिन है कि वह किसी अनुसंधानशाला में गये हों वहां पर उन्होंने मीनिएचर कोल्हू देखे हों।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय श्रीचन्द जी के प्रस्ताव को मंजूर कर लें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय काटजू ने जिस कारण-वश इस संशोधन का विरोध किया उसके संबंध में तो श्री भगवान सहाय जी ने काफी कह दिया और मैं अधिक न कह कर केवल इतना कह देना बहुत जरूरी समझता हूं कि शायद हमारे माननीय शिवनाथ जी को ज्ञान ही नहीं है कि देहात में गन्ने पेरने के कोल्हू किस प्रकार के होते हैं, बल्कि शायद उन्होंने तेल पेलने का तेली का कोल्हू देखा होगा और उससे उन्होंने अनुमान लगाया है कि सम्भव है कि गन्ना पेलने का कोल्हू भी इस प्रकार का होता होगा जैसा कि उन्होंने देखा है। तो इन शब्दों के साथ मैं गन्ना पेलने के कोल्हुओं के लिये स्थान की आवश्यकता को समझते हुये माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री शिवनाथ काटजू--मैं सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र देहात का है और मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी में बराबर जाता हूं। मैं कोल्हू भी समझता हूं और चेफ़ कटर भी समझता हूं और यहां जिन मित्रों ने मेरा मजाक उड़ाया है मैं उनको दावत देता हूं कि वह मेरी कांस्टीट्युएंसी में चलें, मैं एक नहीं सैकड़ों ऐसे कोल्हू उन्हें दिखा दूंगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीचन्द जी ने जो संशोधन रखा है, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि या तो उसे वह स्वीकार कर लें अथवा किसी नियम में भविष्य में रख दें। और जहां तक अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में विवाद के भाषणों का संबंध है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ देख कर के और ताज्जुब इस बात का हुआ कि कुछ मित्रों ने प्रान्त के एक कोने की जानकारी का परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि जहां तक इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, (बनारस की बात मैं नहीं कह सकता) का संबंध है वहां अधिकतर लोग अपने दरवाजों पर कोल्हू ईख पेरने के लगाये हुये हैं। इसलिये उचित तो यह था अध्यक्ष महोदय, कि जब मित्र अपने ही साथियों की जानकारी पर हमला कर रहे थे वह अपनी जानकारी को बढ़ाते और यह सत्य है कि अगर इन जिलों में लोग चलें तो मैं भी काटजू साहब के साथ यह चैलेंज करता हूं कि उन्हें यही तस्वीर दिखलाई पड़ेगी कि छोटे काश्तकार के यहां, बड़े काश्तकार के यहां, हर गांव में यही हालत है। तो भावनाओं के आवेश में आकर किसी सच्चाई की खोज नहीं हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैंने काटजू साहब की बात सुनने के बाद रामनरेश जी की बात भी सुनी और सुनने से यह पता लगा कि वह ऐसे क्षेत्र से आये हैं जहां पर छोटे छोटे कोल्हू होंगे और यह ठीक भी हो सकता है कि वहां ईख कम होती है इसलिये छोटे कोल्हू होंगे और घर के सामने वह अपनी हिफाजत के लिये रखते होंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि जो संशोधन माननीय श्रीचन्द जी ने पेश किया है उसका तो मतलब यह है कि ऐसा स्थान छोड़ दिया जाय कि जिस में कोल्हू भी चलाया जा सके। कोल्हू, हमारे पश्चिमी जिलों में या उन इलाकों में जहां पर ईख की काश्त ज्यादा है, वहां पर कोल्हू काफी बड़े होते हैं और कोल्हू के लिये कम से कम आधा एकड़ जमीन तो जरूर ही होती है। कोल्हू चलता है, रस पकता है, उसी जगह शक्कर बनती है, बैल चलते हैं, उसमें चारों तरफ एक लम्बा पाट होता है और खोई सूखती है, एक तरफ गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जिन लोगों ने इस चीज को देखा है और मैं तो रामनरेश जी और काटजू साहब को दावत देता हूं कि कभी वह पश्चिम में मेरठ की कमिश्नरी की तरफ चलें तो मैं उनको दिखलाऊंगा कि कोल्हू कहां होता है, बड़े-बड़े कोल्हू किस तरह के होते हैं और कितनी अच्छी शक्कर और गुड़ वहां बनता है और उनको खिलाऊंगा भी, तो वह देखेंगे कि ऐसा अगर वह कोल्हू लगायेंगे तो उनके इलाके का बड़ा सुधार होगा और लोगों को बड़े पैसे मिलेंगे। तो यह तो बात रही उनकी जानकारी के लिये। अब मैं यह अर्ज करूंगा कि अभी कहा गया है कि वह सार्वजनिक चीज नहीं होती है। कोल्हू आमतौर से सार्वजनिक ही होता है। जो एक आदमी या दो आदमी बड़े बड़े होते हैं वे शायद एक या दो मिलकर चलायें वरना तो जो छोटे-छोटे होते हैं वह दस बारह एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सामूहिक रूप से। एक यह पुराना सहकारी तरीका चला आ रहा है। ईख पेरने का तो वह चार पांच महीने कोल्हू में इस तरीके से इस्तेमाल होता है और बाद में थोड़ी सी जगह को छोड़कर जिसमें कि कुछ कंस्ट्रक्शन बना रहता है, उसको खाली छोड़ दिया जाता है, उसके अन्दर मवेशी बंधते हैं, बरसात के महीने में या बहुत सी जगह तो उसमें खलियान वगैरह के काम में भी लाते हैं। तो वह एक ऐसी आवश्यकता की चीज है कि जिसके बगैर किसान का काम चलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उनका ज्ञान तो इस पूरब और पश्चिम के संबंध में पूरे तरीके से है ही। तो यह एक किसान के जरूरत की चीज है और इसमें रूल्स का सहारा छोड़ कर जहां मुर्दे जलाने की और मुर्दे गाड़ने की जगह इसमें रखते हैं तो वहां इस कोल्हू बेचारे को क्यों नाराज करते हैं। इसलिये श्री श्रीचन्द जी के प्रस्ताव को तो स्वीकार कर ही लिया जाय।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी दफा १४ में यह गिनाये गये हैं ब्योरे, ये सब ब्योरे ऐसे हैं कि जो सारे सूबे भर के लिये कामन हैं। श्मशान हो या कब्रिस्तान, मुर्दा जला दिया जाता हो या गाड़ा जाता हो, लेकिन सूबे में सब जगह कुछ न कुछ इंतजाम होता है। कोई जिला खाली नहीं है, कोई गांव खाली नहीं है। इसी तरह से कंजरवेंसी वगैरह हैं, खलियान हैं, रास्ते हैं ये सब जो कि सब गांवों के लिये कामन चीजें हों, वे चीजें इसमें गिनाई गई हैं और जो किसी जिले की या किसी गांव की कोई खास फीचर हों, कोई स्पेशल फीचर हों, वह हमने इसमें रखा नहीं है। उसके लिये छोड़ दिया था कि अगर चाहें तो रूल्स प्रस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि वही ठीक होगा। दूसरी बात यह है कि जब चक बन जायेंगे तो लोग अपने कोल्हू अपने-अपने चक में लगायेंगे। फिर तो अगर किसी को चक तो मिल गया डेढ़ मील पर और आप कोल्हू रखना चाहते हैं गांव के पास, आबादी के समीप तो यह तो बेकार होगा। उसका कारण यह है कि हर आदमी का चक तो गांव के पास है नहीं तो उसके लिये नीयररेस्ट प्लेस जो है वह आबादी के पास है या उसके चक के पास। मैं समझता हूं माननीय बलवन्त सिंह जी मुझे बीयर करेंगे, मेरा समर्थन करेंगे अगर मैं यह कहूं कि जिन किसानों की जमीन एक जगह है वह कोल्हू अपने खेत में रख रहे हैं, वह नहीं रखना चाहते आबादी के पास।

[श्री चरण सिंह]

तो जब किसानों के चक बन जायेंगे तो यह जो समस्या आज देख रहे हैं वह नहीं रहेगी। तो यह भी उसका एक दूसरा जवाब है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि आमतौर से बैट मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ऐसा हो सकता है, हम यह कर सकते हैं जहां कि भूमि प्रबंधक कमेटी वाले चाहें। उन गांवों में जहां कि आम तौर पर ईख बोई जाती है। इस तरह की तो उसमें कठिनाई बहुत कुछ है ही नहीं, जरूरत पड़ेगी तो उसमें प्रेस्क्राइब कर देंगे, लेकिन यहां रखना मुझे ऐसा लगा कि कुछ जिलों या कुछ गांवों के स्पेशल फीचर का एक कामन फीचर का रूप हो जायगा इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय श्रीचन्द जी इस पर विचार करेंगे और अगर सहमत हों तो इस संशोधन को वापिस ले लेंगे।

श्री श्रीचन्द---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार अभी अलग अलग कृषक हैं और अपना कोल्हू एक जगह पर बना लेते हैं, चक बनने पर भी वही दशा रहेगी क्योंकि कोई कृषक अपना कोल्हू अलग नहीं बना सकता। जितने चक होंगे आस पास मिला करके वे एक कोल्हू बना लेंगे। इस संबंध में मैं अधिक नहीं प्रार्थना करना चाहता हूं। जिस प्रकार मंत्री महोदय ने यह बतलाया है कि यदि इस विधेयक में नहीं तो नियम में इसको ला दिया जायगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इसमें आप नहीं ला सकते तो नियम में इसके लिये गुंजायश रखने की कृपा करें। इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं---

खंड १४ के उपखंड (१) के भाग (ग) के पश्चात् निम्नलिखित भाग (गग) के रूप में बढ़ाया जाय---

"(गग) छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, कारीगर तथा अन्य सेवाओं में लगे हुये वर्गों की नई आबादी के लिये नियत किया जाने वाला क्षेत्र।"

अध्यक्ष महोदय, खंड १४ में जिस (ग) से इसका संबंध है वह है आबादी के लिये नियत किया जाने वाला क्षेत्र और खंड १४ (१) का पढ़ देना आवश्यक है ताकि पूरी तस्वीर सामने आ जाय।

"चकबंदी क्रियाओं के अन्तर्गत प्रत्येक गांव के संबंध में सहायक चकबंदी अधिकारी एक विवरण तैयार करेगा जिसे यहां आगे चलकर सिद्धांतों का विवरण कहा गया है जिसमें वे सिद्धांत लिखित होंगे जिनका अनुसरण चकबंदी योजना बनाने में किया जायगा। विवरण में गांव के प्रस्तावित पुनर्मापन (re-survey) तथा स्थिति (layout) की स्थूल रूपरेखा (broad outline) निम्नलिखित ब्योरों सहित दिखाई जायगी।"

अध्यक्ष महोदय, आबादी के लिये नियत किया जाने वाला क्षेत्र तो वैसे है लेकिन आप जानते हैं कि आजकल जैसे हमारे गांव बसे हुये हैं वे अजीब ढंग से बसे हुये हैं और खास कर जिन लोगों का मैंने जिक्र किया जिसमें खेतिहर मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, लोहार, बढ़ई इत्यादि हैं, ये हमेशा से पिछड़ी हुई जाति के लोग रहे हैं और वे या तो किसी कोने में फेंक दिये गये हैं या बहुत ही कंजेस्टेड तरीके से बसे हुये हैं। इस बात में यह दलील दी जा सकती है कि आबादी के लिये नियत किये जाने वाले क्षेत्र में उनका समावेश हो सकता है, लेकिन यह बात स्पष्ट इसमें नहीं है। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता हुई कि यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी जाय कि अगर उस लेआउट की ब्राड आउटलाइन में आवश्यकता पड़े तो मेरे संशोधन के मुताबिक उनको दूसरी जगह बसाया जायगा। मैं समझता हूं कि मेरे वक्तव्य की रोशनी में माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामलखन---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि यह स्पष्ट है कि छोटे किसान किसे कहते हैं, इसमें एक भेद नीति है। खंड १४ के उपखंड (१) का भाग (ग) तो स्वयं इस बात से संबंधित है कि वह आबादी का क्षेत्र निर्णय करे। अब इसमें छोटा किसान अस्पष्ट नहीं है कि छोटे की क्या भावना हमारे संशोधक महोदय के अन्तर्गत है। ऐसी अस्पष्ट चीज के रखने से न चीज की पूर्ति होती है, न किसी वस्तु की हानि बल्कि इसमें एक वादविवाद खड़ा किया जा सकता है।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की मैं ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे इस सदन ने सन् १९४७ ई० में गांव आबादी कानून पास किया था यह विशेषतया खेतिहर मजदूरों या गांव का हर वह आदमी जो वहां रहता है उसके लिये रहने के लिये स्थान को सुरक्षित रखने का उसका मंशा था लेकिन इतने दिन हो गये उस कानून का अभी तक कहीं भी अमल नहीं हुआ है। कारण क्या है?

श्री चरणसिंह---कौन सा कानून ?

श्री जयपाल सिंह---गांव आबादी कानून।

उसका मंशा यह था कि वह जमीन जिसपर कोई व्यक्ति अपना मकान रखता है और उससे जो संबंधित जमीन है वह उसका अधिकारी है और कोई व्यक्ति उससे छुड़ा नहीं सकता, खैर, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है।

इसके अलावा एक बात की तरफ और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां तक खेतिहर मजदूर और विशेषतया हरिजनों की समस्याओं का संबंध है और उनके रहने के लिये स्थानों का संबंध है वह किस किस्म के मकानों में रहते हैं, कैसी वहां की आबादी गुन्जान है, कैसी भीड़ भक्कड़ में एक छोटा सा घर होता है और चार-चार, पांच-पांच कुटुम्ब उसमें रहते हैं, यहां तक ही नहीं उनके पशु भी जो उनसे संबंधित होते हैं वह भी उसी मकान में रहते हैं, इस तरह से उनकी जिन्दगी और भी नर्कमय हो जाती है। इसके अतिरिक्त अक्सर हरिजनों की आबादी या खेतिहर मजदूरों की आबादी गांव से जरा दूर होती है और जब से जमींदारी का खात्मा हुआ तब से जमींदारों ने रास्तों तक को जुतवा डाला है और उनके मकानों तक खेतों को बना लिया है। ऐसी अवस्था में उनको काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि उनका जो चमड़े का काम होता है उसके करने के लिये उनको घर के बाहर स्थान नहीं मिलता। तो ऐसी अवस्था में उनको बहुत काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सौभाग्य की बात है एफ० आई० आर० प्लानिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की ताईद की है और प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट वालूम चैप्टर ८ में जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं:

"Even workers who may be in occupation of them where the sites belong to individuals by pursuastetion if possible and by legislation if necessary. The sites may be transferred in occupancy right to the landless worker who may be in possession of them. Such provision for compensation as may be unavoidable should be made and the obligation imposed upon the village which ought to provide site free of charge to the landless workers either by obtaining by way of gifts from the owner in question or by settling directly with the owners in some areas. The existing village site is so congested that a new village site has to be provided for further extension. Landless workers and particularly Harijans should be fully represented in the allotment of such sites."

तो यह इसमें दिया हुआ है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमारे गांवों को एक नये रूप में आदर्श बनाने के लिये यह ऐक्ट लाया गया है और उसमें जनसाधारण के लिये जो

[श्री जयपाल सिंह]

सुविधायें दी गई हैं तो उसी के साथ साथ मैं समझता हूं कि खेतिहर मजदूर जिसके ऊपर समाज काफी मुनहसिर है, कानून के जरिये अगर वह पिछड़े रह जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि किस तरीके से अधूरी बस्ती से एक आदर्श गांव बनेगा ।

जैसा प्रबंध और प्रांतों में, जैसे मद्रास आदि में खेतिहर मजदूरों को मुफ्त जमीन देने का किया जाता है सरकार की ओर से, उस तरह से हमारे कानून में भी क्यों न किया जाय ? मद्रास में खेतिहर मजदूरों के लिये, विशेषतया हरिजनों के लिये, पानी की जगह के स्थानों के लिये, मकान बनाने के लिये या जो भी डोमैस्टिक पर्पजेज से संबंधित बातें हैं उनके लिये जमीन देने की व्यवस्था की है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब हम एक नये गांव के निर्माण की व्यवस्था करने जा रहे हैं तो उन बेचारों के लिये, जिनके पास कोई भूमि नहीं है और न कोई ऐसा वसीला है जिससे वे जमीन पैदा कर सकें क्योंकि जमीन तो उतनी ही है कोई न कोई साफ साफ व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये । गांव आबादी के लिये जहां जमीन की व्यवस्था करने का सवाल है वहां भुलावा देकर उन लोगों को डाल दिया जाता है और वे जैसी की तैसी अवस्था में पड़े रहते हैं । आबादी भी गरीबों की ही ज्यादा बढ़ती है । अब जो आबादी है वह १०,१५ साल में और अधिक हो जायगी तो वे लोग कैसे रहेंगे । हमारे मेरठ डिवीजन में ही बहुत से गांवों में बिलकुल गुंजान आबादी में ये लोग बसे हुये हैं और उनके लिये कोई रास्ते की सफाई से रहने की गुंजाइश नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि जो प्रस्ताव आया है कानूनी तरीके से वह सही है लेकिन कोई न कोई प्रबंध अवश्य किया जाना चाहिये । यह भी हो सकता है कि इस धारा को आज मुल्तवी करके फिर सोचविचार के इसे पास कर लिया जाय ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आबादी का संबंध है इसी विधेयक के उपबंध में यह है कि आबादी के लिये जगह निकाली जाय । रामनारायण त्रिपाठी जी अपने संशोधन में कहते हैं कि छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, कारीगर तथा अन्य सेवाओं में लगे हुये वर्गों की नई आबादी के लिये नियत किया जाने वाला क्षेत्र । मैं इसका विरोध करता हूं । इसमें सभी आ जाते हैं । इसमें जो तजकिरा नहीं है वह सिर्फ बड़े किसानों का नहीं है । जब हमारी स्टेट एक सैक्यूलर स्टेट है जहां जातिपांति के लिये कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया है और सोशलिस्ट पार्टी भी सदा इसके लिये उत्सुक रहती है और महात्मा गांधी से लेकर हर सरकार यह चाहती है कि हरिजनों का उत्थान हो और हमारे संविधान में भी यह रखा गया है कि उनके लिये कुछ सुविधायें हैं, उसके बाद उन्हें अब किसी तरह से परेशान नहीं होना चाहिये । शायद हमारे माननीय सदस्य को इस तरह की शंका हो गई है कि कांग्रेस सरकार भी उनके हकूक की ठीक तरह से रक्षा नहीं कर सकती हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि केवल बड़ा किसान है जिसके लिये नहीं लिखा गया है । उसके लिये कोई चीज नहीं है । इस उपबंध से किसी तरह की कोई रुकावट कहीं नहीं है कि उन लोगों के लिये कोई प्रबंध न किया जाय । ऐसी चीज जो अनावश्यक है, नया आधार है वह रहे और मैं समझता हूं कि सदन का समय एक प्रकार से नष्ट होगा इस पर ज्यादा श्रम लेने से । अतः मैं समाप्त करता हूं और इसका विरोध करता हूं ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बतला देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस कानून की धारा १४ में लिखा है कि आबादी के लिये नियत किया जाने वाला क्षेत्र । आज जमींदारी अबालीशन के बाद हमारे गांव के नंगे, भूखे, अमीर और गरीब सब एक जगह रह रहे हैं और जो गरीब झोंपड़े में रहते हैं वह भी आज सीना तानकर चलते हैं और कहते हैं कि हम किसी राजा बाबू के दबाव में नहीं हैं । त्रिपाठी का जो संशोधन है उसमें छोटे किसान बड़े किसान में आप डिसक्रिमिनेशन कर रहे हैं । तो यह तो "इट इज औनली ए मीयर प्रोपेगेंडा" की बात है ।

एक सदस्य---हिन्दी में कहिये ।

श्री शिवनारायण--श्रीमन्, मैं तो यह कहूंगा कि आज हमें यह चाहिये कि गले जोड़कर एक जगह रहें। गांवों में आज यह ट्रेडीशंन है कि गांवों में चौधरी, कुर्मी गड़रिये और ठाकुर वगैरह सब मिलकर रह रहे हैं। हमारे गांव में हम लोगों के १२ घर हैं और १२ चौधरियों के हैं और वहां जो पांडे रहते हैं वह कहते हैं कि हम हरिजन चौधरियों के साथ रहेंगे क्योंकि उनके साथ हमारा काम चलता है। वह हमारे सहायक हैं और हम उनके सहायक हैं। यह व्यवस्था हमारे गांव में है।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जैसे कि खलिहान की जमीन की बात है अगर एक आध चुटपुट कोई केस हो भी जाये तो उसके लिये गवर्नमेंट सतर्क रहे और अपने आफिसर्स को इसके लिये आदेश दे और देखे कि इस किस्म की गड़बड़ी और शिकायतें न हों क्योंकि इनसे हमारी गवर्नमेंट की बदनामी होती है। इतना कहकर मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले बोला नहीं था लेकिन मैं तस्लीम करता हूं कि माननीय शिव नारायण जी ने जो कहा है मैं उस पर जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बहुत ही उचित और अच्छी बात कही। जिस वक्त जयपाल सिंह जी बोल रहे थे तो मैं अचरज कर रहा था कि आखिर जो उनकी शिकायत थी उसमें सब्सटेंस क्या था जो उन्होंने फाइव ईयर प्लान वगैरा की रिपोर्ट पढ़ी तो इसमें इसकी क्या जरूरत थी। इसकी धारा १४ में साफ लिखा हुआ है जैसा कि माननीय शिव नारायण जी ने पढ़ कर सुनाया। "आबादी के लिये नियत किये जाने वाले क्षेत्र" तो गांवों के अन्दर आम तौर पर किसान और मजदूर ही रहते हैं। इसमें यह कर दिया जाये कि केवल मजदूरों के लिये नियत किये जाने वाला क्षेत्र और किसानों के लिये न किया जाय। क्योंकि मैं ऐसे किसानों को जानता हूं जो छप्पर में या गली में खाना बनाते हैं। मकान तक्सीम होते होते इतना हो गया है कि एक एक कोठा भी हिस्से में नहीं आता है और वह गलियों में अपने चूल्हे रखते हैं। ऐसे किसानों को जमीन देने की जरूरत होगी। तो इस तरह से मजदूर आ गये और किसान आगये तो फिर कौन रह गया। इसलिये किस को जमीन दी जाय और किसको न दी जाय यह गांव वालों के ऊपर आफिसरान के मशविरे से देने के लिये छोड़ दिया है वह जिसे चाहें उसे जमीन दे सकते हैं।

जैसा कि माननीय शिवनारायण जी ने कहा कि कदम कदम पर छोटे किसान और बड़े किसान कहना ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि बात बड़े किसानों के हक में कही जाती है लेकिन छोटे किसानों की आड़ में कही जाती है। तो यह क्या बात है छोटे किसान और बड़े किसान, मजदूर और गैर मजदूर इस पर हम बल देकर के गांव का जो हारमोनियस लिविंग है उसमें गड़बड़ी पैदा कर देंगे। लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां पर कुछ किताबों और अखबारों को पढ़कर जबर्दस्ती ढूंढ़ें और डिस्क्रिमिनेट करें और कदम--कदम पर इस आवाज को उठाना कोई उचित बात नहीं है। और गांव के सामाजिक जीवन के लिये भी वह कोई बहुत हितकर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जयपाल सिंह जी ने कहा कि साहब, एक ऐक्ट बना था उस पर अमल नहीं हुआ। अमल होने का क्या सवाल था। विलेज आबादी ऐक्ट, १९४७ बना था। उसमें केवल दो धारायें थीं। एक में तो ऐक्ट का नाम था और दूसरे में यह लिखा था कि १५ अगस्त, १९४७ को जो शख्स जिस मकान पर काबिज हो तो वह जमीन जिस पर वह मकान बना हुआ है मय आंगन के उसका समझा जायगा और उसका जायज कब्जा माना जायगा। उसमें अमल करने का क्या सवाल था। अगर जमींदार उसको बेदखल करने का दावा करे तो अब तक यह था कि डिफेंडेंट पर बारे सबूत था कि वह यह साबित करे कि मैंने या तो १२ साल से पहले यह मकान बनाया था जिससे उसका ऐडवर्स पजेशन हो गया और अगर उसके बाद बना है तो मैंने इजाजत से बनाया है। तो इसलिये आम तौर पर वह शख्स बेदखल हो ही जाता था। यही नहीं, बल्कि १२ साल से पुराना मकान भी बनवाया हो तो भी

[श्री चरण सिंह]

वह बेदखल ही हो जाता था। इसलिये अब हमने बारे सबूत मुद्दई के ऊपर रख दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि कोई शख्स १५ अगस्त, १९४७ के बाद अपने मकान से बेदखल नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बैठने के लिये तैयार हूं अगर माननीय जयपाल सिंह जी यह बतायें कि फलां आदमी बेदखल हुआ है। तो इस तरह से हर जगह छिद्रान्वेषण करना जहां उसकी गुंजायश नहीं है यह मनोवृत्ति मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मेरी यह बदकिस्मती है कि माननीय शिवनारायण द्वारा प्रस्तुत सरकार की तरफ से अथारिटेटिव वर्शन और उसका माननीय मंत्री द्वारा कन्फर्मेशन के बाद भी मेरी शंका निर्मूल नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रस्ताव को रखते हुये यह साफ साफ कह दिया था कि आबादी के लिये जमीन में यह गुंजायश, कही जा सकती है आर्गूमेंट के लिये लेकिन इस पूरे सेक्शन को अगर आप देखें और उसके सबसेक्शन्स को देखें तो कहीं यह साफ़ नहीं है कि गांव की जो आबादी है उसकी भी रिप्लानिंग होगी और चूंकि यह सेक्शन ऐसा है जहां कि एक मौका है कि फिर से ब्राड आउटलाइन बनायी जायगी, रिमैपिंग होगी तो उस लिहाज से मैंने यह निवेदन किया था कि जो छोटे किसान हैं या खेतिहर मजदूर हैं, उनके लिए व्यवस्था कीजाय। छोटे किसान का मतलब यह नहीं कि मैं कोई भेद डालना चाहता हूं, यों भेद तो है ही, अध्यक्ष महोदय, एक २० बीघे का किसान जिसके पास सभी कुछ मौजूद है और दूसरी तरफ एक गरीब हरिजन किसान जिसके घर में चार, पांच आदमी हैं जानवर हैं, उसकी बकरी वगैरह भी है वह एक छोटी जगह में सीमित रह जाता है। तो उसमें फ्लेक्सिबिल इंटरप्रेटेशन (Flexible inter pretation) लगाते हुये सरकारी अफसर यह कह सकते हैं कि यह तो ऐसी आबादी के लिये नहीं है जो कि पहले से आबाद हो बल्कि यह तो नयी आबादी के लिये है या जो आबादी बढ़ने वाली है उसके लिये है। तो ऐसी सूरत में मेरी वह शंका निर्मूल नहीं हुई।

श्री चरण सिंह--आपकी इजाजत से एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--कहिये।

श्री चरण सिंह--मैं यह समझा हूं आपकी तकरीर से कि जो मकानात लोगों के अब बने हुये हैं उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन आप चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आपके संशोधन के किसी लफ्ज से यह नहीं टपकता। आपका जो संशोधन है वह यह है।

श्री अध्यक्ष--वह आप अपने जवाब में कह लीजियेगा।

श्री चरण सिंह--जी बहुत अच्छा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--सवाल का जवाब अध्यक्ष महोदय यह है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ हाउसेज (मकानात) मैंने कभी नहीं कहा। मैं यह कहता हूं कि उस रिप्लानिंग में जिनके मकान ऐसे हैं जिनमें आदमी का निवास हो सकता है उनको तो वहीं रहने दिया जाय और जिनके पास कम जगह है और वे कन्जेस्टेड एरिया में रहते हों जो कि एक तरह से आदमी के क्या जानवरों के भी रहने के काबिल नहीं है उनको अलग हटा कर उनकी अलग व्यवस्था कर दी जाय। अब माननीय मंत्री जी यह समझे कि मैं मकानों का भी रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहता हूं। तो यह तो कभी भी सम्भव नहीं है और न कोई ऐसा समझ भी सकता है। जहां तक छोटे बड़े किसानों का सम्बन्ध है वह भेद तो है ही। इसके अलावा माननीय शिवनारायण जी ने यह भी कहा कि हम कांग्रेस सरकार के लिये आशंका की वृत्ति से काम करते हैं। यह आशंका का सवाल नहीं है यह तो इंटरप्रिटेशन का सवाल है कोई भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। जो गरीब होता है, न्याय का कोई भी पहलू हो, कैसा भी ला हो वह न्याय को नहीं पाता। इसलिये या तो इसका

रिकास्टिंग हो जाय या मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाय। यह सिर्फ छोटे किसानों का मामला नहीं है। अगर तीन बीघा का किसान है और उसका घर बिल्कुल साफ सुथरा है, स्पेशल हाउस है तो उसके लिये मेरा मतलब यह कभी नहीं है कि उसका भी इन्तजाम किया जाय, उसके लिये तो किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है लेकिन जिसके पास अच्छा मकान या रहने के लिये जगह नहीं है उसके लिये व्यवस्था का प्रश्न पैदा होता है।

जहां तक आशंका का सवाल है यद्यपि उपयोगी चीज नहीं है लेकिन फिर भी जहां तक कांग्रेस सरकार का ताल्लुक है हमें उसकी योग्यता के बारे में हमेशा संदेह रहता है और इस बात को इस सदन में बार-बार कहा भी जा चुका है। माननीय मंत्री जी इस बात को स्वयं कबूल करेंगे कि यह खंड बहुत ही फ्लेक्जीबिल है और उसमें काफी धांधली हो सकती है और छोटे किसानों को नुकसान पहुंच सकता है। मुझे प्रसन्नता होती अगर माननीय मंत्री जी यह कहते कि इस चीज को रूल्स में ठीक कर लिया जायगा और रिप्लानिंग और रिमैपिंग की व्यवस्था कर दी जायगी। इसलिये जो कुछ उन्होंने कहा उससे मेरी आशंका दूर नहीं हुई और वह जहां की तहां है। इसलिये इस पर पुनः विचार करके इसको इस रोशनी में देख कर मंजूर कर लिया जाय।

श्री चरण सिंह—मुझे अफसोस है कि जो रोशनी माननीय सदस्य मुझे दिखाना चाहते थे वह मैं नहीं देख पा रहा हूं। जहां तक मैं समझ पाया वह यह है कि वे रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिप्लानिंग और रिमैपिंग चाहते हैं और उससे उनका मतलब यह मालूम होता है कि कुछ मकान गिराये जायं और कुछ नये बनाये जायं। और उसके लिये शायद हमें यह तय करना होगा कि जिसके पास १०० मुरब्बा गज जमीन है उसके पास २५ मुरब्बा गज होनी चाहिये और जिसके पास २५ मुरब्बा गज है उसके पास १०० मुरब्बा गज होनी चाहिये क्योंकि उसके यहां सिर्फ दो प्राणी हैं और दूसरे के पास कितने ही पोता पोती हैं। उसका भी हिसाब लगा कर शायद देखा जायगा कि कौन सी फैमिली फरटाइल है और कौन सी कम फरटाइल और यह सब काम करने के बाद उनको जमीन दी जायगी। तो अगर हम इस काम में फंस गये तो कन्सोलिडेशन का काम तो होने से रहा, विलेज प्लानिंग के काम में फंस जायेंगे। इस वक्त तो हम केवल इतना ही करना चाहते हैं जितनी कि हमें जरूरत है। किस गांव को कितनी जमीन की जरूरत है यह अन्दाजा करने के बाद उस गांव के लिये उतनी जमीन सुरक्षित करदी जायगी। फिर किस को १००, ५० या २५ मुरब्बा गज की जरूरत है यह देखना गांव सभा का काम होगा, रिप्लानिंग, रिसर्वेइंग, रिमैपिंग, और रिडिस्ट्रीब्यूशन गांव सभा स्वयं कर लेगी। अगर हमने पहले से ही यह हिसाब लगाना शुरू कर दिया तो हम खेतों में न जा पायेंगे बल्कि गांवों में ही फंस जायेंगे। इन शब्दों से साथ मैं इस अमेंडमेंट को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (१) के भाग (ग) के पश्चात् निम्नलिखित भाग (गग) के रूप में बढ़ाया जाय :

"(गग) छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, कारीगर तथा अन्य सेवाओं में लगे हुए वर्गों की नई आबादी के लिये नियत किया जाने वाला क्षेत्र।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१६

विपक्ष में—१४५।)

श्री अध्यक्ष—अब इस खंड के ऊपर कल विचार होगा।

सन् १९५३-५४ के लिये पुस्तकालय समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं।

पुस्तकालय समिति के सदस्यों की जो मियाद थी वह कल खत्म हो गयी। अब सन् १९५३-५४ के लिये निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किये गये हैं--

१---श्री हरगोविन्द पन्त, उपाध्यक्ष, विधान सभा---सभापति।

२---श्री आचार्य जुगल किशोर	सदस्य	विधान सभा
३---श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव	,,	,,
४---श्रीमती विद्यावती राठौर	,,	,,
५---श्री रणंजय सिंह	,,	,,
६---श्री मंगला प्रसाद	,,	,,
७---श्री महाराज सिंह	,,	,,
८---श्री इतिजा हुसैन	,,	,,
९---श्री राम स्वरूप गुप्त	,,	,,
१०---श्री रामसहाय शर्मा	,,	,,
११---श्रीमती सईद जहां मसूफी शेखानी	,,	,,
१२---श्री परिपूर्णानन्द वर्मा	,,	,,
१३---श्री नारायण दत्त तिवारी	,,	,,
१४---राजा वीरेन्द्र शाह	,,	,,
१५---श्री पुत्तू लाल	,,	,,
१६---श्री अजीज इमाम	,,	,,
१७---डाक्टर सीताराम	,,	,,
१८---श्री रामलखन	,,	,,
१९---श्री कैलाश प्रकाश	,,	,,
२०---श्री भगवती प्रसाद दुबे	,,	,,
२१---डाक्टर ईश्वरी प्रसाद	,,	विधान परिषद्
२२---श्री मुकुट बिहारी लाल	,,	,,
२३---श्रीमती महादेवी वर्मा	,,	,,
२४---श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी	,,	,,
२५---श्री महावीर सिंह	,,	,,

मऊ, जिला आजमगढ़ में बिजलीघर के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा १७ मार्च, १९५३ को पूछे गये प्रश्नों पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष---अब मऊ, जिला आजमगढ़, में बिजलीघर के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा १७ मार्च, १९५३, को पूछे गये प्रश्नों के विषय पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ४२ के अन्तर्गत विवाद होगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े महत्वपूर्ण और सार्वजनिक विषय पर आपने विवाद करने के लिये हमें अवसर प्रदान किया है। मऊ बिजलीघर का मामला इतना महत्वपूर्ण है कि मैं समझता हूं कि सरकार जिस मंथर गति से काम वहां पर करा रही है उससे यह मालूम होता है कि आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर ये तीन जिलों की सिंचाई की

योजना मऊ बिजली घर पर निर्भर है वह पूरी नहीं हो पायेगी। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में तीन तीन बार प्रश्न किये जा चुके हैं। बलिया जिले के माननीय शिवमंगल सिंह जो सदन में मौजूद हैं उन्होंने अल्प सूचित तारांकित प्रश्न किये, दूसरी मर्तबा मैंने तारांकित प्रश्न किये और फिर १७ मार्च को प्रश्न किये गये। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने वहां जाकर खुद अपनी आंखों से देखा है और जो निचोड़ निकला है उससे इस नतीजे पर मैं पहुंचता हूं कि जिस गति से बिजली-घर का काम किया जा रहा है उससे आजमगढ़ की घोसी, मोहम्मदाबाद और सगड़ी सदर तहसील के कुछ हिस्से तथा देवगांव के कुछ हिस्से और गाजीपुर जिले का रवोत्तर और जहूराबाद परगना पूरा और मुहम्मदाबाद तहसील के कुछ हिस्से, बलिया जिले की पूरी रसड़ा तहसील, बांसडीह तहसील, इन तीनों जिलों की लगभग ६ तहसीलों की सिंचाई इसी बिजली-घर पर निर्भर है। अध्यक्ष महोदय, १७ मार्च, सन् ५३ के प्रश्न के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री जी ने बतलाया था कि अब तक केवल ६३ बिस्वा जमीन ली जा सकी है। अब तक वहां केवल डेढ़ साल में ६३ बिस्वा जमीन एक्वायर की गई है वह भी जमीन ऐसे लोगों की एक्वायर की गई है जिनके पास रहने को मकान नहीं हैं। इनमें, अध्यक्ष महोदय, अवध बिहारी लाल, अवधेश लाल, बजेश लाल ये तीन आदमी कायस्थ हैं। इसके अलावा जगपत, प्रभू, दीना, केदार, राजा मोती, केशो, शिवशंकर, नौबत और छटेश्वर प्रसाद ये दस हरिजन हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं जाकर उस स्थान को देखा है। अध्यक्ष महोदय, अब तक केवल ६ बिस्वा जमीन एक्वायर की गई है डेढ़ साल के अन्दर और अगर इस तरह से जमीन एक्वायर की गई तो सारी जमीन एक्वायर करने में दस साल लग जायेंगे। गरीब लोगों की जमीन एक्वायर की गई है हालांकि वहां पास ही बड़े-बड़े आदमियों की जमीन मौजूद है। भीटी गांव में बहुत बड़े भूतपूर्व जमींदार राम सकल राय रहते हैं और उनकी बहुत ज्यादा जमीन पड़ी हुई है और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि परती पड़ी हुई है लेकिन बावजूद इसके हरिजनों की जमीन, जिनके पास दो-दो, तीन-तीन बिस्वा जमीन थी, ले ली गई और रामसकल राय जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन पड़ी हुई है उनसे जमीन नहीं ली गई। उनसे जमीन एक्वायर करने के लिये अब तक कोई कदम जिले के अधिकारियों के जरिये नहीं उठाया गया। सुनने में यह आया कि रामसकल राय की जमीन एक्वायर की जाने वाली थी लेकिन आजमगढ़ जिले के एक बहुत बड़े कांग्रेसी ने जिनका सूबा कांग्रेस पार्टी पर कब्जा है उनकी सिफारिश पर उनकी जमीन एक्वायर नहीं की जा सकी। अध्यक्ष महोदय, यह नक्शा मेरे पास मौजूद है जहां पर पावर हाउस बनाया जाने वाला है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर १७ एकड़ जमीन रेलवे की पड़ी हुई है। और वह ऐसी पड़ी हुई है जिस पर इस वक्त रेलवे कोई काम नहीं कर सकती है गाजीपुर जाने वाली सड़क के पश्चिम ही इतनी जमीन है रेलवे के पास कि वह मऊ में जितना विकास करना चाहे कर सकती है।

इसके अलावा वहां पर जीवनराम हायर सेकेंडरी स्कूल का बोर्डिंग हाउस है जिसके कब्जे में ३० एकड़ जमीन वहां पर ऐसी है जिसमें यह बोर्डिंग हाउस बना हुआ है और करीब १०, २० एकड़ जमीन ऐसी पड़ी हुई है जो बेकार है। अगर सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी मऊ में पावर हाउस बन जाय और अगर वह चाहती है कि गरीब आदमी सताये न जायं और अगर वह चाहती है कि पावर हाउस बना करके इन तीन जिलों में जो ऊसर जमीन है उसको लोग खेती के काम में सिंचाई करके ले आवें, जहां पर लोग अन्न के बिना मरते हैं और जहां पर हर साल अकाल पड़ा करते हैं और अनावृष्टि से वह हर साल परेशान हुआ करते हैं अगर उसको रोकना चाहती है तो सही तरीका यह हो सकता है कि रेलवे की जो १७ एकड़ जमीन है वह जल्द से जल्द एक्वायर कर ले और जीवनराम हायर सेकेंडरी स्कूल की जो ३ एकड़ जमीन है वह एक्वायर कर ले। इस प्रकार २० एकड़ जमीन सरकार को आसानी से मिल सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इतनी जमीन के रहते हुये उन छोटे-छोटे हरिजनों की

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

जमीनें कर्ते एक्वायर की जाती हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पावर हाउस जहां बन रहा है उसके चारों तरफ आबादी है। इसके उत्तर तरफ भीटी है और पूरब तरफ निजामुद्दीनपुर गांव है और दक्षिण तरफ अस्पताल है, अथर प्राइमरी स्कूल है और मेडीकल अस्पताल है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक तरफ तो छोटे-छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों को उजाड़ रही है और उनको खानाबदोश बना देना चाहती है और दूसरी तरफ उनको मुआविजा कितना देना चाहती है। वह मुआविजा सौ दो सौ रुपये होगा और उसको प्राप्त करके मैं पूछता हूं कि वह कहां जाकर घर बनायेंगे और कैसे अपनी रोजी चला सकेंगे? मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि रेलवे की जमीन न एक्वायर करे और यह भी चाहती है कि जीवनराम हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन न एक्वायर करे और यह भी चाहती है कि कि राम सकल राय, भूतपूर्व जमींदार की जमीन न ऐक्वायर करे तो वहीं पास में एक बहुत बड़ी विशाल भूमि १५० बीघे की ऊसर थोड़ी दूर पर पड़ी हुई है। १५ मार्च को मैंने अपनी आंखों से वहां जाकर देखा है कि ऊसर जमीन पड़ी हुई है। आजमगढ़ में श्रीमन् ऐसा ही हो रहा है कि जमीन दूसरा जोतता है और दूसरे का नाम लिखा हुआ है। सरकार के पटवारियों के कागजात में कुछ भी इन्दराज हो, किसी के नाम पर हो लेकिन वहां ऐसी जमीन पड़ी हुई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि ऐसी जमीन सरकार एक्वायर करे जिस पर खेती न होती हो तो सरकार ऐसी जमीन को एक्वायर करे जिसमें किसी का नुकसान न हो और जिसके लिये मुकदमे में १०, ५ साल या दो तीन साल भी न लगाना पड़े, तो मैं समझता हूं कि जो दक्षिण तरफ का मैदान है और गाजीपुर जिले को जो सड़क जाती है उसके पूरब तरफ वाली सैकड़ों बीघा जमीन ले सकती है और वहां पर बिजली-घर बनाया जा सकता है। जो बिजली घर मऊ में बनने वाला है, इसमें १० हजार किलोवाट बिजली तैयार की जाने वाली है और इसी सदन में पहले कहा गया है कि यह बिजली घर पंचवर्षीय योजना में ले लिया गया है। दो साल का जमाना बीत गया लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हुआ। अभी तक जितनी जमीन एक्वायर की गई है और जमीन को एक्वायर करने की कार्यवाही की जा रही है उसके बाद अब तक सिर्फ ४६ सौ खम्भे खरीदने के लिये सरकार की ओर से आर्डर दिये जा चुके हैं। मैं नहीं समझता कि ये ४६ सौ खम्भे जब कि पांच छः तहसीलों में इसी बिजली घर से सिंचाई होने वाली है तो कैसे पूरा होगा और कहां तक इनसे काम चल जायगा। इसके अतिरिक्त मैं आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसी बिजली घर पर करीब ४ लाख ८० हजार एकड़ जमीन पर सिंचाई का काम इसी पंचवर्षीय योजना के अन्दर नियत किया गया है। पंचवर्षीय योजना के दो साल पूरा हो जाने के बाद जितना काम हो चुका है उसको देखते हुए कैसे कहा जा सकता है कि इस बिजली-घर से क्या यह सिंचाई का काम पूरा हो जायगा? मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि इसी बिजली-घर पर भरोसा करके आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर जिले में जो ऊसर है वहां नये सिरे से कुएं बनाने का काम सरकार की ओर से हाथ में नहीं लिया गया है। जो लिया भी गया है उसकी दशा अध्यक्ष, महोदय, यह है कि आजमगढ़ जिले में सहकारी भट्ठों से २८ रु०, २६ रु० प्रति हजार की ईंटें कुओं को दी जा रही हैं जब कि प्राइवेट भट्ठों में २०–२१ रुपये प्रति हजार ईंट बिक रही है।

माननीय मुख्य मंत्री जी से गत अकाल में आजमगढ़ का एक डेपुटेशन मिला था तो मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जहां पर ट्यूबवेल्स बनने वाले हैं उन स्थानों में कोई नये सिरे से कुआं नहीं बन सकता है। बिजली-घर की जब यह गति है तो यह १० साल तक भी बनने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन स्थानों में सदा अकाल ही पड़ा रहेगा। मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि

यह जो बिजलीघर की शिकायत है इसको दूर करने के लिये वह अवश्य कोई कार्यवाही जल्दी से करें।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, यह पावर हाउस मऊ का जो है इसके बारे में मैंने हाउस में बतलाया था कि पंचवर्षीय योजना में दे दिया गया है। पंचवर्षीय योजना की बाबत यह कहना कि वह अभी तक उसमें काम नहीं हुआ इसलिये गलत है कि अभी कोई डेढ़ महीना हुआ जब प्लानिंग कमीशन ने उसको मंजूर करके आउट किया है कि क्या स्कीम उसके अन्दर शामिल की जाय। जहां तक यू० पी० का ताल्लुक है यह मालूम है कि हमारा १२१ करोड़ रुपये का प्लान था उसमें ९७ करोड़ के करीब प्लानिंग में शामिल किया गया है और बाकी के लिये उनसे गुफ्तगू जारी है। चुनांचे अभी हाल में यह कमीशन यहां पर आया था और उसने खासतौर पर यहां जो पावर हाउसेज स्टेशन हैं जिनमें एक यह मऊ का पावर स्टेशन भी है इसके मुताल्लिक बातचीत की कि उनके बनाये जाने और खर्चे के मुताल्लिक किस तरह से हो। जहां तक उसके काम की शिकायत का ताल्लुक है मैंने यह सवाल के जवाब में बतलाया था कि उसके लिये टेंडर मांगे गये हैं वहां के सामान के वास्ते और बाहरी मुल्कों से मंगाने के वास्ते। वहां जो काम हो रहा है वह तो सिर्फ बिल्डिंग बनाने का काम होगा और मशीनरी बाहर से मंगा कर लगाई जायगी। इसके मुताल्लिक मैंने यह अर्ज किया था कि अभी इतना वक्त बाकी है कि जो बहुत काफी है और इस तीन साल के अरसे में वह बन कर तैयार हो जायगा। इसमें किसी को कोई शंका और शुबहा नहीं होना चाहिये। जो काम जरूरी इमारत के बनने का है वह वहां पर हो रहा है गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से। वह हम ही नहीं कर सकते हैं इस वास्ते उसमें हस्बमामूल से देर लगती ही है। मगर उसकी बिना पर यह नहीं होने वाला है कि पंचवर्षीय योजना के जमाने में वह न बने।

जहां तक जमीन के लेने का सवाल है उस रोज मैंने जवाब में बतलाया था, सप्लीमेंटरी जवाब में वह मौजूद होगा कि रेलवे की जमीन जो वहां पर पड़ी है उस रेलवे की जमीन को लेने के लिये हमसे खतोकिताबत हो रही है। जब यहां पर जवाब लिख कर भेजा गया था उस वक्त उनका जवाब नहीं आया था और मैंने यह कहा था कि उस जमीन की बाबत कुछ अभी नहीं बतलाया जा सकता है जो कि रेलवे की बतलायी जाती है। वह जमीन करीब १७ एकड़ आप बतलाते हैं, मैं नहीं कह सकता कि वह कितनी है। लेकिन रेलवे वालों ने १० एकड़ जमीन हमको देने के लिये लिखा है। इस १० एकड़ के अलावा वहां कुछ फार्म था, मुझे नहीं मालूम कि वह किन साहब का है लेकिन उन फार्म वालों से भी हम कुछ जमीन ले रहे हैं। १३ आदमी गिनाये गये थे कि वह इन १३ आदमियों से जमीन ली जा रही है और उसके लिये कार्यवाही की गयी है। लेकिन इसी के साथ अभी हाल में मेरे पास एक अर्जी आयी है जो कुछ हरिजन भाइयों की तरफ से है। उन्होंने यह एतराज किया है कि जो जमीन ली जा रही है वह हमारी है। तो उसके ऊपर मैंने हुकुम दिया है कि इसके मुताल्लिक सारी मालूमात भेजी जायं ताकि मैं उसको देखूं कि वह एक्वायर की जाय या नहीं। तो वह कार्यवाही हो रही है। जिन साहब ने अर्जी मेरे पास भेजी है उसको देख कर कोई मुनासिब हुकुम देना मुनासिब है और अगर कोई बाक़ी है कि जिसकी जमीन है और वह ऐसी जमीन है कि जो नहीं लेना चाहिये तो उसके लिये रास्ता खुला हुआ है कि वह दरख्वास्त दे सकता है और मैं उस अर्जी को उस रोशनी में देख सकता हूं। लेकिन एक बात मैं और बतला देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का खुद आज का नहीं बल्कि जब से यह गवर्नमेंट है मुस्तकिल हुक्म है कि कोई जमीन जिसमें खेती होती हो वह किसी काम के लिये जहां तक हो सकता हो न ली जाय सिवा इसके कि

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जब और किसी जमीन से काम ही न चलता हो। तब इस क्राइटेरियन पर ही मजबूरन ऐसी जमीन ली जाती है जब कहीं और किसी और जमीन का लेना मुमकिन ही न होता हो। हम यह कभी नहीं चाहते हैं कि किसी रहने वाले को तकलीफ हो, अगर किसी को तकलीफ हो या होने वाली हो तो अगर केस ऐसे होंगे तो हम खुद जाकर देख सकते हैं या किसी डिप्टी मिनिस्टर को भेज करके मुआयना करा के देख लेंगे और अगर किसी को तकलीफ रफा हो सकती होगी तो उसकी भी कोशिश कर सकते हैं। हमने रेलवे की दस एकड़ जमीन तो ले ही ली है और फार्मर्स की भी जमीन लेने की कार्यवाही कर रहे हैं। अगर किसी की जमीन छोड़ने काबिल होगी तो वह छोड़ भी दी जायगी और अगर कोई कायदे की कार्यवाही की जायगी तो हम उसको सुनने के लिये बिल्कुल तैयार हैं। बाकी पोल्स के बारे में जो कहा गया वह तो डेढ़ बरस में लगने हैं। कुछ आ गये हैं और जैसे-जैसे वह आते जायंगे लगते जायेंगे, वह इन्सटालमेंट्स में आ रहे हैं, सब एक साथ तो आयेंगे नहीं। बस इतना ही मुझे कहना है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मसला जो पेश है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजमगढ़ जिले में जो पावर हाउस मऊ में बनने वाला है वह बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर तीनों जिलों को बिजली देगा परन्तु उसकी प्रगति जिस तरह से हो रही है उसमें मैं श्री रामसुन्दर जी से मुत्तफिक हूं और सहमत हूं कि वह प्रगति इतनी धीमी है कि अगर इसी रफ्तार से काम चला तो वह दस बरस और १५ बरस में भी नहीं बन सकेगा। जितनी जल्दी हो सके वहां काम शुरू कर दिया जाय। अभी तक सिवा चन्द खम्भों के खरीदने के वहां कोई काम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री जी ने जो जवाब दे दिया है उसी को ध्यान में रख कर आप भाषण करें।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—मैं माननीय वित्त मंत्री जी की सेवा में निवेदन करूंगा कि यह एरिया डेफिसिट एरिया है और वहां अधिकतर अकाल की स्थिति रहती है इसलिये जितनी जल्द हो सके इस काम को पूरा करने की मंत्री जी कृपा करें ताकि जल्दी से वह पावर हाउस बन जाय।

श्री शिवमंगल सिंह [illegible] (जिला [illegible])—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया उसमें हमें कोई सन्देह नहीं है कि उन्होंने मऊ पावर हाउस योजना को पंचवर्षीय योजना में रखा है। सवाल यह पैदा होता है जो हमारी तरफ के माननीय सदस्यों ने बार-बार सदन के सम्मुख उपस्थित किया है कि हमारे यह दो तीन जिले ऐसे हैं कि जहां पर न तो कोई उद्योग धंधा है और न कोई सिंचाई के साधन हैं और बगैर बिजली के हम इन चीजों को वहां आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। हम इस चीज को मानते हैं और समझते हैं और हमें इसका अहसास है कि यह पावर हाउस पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना का मतलब केवल यही लगाया जाय कि हमें स्कीम को ५ वर्ष में पूरा करना है लेकिन अगर कोई ऐसी भी चीज हो कि हम उसे ५ वर्ष से पहले भी पूरा कर सकें और वहां की समस्या को हम हल कर सकें तो हमारे माननीय मंत्री जी अवश्य ही बधाई के पात्र होंगे। हम विशेष रूप से जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि अभी हमारे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया था कि बाहर से कुछ सामान मंगाया जाने वाला है जिसके कारण से विलम्ब हो

रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस दो वर्ष के भीतर कोई ऐसा उत्तर मिला है कि किस समय तक मशीनें उपलब्ध हो सकेंगी। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में कुछ शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार उनसे मैं हरिजनों की जमीनों के बारे में मिला था। उस समय मंत्री जी ने मुझे बताया था कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वहां जाकर उस स्थान को स्वयं देखूंगा या उपमंत्री से दिखलाऊंगा। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि वहां पर जो हरिजन बसे हुए हैं जिनके घरों की तादाद लगभग २०, २५ है जहां पर यह स्थान पावर हाउस के लिए, लिया जा रहा है वह बिल्कुल उनकी दीवाल से सटा हुआ शुरू किया जाता है और उसके बाद बीच में आने पर सात घर ऐसे हैं जिनके बसाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो कुछ भी जमीनें उनके पास हैं उनको उन्होंने अपने परिश्रम से उपजाऊ बनाया है। अगर उनके लिए किसी दूसरी जगह खेत की व्यवस्था की जायगी तो यह उनके लिए बहुत कठिन हो जायगा। उतनी उपज जो वहां वह पैदा करते थे वह नहीं कर सकेंगे। इसीलिये इसके पहले भी जिस समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसकी जांच में गये थे तो यह सुझाव उनके सामने आया। तो उस समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह देख कर कि उनके पास दूसरी जमीन नहीं है जो उपजाऊ हो, इसलिये उन्होंने उसको छोड़ दिया। पिछले साल पैमाइश जमीन की होती है और उसमें मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो इंजीनियर्स जाते हैं क्या वह एक वर्ग बनाते हैं या अपनी जरूरत के मुताबिक जमीन लेना चाहते हैं ? मैं तो यह देखता हूं कि उसको एक वर्गाकार बनाया जाता है। उसमें उन हरिजनों की जमीनें ली जा रही हैं और उसके बाद वे घर जिनमें वे बसे हुए हैं वे भी उजाड़े जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त जो मैं सुझाव देना चाहता था वह मैंने मंत्री जी से भी निवेदन किया था और आपने मुझे उत्तर दिया था कि अगर जरूरत हुई तो हम सिवा उस जमीन के जो सैकड़ों बीघा जमीन पड़ी हुई है और वहां से दो फर्लांग की दूरी पर है और जमीन नहीं लेंगे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह जमीन, जो खेती के लिये बिलकुल अनुपयुक्त है उसे क्यों न ले लिया जाय। उपजाऊ जमीन ही क्यों उपयुक्त समझी जाती है। यह जमीन जो ली जा रही है जो टोंस नदी है उसके कुछ नजदीक अवश्य है। दूसरी जमीन जो देना चाहते हैं वह उससे दो फर्लांग की दूरी पर है। तो क्या सरकार उन हरिजनों के लिए इतना भी करने के लिए नहीं तैयार है जिनको उजाड़ कर पूर्णतया बसाने की कोशिश करनी पड़ेगी ? इतना कहने के बाद मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्थिति को स्वयं जाकर देखें और देख करके निष्कर्ष निकालें जिससे हरिजनों को बाद में बसाने की व्यवस्था अच्छी तरह से कर सकें और उनकी जमीन न ली जाय जिसके लिये मैं उनसे प्रार्थना करता हूं।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना किस सन् में किस तारीख तक पूरी हो जायगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी, सन् १९५३ तक।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय मंत्री जी ने जमीन के सम्बन्ध में जो आश्वासन दिया है मैं उससे पूरी तरह से आशावादी हूं और मैं समझता हूं कि हरिजनों की जमीन नहीं ली जायगी, लेकिन उसीके साथ में यह कहना चाहता हूं कि पावर हाउस कब तक बन जायगा। इस सम्बन्ध में निश्चित बात अगर कोई माननीय वित्त मंत्री जी हमें बतला सकें, तो बहुत अच्छा होगा।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैं बजट के सिलसिले में उस रोज यह बतला चुका था कि बाहर से मशीनें मंगाई जाती हैं, मसलन अमेरिका से आयेंगी । मशीनें बनने का जिस वक्त आर्डर दिया जाता है उससे तीन वर्ष के बाद डिलीवरी मिलती है। वह ऐसी चीजें नहीं हैं जो बाजार में मिल सकें। पहले उनके पास स्पेसिफिकेशंस भेजे जाते हैं, वह उसके मुताबिक मशीनें बनाते हैं। वह जब वहां से आयेंगी तो इरेक्टर रक्खा जायगा। वह इरेक्टर उसको इरेक्ट करेगा। वह तो सिर्फ इतना है कि उसकी इमारत बना दी जायगी, जिस इमारत के अन्दर तमाम मशीनें रखी जायंगी। सारा काम इस तरह से होगा. लेकिन जहां तक इस कार्यवाही के खत्म होने की बात है तो वह तो डेढ़ साल के अन्दर तैयार हो सकती है। तो उस बात में क्यों इतनी फिक्र है कि वह पावर हाउस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनेगा या नहीं। क्यों नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। आप देखते जाइये। हां, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होता तो वहां मालूम होता कि काम होता है। वहां मौके पर अगर कोई साहब जाकर देखते कि जो-जो काम होते हैं उनको देखने से मालूम होता कि यों काम होता है। लेकिन जहां तक इस किस्म के पावर हाउसेज का सवाल है उनमें उतना काम नहीं होता। सब चीजें बाहर से आ जाती हैं और एरेक्टर से खड़ी कर दी जाती हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि हरिजनों की जमीन जो उपजाऊ है वह छोड़ दी जायगी। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न ले करके यही निवेदन करना चाहता हूं कि वह बिजली घर जल्दी से जल्दी बनना चाहिये। अगर वह बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ में जाकर देखें तो मालूम होगा कि वहां पानी की कितनी कमी है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पहले ही से ट्यूबवेल बन रहे हैं और उनके जरिये काम चलता रहेगा और वह पावर हाउस बनता रहेगा। ट्यूबवेल्स के लिए बिजली का इन्तजाम है।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३२ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

कैलाशचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१ अप्रैल, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ व २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर)

तालिका "अ"

१—आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के संगठन तथा संस्थाओं के समुचित प्रशासन के लिये उपसंचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक), उत्तर प्रदेश के अधीन एक पृथक आयुर्वेद विभाग का सृजन कर दिया है तथा उक्त उपसंचालक को एक विभागीय अध्यक्ष के सभी अधिकार सौंप दिये गये हैं।

२—एक आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत खोला गया है जिसमें आयुर्वेद के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी शिक्षा दी जाती है। इस कालेज में यह शिक्षा होती है। इसके लिये एक अलग आयुर्वेदिक फैकल्टी खोली जाने वाली है।

३—आयुर्वेदिक व यूनानी कालेजों के पुनर्संगठन के बारे में छानबीन करने के उपरान्त राय देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई थी। उसकी रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है और उस पर कार्यवाही हो रही है।

४—इंडियन मेडिसिन बोर्ड की डिग्री के पाठ्य क्रम में उचित एवं आवश्यक संशोधन व परिवर्द्धन कर दिये गये हैं। उसमें अब आधुनिक चिकित्सा पद्धति के आवश्यक अंग एवं स्कूल स्वास्थ्य कार्य के सम्बन्ध में भी समावेश कर दिया गया है तथा उसे वर्तमान वर्ष से सब कालेजों में लागू कर दिया गया है। आयुर्वेद व यूनानी का कोई स्कूल कोर्स (५ वर्ष से कम समय का) अब नहीं चलता है।

५—एक आयुर्वेदिक व यूनानी तिब्बी ऐकेडेमी की स्थापना कर दी गई है जिसमें कि अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

६—वनौषधियों की उपज एवं जांच का कार्य राष्ट्रीय वनौषधि उद्यान, लखनऊ में कृषि विभाग के अन्तर्गत हो रहा है।

७—आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों के लिये पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कम्पाउन्डरों को प्राप्त करने में कठिनाई न हो, इसलिये एक द्विवर्षीय सहायक वैद्य व सहायक हकीम का कोर्स प्रारम्भ कर दिया है।

८—एक द्विवर्षीय गृह स्वास्थ्य विशारदा कोर्स भी प्रारम्भ कर दिया है जिसके पाठ्य क्रम में नर्सेज, दाई इत्यादि की शिक्षा के मुख्य-मुख्य अंग सम्मिलित हैं।

१०—नये खोले जाने वाले आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों में पर्याप्त साज-सज्जा एवं यंत्र शस्त्र दिया जाता है। पुराने चिकित्सालयों के साज-सज्जा को बदला जा रहा है।

११—इन चिकित्सालयों के लिये शुद्ध एवं प्रामाणिक औषधियों की व्यवस्था करने की दृष्टि से लखनऊ में आयुर्वेदिक व यूनानी औषधियों की एक निर्माणशाला की स्थापना कर दी गई है।

१२—चिकित्सालयों में योग्यतम चिकित्सकों की नियुक्ति की दृष्टि से निर्धारित योग्यताओं की सूची में ठोस संशोधन कर दिया गया है तथा अब केवल अधिकार प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के आयुर्वेदिक एवं तिब्बी स्नातक तथा भारतीय चिकित्सा बोर्ड, उत्तर प्रदेश के स्नातक ही सरकारी नौकरी में नियुक्त के अधिकारी रह गये हैं।

१३—विश्वविद्यालयों के आयुर्वेदिक व यूनानी स्नातकों को शल्य कर्म करने की आज्ञा दे दी गई है।

१४—कालेजों में शल्य कर्म सम्बन्धी शिक्षा उचित रूप स दी जावे इसलिये उन्हें पर्याप्त रूप में आर्थिक सहायता दी जा रही है।

१५—हाईजीन पब्लिसिटी ब्यूरो के असिस्टेंट डाइरेक्टर को आदेश दिया गया है कि आयुर्वेद के आधार पर स्वास्थ्य वृत्त का भी किताबों, फिल्मों एवं पोस्टरों में समावेश करें।

१६—आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रणालियों क विभिन्न संगठनों की कार्यविधि का नियमित रूप से संचालन करने के लिये एक विस्तृत नियम (समुच्चय आयुर्वेदिक मैनुअल) का निर्माण करने के लिये एक विशेष कार्याधिकारी की नियुक्ति हुई है। यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है।

तालिका "ब"

१—डिग्री कोर्स के लिये प्रावेशिक योग्यता इंटर मीडियेट कर दी जावे—बोर्ड के कोर्स के लिये विशेषज्ञ समिति की यही राय रही है कि अभी प्रावेशिक योग्यता हाई स्कूल ही रहे। काशी विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रावेशिक योग्यता इंटरमीडियेट साइंस है।

२—भविष्य में खुलने वाले सभी क्षय रोगाश्रम आयुर्वेदिक प्रणाली पर चलाये जावें—सरकार इस सुझाव को वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं समझती।

३—यदि सरकार गेठिया सेनेटोरियम खरीदे तो उसे आयुर्वेदिक ढंग पर चलावे—गेठिया में एक एलोपैथिक ढंग का क्षय रोगाश्रम चल ही रहा था। उसी का स्तर उठा कर चलाने ही में सुविधा थी।

४—वैद्य, हकीमों के लिये सैनेटरी इन्स्पेक्टर एवं लाइसेंसियेट का कोर्स खोल दिया जावे—सैनेटरी इन्स्पेक्टर बनाने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि दोनों के वेतन-क्रम में बहुत कम अन्तर है और फिर वैद्य, हकीम व्यक्तिगत प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लाइसेंसियेट कोर्स बन्द हो गया है अतः उसका प्रश्न ही नहीं उठता।

५—एलोपैथिक ग्रेजुएटों के लिये आयुर्वेदिक कालेजों में एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स खोल दिया जावे—अभी यह संभव नहीं है। एलोपैथिक ग्रेजुएट इस कोर्स के लिये नहीं आवेंगे। दूसरे अभी आयुर्वेदिक कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएट एवं रिसर्च के लिये पर्याप्त साधन जुटाने में समय लगेगा।

६—आयुर्वेदिक व यूनानी ग्रेजुएटों को उच्च शिक्षा के हेतु विदेश जाने के लिये छात्रवृत्ति दी जावे—विदेशों में आयुर्वेदिक व यूनानी प्रणाली की शिक्षा होती नहीं। इसलिये उन लोगों को विदेश भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता। हां, यदि कोई छात्र अपनी आयुर्वेदिक योग्यता के आधार पर किसी विदेशी विश्वविद्यालय में एलोपैथिक कोर्स में प्रवेश प्राप्त कर सके तो सरकार को उसके जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

७—वैद्य, हकीमों का वेतन क्रम प्रदेशीय नौकरियों के वेतन क्रम के समान हो—वैद्य, हकीमों का वर्तमान वेतन-क्रम पे कमेटी की रिपोर्ट पर निर्धारित किया गया था और उसमें अभी कोई परिवर्तन सम्भव नहीं।

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०७ पर)

प्रश्न १२ में वर्णित तालिका

		चतुर्वर्षीय औसत (१९४५–४९)			१९५०			१९५१		
क्रम-संख्या	जिला	सभी रोगों से अच्छे हुये रोगियों की संख्या	मलेरिया से अच्छे हुये रोगियों की संख्या	मलेरिया से अच्छे होने वाले रोगियों का अन्य रोगों से अच्छे होने वाले रोगियों में प्रतिशत	सभी रोगों से अच्छे होने वाले रोगियों की संख्या	मलेरिया से अच्छे हुये रोगियों की संख्या	मलेरिया से अच्छे होने वाले रोगियों का अन्य रोगों से अच्छे होने वाले रोगियों में प्रतिशत	सभी रोगों से अच्छे हुये रोगियों की संख्या	मलेरिया से अच्छे हुये रोगियों की संख्या	मलेरिया से अच्छे हुये रोगियों का अन्य रोगों के अच्छे हुये रोगियों में प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	गोरखपुर	३,९७,६१४	४३,६५०	१०.९१	२,८२,५८२	१८,४२१	६.५२	३,८१,०९७	३९,८७६	१०.६४
२	देवरिया	...	...	...	४,२८,०४०	२३,९०२	५.५८	१,९६,९६२	११,०९४	५.६३
३	बस्ती	१,९७,९६१	२०,३८९	१०.२९	२,०५,३२७	१५,२५३	७.४३	२,०३,६७७	१६,२२७	७.९६

नोट—चतुर्वर्षीय अवधि सन् १९४५–४९ में देवरिया-गोरखपुर जिले का ही भाग था, इसलिये उस समय की देवरिया की संख्या अलग प्राप्य नहीं है।

बी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४ एल० ए०—१९५३—८५०।

अवधेश विधान सभा

मध्य प्रदेश विधान सभा